[2019] 7 एस. सी. आर *738*

बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल

समिति, माँग और हमारा।

(2019 की सिविल अपील संख्या *4862* आदि*)*

10 मई, *2019*

[अभय मनोहर सेप्रे और उदय उमेश ललित। जे. जे.*]*

सेवा कानूनः

वेतन समानता/'समान काम के लिए समान वेतन'-नियोजीत शिक्षकों द्वारा माँगा गया *[*बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षकों के तहत नियुक्त*]* *(* रोजगार और सेवा शर्तें*)* नियम, *2006]*-सरकारी शिक्षकों के संवर्ग के साथ-अनुमति-आयोजितः का कैडर

जिन सरकारी शिक्षकों के साथ समानता की मांग की जाती है, वे मरने वाले/गायब होने वाले कैडर थे-नियोजीत शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों की तुलना में पूरी तरह से अलग था-एक वेतन संरचना आमतौर पर 'भर्ती की विधि' और 'नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता' जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है-भर्ती की प्रक्रिया में अंतर एक सीमा है /

'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने के लिए योग्यता-राज्य द्वारा राज्य के दूरदराज के कोने तक शिक्षा का प्रसार करने के लिए की गई प्रगति केवल राज्य के संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से ही संभव थी-संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और किन कारकों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ये नीतिगत मामले हैं पंचायती राज संस्थानों में चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में राज्य का प्रयास और राज्य के शिक्षकों के कैडर को मरने या कैडर को गायब होने देना शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तंत्र का हिस्सा था और एकीकृत नीति का हिस्सा था-ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर भारी दबाव पैदा कर सकता है-इस प्रकार।

नियोजीत शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है-भारत का संविधान-कला। *21-* बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009*।

सिद्धांतः समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत -

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः प्रति यू. यू. ललित, जे.*:*

1. सरकारी शिक्षकों का कैडर जिसके साथ नियोजित शिक्षकों द्वारा समानता या समानता की मांग की गई है *[*जिसके तहत नियुक्त किया गया है*]*

बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा शर्तें*)* नियम, *2006]* एक मरने वाला या गायब होने वाला संवर्ग है। राज्य द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने का एक सचेत निर्णय लिया गया था

सरकारी शिक्षकों के इस संवर्ग में नियुक्तियाँ और *2006* के बाद, राज्य में सभी नियुक्तियाँ *2006* के नियमों के प्रावधानों के अनुसार और उनके तहत की गई हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्तमान में लगभग *57,293* प्राथमिक विद्यालय हैं। सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में शिक्षक और माध्यमिक स्तर पर *7,800* सरकारी शिक्षक हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य में लगभग *4* लाख नियोजीत शिक्षकों की तुलना में राज्य में लगभग *66,000* सरकारी शिक्षक हैं। यह *4* लाख का समूह है जो एक संख्या के साथ समानता की मांग कर रहा है जो *1/5* से कम है और बहुत ही स्वभाव से जो एक मरता हुआ और गायब होने वाला कैडर है। उन *66,000* में से *31,000* से अधिक ऐसे लोग थे जिन्हें एक बार के अपवाद के रूप में नियुक्त किया गया था। उस मुद्दे को एक तरफ छोड़ते हुए, तथ्य यह है कि यह *4* लाख से अधिक का एक बड़ा निकाय है जो एक मरने वाले या गायब होने वाले कैडर के साथ समानता की मांग कर रहा है। *[*पैरा *58] [822-*डी-जी*]*

2. इस न्यायालय ने निम्नलिखित सीमाओं को स्वीकार किया है या

समान वेतन के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए योग्यताएँ समान कार्य *': - (i)* 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है। *((ii)* 'समान के लिए समान वेतन' का सिद्धांत

प्रत्येक मामले में 'कार्य' का कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। *(iii)* यह तथ्य कि व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा है

कुछ मामलों में भर्ती अपने आप में एक अंतर ला सकती है। *((iv)* 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। *(v)* इस प्रकार आम तौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें एक रिट अदालत हल्के में हस्तक्षेप कर सकती है। *(vi)* वेतनमान प्रदान करना विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है जिससे सरकार और अधिकारियों के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। *(vii)* पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जो *[2019] 7* एस. सी. आर. होना चाहिए।

एक विशेषज्ञ निकाय के लिए छोड़ दिया। *(viii)* न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। *(ix)* मनोरंजन और स्वीकार करने से पहले समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित दावा, न्यायालय को स्रोत और कार्य के तरीके जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

भर्ती/नियुक्ति। *(x)* किसी दिए गए मामले में, चयन के तरीके को उन कारकों में से एक माना जा सकता है जो

अंतर। *[* पैरा *68] [842-*बी-जी*]*

3. यह राज्य के लिए दो अलग-अलग कैडर 'सरकारी शिक्षक' और 'नियोजीत शिक्षक' रखने के लिए खुला था। सरकारी शिक्षक एक मरने वाला या गायब होने वाला कैडर है। इन दोनों कैडरों की घटनाएं अलग-अलग हो सकती हैं। यह विचार अपने आप में भेदभावपूर्ण नहीं होगा। को दी गई वेतन संरचना

नियोजित शिक्षकों की संख्या निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों को दी जाने वाली संख्या से कम थी, लेकिन सरकारी शिक्षकों की संख्या नियोजित शिक्षकों की संख्या से काफी कम थी। वर्तमान में लगभग *66,000* सरकारी शिक्षक हैं।

राज्य में लगभग *4* लाख नियोजीत शिक्षक हैं। लगभग *1* लाख शिक्षकों की और नियुक्ति की गुंजाइश है।

इसका मतलब यह हो सकता है कि *5* लाख शिक्षकों की तुलना में राज्य शिक्षकों की संख्या उत्तरोत्तर कम हो रही होगी। नियोजीत शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों से बिल्कुल अलग है। *[* पैरा *76] [855-*ई-एच*; 856-*ए-बी*]*

4. यदि वेतन संरचना को सामान्य रूप से "भर्ती की विधि" और "नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता" जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना है और यदि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएं या योग्यताएं अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया के आधार पर अंतर को स्वीकार करती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से लिया गया रुख नहीं है।

अनुचित या तर्कहीन। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों को देखते हुए, दूरस्थ कोनों में शिक्षा का प्रसार और पहुंच बनाना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा, राज्य की साक्षरता दर जो राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे थी, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन मोर्चों पर राज्य द्वारा की गई प्रगति काफी स्पष्ट है। यह सब संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से संभव हुआ। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग या उपयोग कैसे किया जाए और किस बात पर जोर दिया जाए कि कौन से कारक सभी नीतिगत मामले हैं और बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर

राज्य किसी भी मामले में विफल नहीं हुआ था। राज्य में दो अलग-अलग धाराएँ या संवर्ग होना उचित था। पंचायती राज संस्थानों में चयन की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास और

राज्य के शिक्षकों के कैडर को मरने वाला या गायब होने वाला कैडर बनाना शिक्षा के प्रसार को प्राप्त करने के लिए उसी तंत्र का हिस्सा था। ये सभी मुद्दे एक एकीकृत नीति का हिस्सा थे और यदि न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा कोई निर्देश जारी किए जाते हैं

नियोजीत को समान वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराना।

शिक्षकों, यह जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव डाल सकता है। *[* पैरा *77] [856-*बी-एफ*]* *5.* यह सच है कि यदि बजट का उल्लंघन होता है तो बजटीय बाधाएं या वित्तीय निहितार्थ कभी भी एक आधार नहीं हो सकते हैं

एक नागरिक के मौलिक अधिकार। इसी तरह, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009* और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद *21* ए के तहत उपलब्ध अधिकार को एक वास्तविकता बना देगा। जैसा कि लेख के पाठ से पता चलता है कि प्रावधान अनिवार्य रूप से बाल केंद्रित है। इस मुद्दे के संबंध में दो विचार नहीं हो सकते हैं कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि, इस तरह के आधार से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नियोजीत शिक्षकों को उसी स्तर पर वेतन दिया जाना चाहिए जो राज्य के शिक्षकों पर लागू होता है। जिन तरीकों से विशेषज्ञ शिक्षकों को पाया जा सकता है, चाहे उन्हें बेहतर पैमाना देकर और/या सीमा क्षमता पर जोर देकर जिसका परीक्षण टीईटी परीक्षा जैसी परीक्षाओं के माध्यम से किया जा सकता है, वे हैं -

कार्यपालिका के विचार करने के लिए। *[* पैरा *78] [856*-जी-एच*; 857*-ए-बी*]*

6. नियोजीत शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है।

राज्य सरकार पर बोझ होगा और केंद्र सरकार, विचार के लिए नहीं उठती है। *[* पैरा *79] [857*-बी-सी*]*

7. पिछले दशक में राज्य ने बड़ी प्रगति की है। इसने खुद को सक्रिय किया है और न केवल *[2019] 7* एस. सी. आर. हासिल किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक पड़ोस में विद्यालय होने का उद्देश्य लेकिन साक्षरता दर बढ़ाने में भी सफल रहा है। यह शिक्षा की धारा में अधिक बालिकाओं को रखने में भी सफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप टी. एफ. आर. में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। यदि ये ऐसे लाभ या पुरस्कार हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने के लिए खड़ा है, तो राज्य को उचित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा अभिलेख पर रखे गए सारणीबद्ध चार्ट भी नियोजीत शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए पैकेजों में राज्य द्वारा किए गए निरंतर सुधारों को दर्शाते हैं। उक्त प्रयासों से यह भी पता चलता है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में सरकारी शिक्षकों और शिक्षकों के बीच जो अंतर है, वह है

नियोजीत शिक्षकों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। सरकारी शिक्षकों की तुलना में बड़ी संख्या में नियोजीत शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा उठाए गए कदम, जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सारणीबद्ध चार्ट से स्पष्ट है, सही हैं।

दिशा। इस मोड़ पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्देश उस गति को तोड़ सकता है जो राज्य के पास है

लगातार हासिल करने में सक्षम रहे। *[* पैरा *79] [857*-डी-एफ*]* *8.* प्रारंभिक चरण में नियोजीत शिक्षकों को ऐसे वेतन दिए जाते थे जो चपरासी और क्लर्कों की तुलना में कम होते थे।

विद्यालय एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सच है कि दो साल की सेवा के बाद, परिलब्धियां उपलब्ध कराई गईं नियोजीत शिक्षकों को कुछ सुधार दिखाई देते हैं लेकिन प्रारंभिक चरण में असमानता स्पष्ट से अधिक है। राज्य निश्चित रूप से नियोजीत शिक्षकों के लिए एक वेतन संरचना तैयार करने का हकदार हो सकता है और अदालतें नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन यदि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकृति का असंतुलन है, तो मामला चिंता पैदा करता है। शिक्षकों को सभ्य होने का अधिकार होना चाहिए।

वेतनमान। प्रस्तावित के साथ दो साल की सेवा के बाद

तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, नियोजीत शिक्षकों को देय मानकों में, चपरासियों और लिपिकों की तुलना में, कुछ वृद्धि होगी। राज्य समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना, कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक नियोजीत शिक्षकों के मानकों को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। वे। जो इस तरह की परीक्षा या परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें और भी बेहतर अंक दिए जा सकते हैं। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है। *[* पैरा *80] [857-*जी-एच*; 858-*ए-सी*]* बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रोगो कमेटी, मंगर

पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *1963* पूरक। *2* एस. सी. आर. *169;* ज़बर सिंह और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य *(1972) 2* एस. सी. सी. *275 [1973] 1* एस. सी. आर. *608-*इसके बाद आए।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम। जगजीत सिंह और अन्य *(2017) 1* एस. सी. सी. *148: [2016] 7* एस. सी. आर. *350-*प्रति क्यूरियम आयोजित।

नंद किशोर ओझा बनाम। अंजनी कुमार सिंह *(2014) 11* एस. सी. सी. *405;* जयपाल और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य एआईआर *1988* एससी *1504: [1988] 1* पूरक। एस. सी. आर. *411;* तारसेम लाल गौतम और एक अन्य वी. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य *(1989) 1* एस. सी. सी. *182: [1988] 3* पूरक। एस. सी. आर. *479;* वी. मार्कंडेय और अन्य बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य *(1989) 3* एस. सी. सी. *191: [1989] 2* एससीआर *422;* धारवाड़ जिला। पी. डब्ल्यू. डी. साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी संघ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

और अन्य *(1990) 2* एससीसी *396: [1990] 1* एस. सी. आर. *544;* सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य *1993*

(1) एससीसी *153: [1992] 1* एससीआर *897;* यू. पी. राज्य और अन्य बनाम मंत्रीस्तरीय कर्मचारी संघ *(1998) 1* एस. सी. सी. *422 [1997] 4* सप्लीमेंट। एस. सी. आर. *484;* हरियाणा राज्य और एक अन्य *v.* हरियाणा सिविल सचिवालय निजी कर्मचारी

एसोसिएशन *(2002) 6* एस. सी. सी. *72 [2002] 1* पूरक। एस. सी. आर. *118;* एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम। झारखंड राज्य

और अन्य *(2007) 8* एस. सी. सी. *279: [2007] 9* एस. सी. आर. *130;* आधिकारिक परिसमापक बनाम। दयानंद और अन्य *(2008) 10*

एस. सी. सी. *1;* पंजाब राज्य और एक अन्य *v.* सुरजीत सिंह और अन्य *(2009) 9* एस. सी. सी. *514: [2009] 12* एससीआर *394;* स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम। दिव्येंदु भट्टाचार्य *(2011) 11* एससीसी *122: [2010] 13* एस. सी. आर. *429;* गोपाल चावला और अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *(2014) 13* एस. सी. सी. *792;* एम. एम. एल. अरोरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *1995* सप्लीमेंट *(1)* एस. सी. सी. *279;* बिडी सप्लाई कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य *1956* एस. सी. आर. *267*

गुजरात और एक अन्य वी। श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और एक अन्य *(1974) 4* एस. सी. सी. *656 [1974] 3 [2019] 7* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

731 : [2003] 1 एस. सी. आर. *1112;* सूराराम प्रताप रेड्डी और अन्य बनाम। जिला कलेक्टर, रंगा रेड्डी जिला और अन्य *(2008) 9* एस. सी. सी. *552: [2008] 13* एस. सी. आर. *126;* शिवशक्ति शुगर लिमिटेड बनाम। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड और अन्य *(2017) 7* एससीसी *729;* किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1139;* रणधीर सिंह बनाम। भारत संघ और अन्य *(1982) 1* एस. सी. सी. *618: [1982] 3* एस. सी. आर. *298;* हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। जसमेर सिंह और अन्य *(1996) 11* एस. सी. सी. *77: [1996] 8* पूरक। एससीआर *592;* उड़ीसा

कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य

वी. मनोज के. मोहंती *(2003) 5* एससीसी *188: [2003] 3* एससीआर *753;* डब्ल्यू. बी. वी. की सरकार। तरुण के. रॉय और अन्य *(2004) 1* एससीसी *347: [2003] 5* पूरक। एससीआर *656;* इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम। कामगार, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड *(2007) 1* एस. सी. सी. *408: [2006] 9* पूरक। एस. सी. आर. *73;* धीरेंद्र चमोली और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1986) 1* एस. सी. सी. *637;* भगवान दास और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य *(1987) 4* एससीसी *634: [1987] 3* एससीआर *714;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य *(2008) 6* एस. सी. सी. *1: [2008] 4* एस. सी. आर. *1;* सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ

राजस्थान बनाम. भारत संघ और एक अन्य *(2012) 6* एस. सी. सी. ए. टी. ई. ऑफ बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रोगो कमेटी, मंगर

1 : [2012] 2 एस. सी. आर. *715;* कर्नाटक स्टेट प्राइवेट कॉलेज स्टॉप-गैप लेक्चरर्स एसोसिएशन बनाम। कर्नाटक राज्य

और अन्य *(1992) 2* एस. सी. सी. *29: [1992] 1* एस. सी. आर. *397;* बसीरउद्दीन एम. मदारी और अन्य बनाम। की स्थिति कर्नाटक और अन्य *1995* पूरक *(4)* एस. सी. सी. *111;* उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य *v.* आनंद कुमार यादव

और अन्य *(2018) 13* एस. सी. सी. *560: [2017] 10* एस. सी. आर. *428;* उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र राज्य प्रदेश और अन्य *(1993) 1* एस. सी. सी. *645: [1993] 1* एससीआर *594;* एम. सी मेहता बनाम टी. एन. और अन्य राज्य *(1996) 6* एस. सी. सी. *756: [1996] 9* पूरक। एस. सी. आर. *726;* सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम। उमादेवी *(3)* और अन्य *(2006) 4* एससीसी *1: [2006] 3* एस. सी. आर. *953;* गुजरात राज्य और एक अन्य *v.* रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य *(1983) 2* एससीसी *33: [1983] 2* एससीआर *287;* उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे और अन्य

अन्य *(2018) 12* एस. सी. सी. *595: [2017] 7* एस. सी. आर. *905;* नगर परिषद, रतलाम बनाम। श्री वर्दीचंद और अन्य *(1980) 4* एस. सी. सी. *162: [1981] 1* एस. सी. आर. *97;* सचिव और महात्मा गांधी मिशन और एक अन्य *v.* भारतीय कामगार सेना और अन्य *(2017) 4* एस. सी. सी. *449;* मोहिनी जैन बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य *(1992) 3* एस. सी. सी. *666: [1992] 3* एससीआर *658;* हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। एच. पी. राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबंधन *[2019] 7* एस.

समितियाँ और अन्य *(1995) 4* एस. सी. सी. *507;* सचिव बनाम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्मचारी। रेप्टाकोस ब्रेट। & कं. लिमिटेड और दूसरा *(1992) 1* एस. सी. सी. *290: [1991] 2* पूरक।

एस. सी. आर. *129;* चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम

रजनी वली और अन्य *(2000) 2* एससीसी *42: [2000] 1*

एस. सी. आर. *158;* मेनका गांधी बनाम भारत संघ और

दूसरा *(1978) 1* एस. सी. सी. *248: [1978] 2* एस. सी. आर. *621;* हरियाणा राज्य और एक अन्य *v.* तिलक राज और अन्य *(2003) 6* एस. सी. सी. *123: [2003] 1* पूरक। एस. सी. आर. *522;* अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ बनाम। राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

और अन्य वी। सचिव, मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ
विधि और न्याय *(2018) 10* एस. सी. सी. *1: [2018] 7* एससीआर *379*

; आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी

आनंदप्रसादजी महाराज और अन्य बनाम। राज्य की

गुजरात और अन्य *(1975) 1* एस. सी. सी. *11: [1975] 2* एस. सी. आर. *317;* असम सनमिलिता महासंघ और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(2015) 3* एस. सी. सी. *1;* सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ, विधि मंत्रालय और अन्य

(2016) 7 एससीसी *221 [2016] 3* एससीआर *865;* किशोरी

मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1139*

- संदर्भित किया गया।

अभय मनोहर सप्रे के अनुसार, जे। *(एकरूपता)*

पकड़नाः वर्तमान अपीलों में शामिल प्रश्न का निर्णय जोगिंदर सिंह और जेड सिंह मामलों में संविधान पीठ द्वारा दिए गए दो निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में किया जाएगा। सबसे पहले क्योंकि यह एक निर्णय द्वारा दिया गया है

संविधान पीठ; दूसरा क्योंकि यह बिंदु में पूर्व और तीसरा है क्योंकि बाद के निर्णयों में निर्धारित कानून को संविधान द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में पढ़ा गया है *[पैरा 9] [860-एफ-जी]*

*** पंजाब राज्य बनाम। जोगिंदर सिंह *1963* पूरक *(2)* एस. सी. आर. *169; *** जबर सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(1972) 2* एससीसी *275: [1973] 1* एस. सी. आर. *608*-अनुसरण किया गया।

बिडी सप्लाई कं. वी. भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. *1956* एससी *479: [1956]* एससीआर *267;* एन. मीरा रानी बनाम। सरकार. तमिलनाडु और एन. आर. ए. आई. आर *1989* एस. सी. *2027 [1989] 3* एस. सी. आर.

901 - पर भरोसा किया।

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर

रामेश्वर शॉ बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान आकाशवाणी

1964 एससी *334: [1964]* एस. सी. आर. *921* संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

उदय उमेश ललित के निर्णय में, जेः

(2014) 11 एस. सी. सी. *405*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1988] 1 पूरक। एससीआर *411*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

[1988] 3 पूरक। एससीआर *479*

पैरा *31 (ए)*

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर *422*

पैरा *31 (*ए*)*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*ए*)*

[1990] 1 एससीआर *544*

संदर्भित किया गया है

[1997] 4 पूरक। एससीआर *484*

पैरा *31 (*ए*)*

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 पूरक। एससीआर *118*

पैरा *31 (*ए*)*

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर *130*

पैरा *31 (*ए*)*

संदर्भित किया गया है

(2008) 10 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*बी*)*

[2009] 12 एससीआर *394*

पैरा *31 (*बी*)*

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर *429*

पैरा *31 (*बी*)*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*बी*)*

(2014) 13 एस. सी. सी. *792*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*बी*)*

1995 सप. *(1)* एससीसी *279*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*सी*)*

1956 एससीआर *267*

संदर्भित किया गया है

[1974] 3 एससीआर *760*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर *802*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर *368*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर *1036*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*सी*)*

1980 पूरक एस. सी. सी. *155*

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर *717*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 पूरक। एससीआर *947*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर *1112*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

[2008] 13 एससीआर *126*

पैरा *31 (*सी*)*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31 (*सी*)*

(2017) 7 एस. सी. सी. *729*

संदर्भित *[2019] 7*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1963] पूरक। *2* एससीआर *169*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1973] 1 एससीआर *608*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

आकाशवाणी *1962* एससी *1139*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1982] 3 एससीआर *298*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1996] 8 पूरक। एससीआर *592*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2003] 3 एससीआर *753*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2003] 5 पूरक। एससीआर *656*

पैरा *3*

संदर्भित किया गया है

[2006] 9 पूरक। एससीआर *73*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

(1986) 1 एस. सी. सी. *637*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1987] 3 एससीआर *714*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2008] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2012] 2 एससीआर *715*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1992] 1 एससीआर *397*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

1995 पूरक *(4)* एस. सी. सी. *111* *[2017] 10* एससीआर *428*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1993] 1 एससीआर *594*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1996] 9 पूरक। एससीआर *726*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2006] 3 एससीआर *953*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1983] 2 एससीआर *287*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2001] 2 एससीआर *506*

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[2017] 7 एससीआर *797*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 2 एससीआर *348*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1979] 3 एससीआर *532*

संदर्भित किया गया है

पैरा =

[1981] 2 एससीआर *408*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 5 एससीआर *305*

संदर्भित किया गया है

पैरा -

(2013) 4 एससीसी *152*

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[2012] 11 एससीआर *50*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 7 एससीआर *905*

संदर्भित किया गया है

बिहार का पैरा स्टेट बनाम। बिहार द्वितीय शिक्षक स्ट्रुगी समिति, मंगर

[1981] 1 एससीआर *97*

पैरा *46*

संदर्भित किया गया है

(2017) 4 एस. सी. सी. *449*

संदर्भित किया गया है

पैरा *46*

[1992] 3 एससीआर *658*

संदर्भित किया गया है

पैरा *48*

(1995) 4 एससीसी *507*

संदर्भित किया गया है

पैरा *48*

[1991] 2 पूरक। एससीआर *129*

संदर्भित किया गया है

पैरा *49*

[2000] 1 एससीआर *158*

संदर्भित किया गया है

पैरा *49*

(1962) 3 एससीआर *269*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

[2018] 7 एससीआर *379*

संदर्भित किया गया है

पैरा *52*

[1975] 2 एससीआर *317*

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

(2015) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *52*

[2016] 3 एससीआर *865*

संदर्भित किया गया है

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

आकाशवाणी *1962* एससी *1139*

[2016] 7 एससीआर *350*

प्रति क्यूरियम में आयोजित

पैरा *69*

[1978] 2 एससीआर *621*

पीछा किया।

पैरा *74*

[2003] 1 पूरक। एससीआर *522*

पीछा किया।

पैरा *74*

[1992] 1 एससीआर *897*

संदर्भित किया गया है

पैरा *75*

अभय मनोहर सप्रे के निर्णय में, जे।

[1956] एससीआर *267*

उस पर भरोसा करें

पैरा *3*

1963 पूरक *(2)* एस. सी. आर. *169*

पीछा किया।

पैरा *6*

[1973] 1 एससीआर *608*

पीछा किया।

पैरा *6*

[1989] 3 एससीआर *901*

उस पर भरोसा करें

पैरा *8*

[1964] एससीआर *921*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. *4*

2019 से।

एच के *31.10.2017* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. *21199* में पटना में न्यायिक न्यायालय।

के साथ

सिविल अपील सं। *4872 , 4867 , 4866 , 4864 , 4865 , 4869 , 4863 , 4 :*

4870 , 4871 2019 से।

[2019] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., राकेश द्विवेदी, श्याम दीवान, दिनेश द्विवेदी, ललित किशोर, कपिल सिब्बल, विजय हंसारिया, रंजीत कुमार, सलमान खुर्शीद, सुश्री विभा डी. मखीजा, सी. *A.Sundram*, वी. शेखर, वी. एन. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। गोपाल सिंह, मनीष कुमार, शिवम सिंह, अर्जुन खजांची, सुश्री संसृति पाठक, उदियन शर्मा,

गोयल, राघवेंद्र तिवारी, स्वामी नाथ, सुश्री ज्योति कुमारी, अमित पवन, आनंद नंदन, सुमित मिश्रा, टी. सुधाकर, गौरव यादव, मोहित यादव, विरेंद्र खुराना, दुर्गा दत्त, अभिषेक यादव, करुणाकर महालिक, अनिमेष उपाध्याय, संजय कुमार दुबे, सनी जैसवाल, राजीव रंजन द्विवेदी, सुमन कुमार दिवाकर, सुश्री छाया कुमारी, सुशील कुमार, रजनीश भास्कर, उपेंद्र नारायण मिश्रा, अनिलेंद्र पांडे, राघवेंद्र तिवारी, राहुल कुमार, सुकेश कुमार मिश्रा,

पंकज कुमार मिश्रा, वाई. लोकेश, सूर्य नारायण पात्रो, एम. राम प्रसाद, राणा रंजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह, रवीश सिंह, जय कुमार सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

उदय उमेश ललित, जे. *1.* छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक *31.10.2017* आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

2013 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला *No.21199* और सभी संबंधित मामले। *3. 1981* में सभी गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका प्रबंधन बिहार राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। नतीजतन, सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी पैमाने पर वेतन और वेतन दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान, संविधान में अनुच्छेद *21* ए की शुरुआत और बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009 (*संक्षेप में *'*आरटीई अधिनियम*')* लागू होने जैसी योजनाओं के साथ, राज्य को आवश्यक दायित्वों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को शामिल करने की आवश्यकता थी।

पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका स्तर पर कार्यरत इन शिक्षकों को सरकारी स्तर पर दिए जाने वाले शिक्षकों के समान वेतन और वेतन नहीं दिया जाता था। बाद की श्रेणी के शिक्षकों द्वारा दायर "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत पर समान वेतन और परिलब्धियों की मांग करने वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को वर्तमान में राज्य के कहने पर चुनौती दी जा रही है।

4. बिहार के गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों द्वारा *(*अधिग्रहण*)*

प्रबंधन और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1981 (*संक्षेप में *'1981* अधिनियम*')*, गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन और नियंत्रण

राज्य द्वारा लिया गया। धारा *3* के संदर्भ में, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों और केंद्र प्रायोजित, स्वायत्त और स्वामित्व वाले विद्यालयों को छोड़कर सभी गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को राज्य सरकार डब्ल्यू. ई. एफ. *02.10.1980* द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। नतीजतन, प्रत्येक प्रधानाध्यापक, शिक्षक और ऐसे अन्य कर्मचारी स्कूल राज्य सरकार के कर्मचारी बन गए, जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण राज्य सरकार के शिक्षा निदेशक *(*माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी*)* के पास निहित था।

धारा *10* स्कूल सेवा बोर्ड की स्थापना से संबंधित है जिसे राष्ट्रीयकृत स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की शक्ति सौंपी गई थी और बोर्ड शिक्षकों की नियुक्ति और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए सिफारिशें करेगा। जिला माध्यमिक शिक्षा कोष का गठन धारा *11* और *[2019] 7* एस. सी. आर. के आवेदन के तहत किया गया था।

धारा *12* के तहत कोष अन्य बातों के साथ-साथ वेतन के भुगतान के लिए होगा

और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के भत्ते।

5. बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय *(*सेवा शर्तें*)* नियम, *1983* राज्य सरकार द्वारा *1981* के अधिनियम की धारा *9* और *15* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। इन नियमों के तहत प्रधानाध्यापक, उच्च श्रेणी के शिक्षकों, निम्न श्रेणी के शिक्षकों और कनिष्ठ श्रेणी के शिक्षकों के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों जैसे क्लर्क, चपरासी आदि के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित की गई थीं। इन नियमों में प्रत्येक के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है।

उन श्रेणियों में। नियम नियुक्ति की प्रक्रिया, अनुमति और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे विषयों से भी संबंधित थे। नियम *6* शिक्षकों के संवर्ग से संबंधित था और इसका प्रभाव निम्नलिखित थाः

"6. शिक्षकों का संवर्गः

1. वहाँ डिस्ट होगा। कनिष्ठ श्रेणी के शिक्षकों का संवर्ग, जिनमें से

नियंत्रक अधिकारी जिला होगा। शिक्षा अधिकारी।

2. निम्न और उच्चतर श्रेणी के शिक्षकों का कमीशनेयर संवर्ग होगा जिसका नियंत्रक अधिकारी क्षेत्रीय होगा। निर्देशक।

3. प्रधानाध्यापक का राज्य संवर्ग होगा जिसका नियंत्रण होगा।

अधिकारी निदेशक होगा।

गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें संविधान के भाग *IX* के साथ अनुच्छेद *243G* निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"243G पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। - इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों:
स्वशासन की संस्थाएं और ऐसी कानून में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं, जो ऐसी शर्तों के अधीन हों जो हो सकें:

उसमें विनिर्दिष्ट, जिसके संबंध में -

*(*क*)* आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।

न्याय; बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

(ख*)* आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपा जा सकता है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में भी शामिल हैं।

क्रम संख्या *17* के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों में से एक "प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा" है।

7. संविधान *(74* वां संशोधन अधिनियम, *1992)* द्वारा भाग *IXA (*जिसमें अनुच्छेद *243P* से *243Z, 243ZA* से *243ZG* शामिल हैं*)* को संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद *243* क्यू के संदर्भ में संविधान के उक्त भाग *IXA* के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाएगा।

नगरपालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित अनुच्छेद *243* डब्ल्यू निम्नानुसार हैः

"243 डब्ल्यू. की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ

नगरपालिकाएँ, आदि-इसके प्रावधानों के अधीन

"(क*)* ऐसी शक्तियों और प्राधिकार वाली नगरपालिकाएँ जो उन्हें स्वयं की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
सरकार और ऐसी कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकते हैं, जो ऐसी शर्तों के अधीन हो जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं -

((i) आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।

न्याय;

((ii) कार्यों का निष्पादन और उन योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपी जा सकती हैं, जिनमें संबंधित कार्य भी शामिल हैं।

बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के लिए;
*((*ख*)* ऐसी शक्तियों और प्राधिकार वाली समितियाँ जो उन्हें प्रदत्त जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, जिनमें निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी शामिल हैं -

बारहवीं अनुसूची "।

धारावाहिक *No.13* में बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों में से एक में कहा गया है, "सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना"।

8. संविधान *(86* वां संशोधन अधिनियम, *2002)* द्वारा जो *01.04.2010* पर लागू हुआ, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद *21* ए

संविधान में शामिल किया गया था। कहा गया अनुच्छेद *21* ए निम्नानुसार हैः

" 21 ए. शिक्षा का अधिकार। राज्य निःशुल्क प्रदान करेगा और छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए इस तरह से अनिवार्य शिक्षा जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।

9. 2006, 1981 के बिहार अधिनियम *25* द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था। मरम्मत अधिनियम की धारा *2* निम्नानुसार थीः

" अधिनियम, *1981* की धारा *10* का संशोधन *(*बिहार अधिनियम *33,1982)*-शब्द "पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश"

राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या निदेशक को भेजी जाएगी,

बिहार कर्मचारी चयन द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग

बिहार अधिनियम *14,2004* द्वारा प्रतिस्थापित धारा *10* में उपयोग किए गए आयोग को इसके द्वारा हटा दिया जाता है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में निदेशक की भूमिका को समाप्त कर दिया गया।

10. मई *2006* में मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए दो मसौदा नोट तैयार किए गए। इन टिप्पणियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई ताकि शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके और अनुछेद *21* ए के प्रावधानों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। टिप्पणियों के कुछ प्रासंगिक भाग थेः

"के अनुसार

भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* ए के प्रावधान,

1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार बन गया है। यह है जिम्मेदारी

राज्य समानता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा

और सामाजिक न्याय। वर्तमान में सरकारी स्कूलों का अनुपात

शिक्षक और छात्र *1: 62 .* जबकि राष्ट्रीय स्तर पर

शैक्षिक नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के आलोक में, यह अनुपात होना चाहिए।

8 साल तक अपनी शिक्षा पूरी करें। इस वर्ष *15000* नए प्राथमिक विद्यालयों और लगभग *24,000* मौजूदा विद्यालयों के समेकित विकास की योजना है। वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है। प्रशिक्षकों की सहायता से "शिक्षा केंद्रों" में बच्चों को दिया जाता है। समानता और सामाजिक न्याय के आलोक में यह सोचा जाता है कि वे शिक्षकों की मदद से पूरी तरह से विकसित स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान करें। ए. टी. ई. ऑफ बिहार वी.

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

" *9.* नए नियमों में प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। वे करेंगे।

प्रति माह *Rs.500 0/-* का निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा और उनके मूल्यांकन के आधार पर, उनके सफल होने की स्थिति में, प्रत्येक तीन वर्षों में, *Rs.500/-* प्रति माह की वृद्धि दी जाएगी। नियुक्ति विकेंद्रीकृत होगी। प्रखंड स्तर पर, यह योग्यता सूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें "पंचायत शिक्षक" कहा जाएगा और शहरी क्षेत्र में उन्हें "नगर शिक्षक" कहा जाएगा।

यह उम्मीद की जाती है कि इस नई योजना में और निश्चित वेतन/वजीफे पर आम तौर पर स्थानीय लोगों को शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा और जो राशि वर्तमान पूर्ण वेतन प्रदान करने के खर्चों के परिणामस्वरूप बचाई जाएगी, वह प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

10. नए नियम का शिक्षकों के वेतन और उनकी पहले की गई नियुक्तियों के नियमों और शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके रिक्त पदों को हटा दिया जाएगा और नई व्यवस्थाओं/नियमों के तहत समान संख्या में पदों का सृजन किया जाएगा। इस पर नियुक्ति नए नियमों के तहत की जाएगी। भविष्य में आने वाली रिक्तियों में भी इसी तरह की व्यवस्था/प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

इन प्रावधानों के तहत, पंचायत राज संस्थानों को नियुक्ति के प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार नए शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन के भुगतान और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों की शक्ति प्रदान की जा रही है। चल/अचल

विद्यालयों की संपत्ति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, अध्ययन/अध्ययन सामग्री के पाठ्यक्रम का निर्माण,

पुस्तक का निर्माण, मूल्यांकन आदि सभी कार्य पहले की तरह राज्य सरकार के अधीन होंगे।

.....

" *5.* पिछली नियुक्ति प्रक्रिया में कठिनाइयाँ: - केंद्रीकृत परीक्षा परीक्षा में, जैसा कि पहले अपनाया गया था, शिक्षकों के चयन और नियुक्ति में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछला अनुभव दर्शाता है कि आयोजन में और

आई.

इस तरह की परीक्षाओं का मूल्यांकन करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत समय लगता है।
यदि चयन केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है, तो संभावना है

ii.

अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की भी भागीदारी और

व्यावहारिक कठिनाई आएगी, पात्रता का सत्यापन

प्रमाण पत्र आदि।

केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया के बाद, एक व्यावहारिक कठिनाई

iii.

स्थानांतरण और नियुक्ति आदि में उम्मीदवारों का सामना करना पड़ेगा

भुगतना भी पड़ेगा।

6. रोजगार की प्रस्तावित प्रक्रियाः - उपरोक्त पर विचार करते हुए

उक्त तथ्य/पहलू, प्रस्ताव यह है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत है और भारत के संविधान के *73* वें और *74* वें संशोधन के आलोक में, इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थान/निकायों को दी जानी चाहिए।

विद्यालय की चल और अचल संपत्ति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, पाठ्यक्रम/अध्ययन सामग्री,

अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन आदि का निर्माण पहले की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा।

.....

" 8. उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत, यदि भुगतान *Rs.6000/-* प्रति शिक्षक *(*केवल छह हजार*)* की दर से किया जाता है, तो वित्तीय निहितार्थ *Rs.89,82,72,000/- (*केवल *89* करोड़ *82* लाख *72* हजार*)* होगा, जो खर्च करने की आवश्यकता होगी।

यदि वर्तमान प्रक्रिया के तहत इन सभी पदों पर नियुक्ति की जाती है, तो कुल *Rs.160,83,56,016 (*केवल एक सौ साठ करोड़ *83* लाख *56* हजार सोलह रुपये*)* की राशि खर्च करने का अनुमान है। इस तरह से यदि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति नए प्रस्तावित नियमों के तहत की जाती है, तो कुल राशि *Rs.71,00,84,016 (*केवल इकत्तर करोड़, चौरासी हजार सोलह रुपये*)*

बचा लिया। इस बचत राशि से निश्चित वेतन पर शिक्षकों के कुल *10,000* पद सृजित किए जा सकते हैं। इन सृजित पदों से, राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के उद्देश्यों के लिए, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की जाएंगी। ए. टी. ई. ऑफ बिहार वी.

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

11. इसके बाद, बिहार पंचायत के प्राथमिक शिक्षक

नियुक्ति और सेवा शर्तें*)* नियम, *2006 7.2006* पर लागू हुए। उक्त नियमों के प्रारंभिक पाठ में कहा गया है:

" भारत के संविधान के अनुच्छेद *243*-जी *(11* वीं अनुसूची धारा *no.17)* और बिहार पंचायत राज अधिनियम-*2006* के अनुच्छेद *146* के साथ पठित अनुच्छेद *47* और *48* के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रोजगार के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

नियमः

भारतीय संविधान के अनुच्छेद *21 (*ए*)* के तहत *1* वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बन गया है। इसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि

प्रारंभिक शिक्षा *(*प्रणाली*)* में सुधार और विस्तार के लिए व्यापक कार्यक्रमों को अपनाना। हजारों नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और बड़ी संख्या में शिक्षकों को रोजगार देने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक हो गया है कि

73 वें और *74* वें संशोधनों के आलोक में प्राथमिक शिक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थानों को सौंपना।

संविधान। नतीजतन, उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह नियम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रोजगार के लिए बनाया जा रहा है।

उक्त नियमों के नियम *3* और *4* निम्नलिखित प्रभाव वाले थेः

"3. पंचायत प्राथमिक शिक्षक का ग्रेड-पंचायत प्राथमिक शिक्षकों के दो ग्रेड होंगेः *(*क*)* खंड शिक्षक *(*शारीरिक शिक्षा शिक्षकों सहित वे शिक्षक जो खंड स्तर पर कार्यरत हैं*)*।

*(*ख*)* "पंचायत शिक्षक" *(*पंचायत में कार्यरत शिक्षक*)*

स्तर*)*।

4. पंचायत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति

(1) पंचायत समिति द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रखंड शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा और पंचायत शिक्षकों को इन विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय।

(2) उपरोक्त दोनों स्तरों पर श्रेणीवार पैनल प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग तैयार किया जाएगा।

प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद अगर पद बने रहते हैं खाली, अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगर पोस्ट करें

खाली रहते हैं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है और दो साल के शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

उनके लिए।

(3) आरक्षित श्रेणी में यदि उच्च माध्यमिक/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे, तो माध्यमिक परीक्षा

(मैट्रिक*)* उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। अधिकतम छह वर्ष।

नियम *9* "रोजगार की प्रक्रिया" से संबंधित है और कहा गया है कि पदों का विज्ञापन ब्लॉक/पंचायत के भीतर किया जाएगा, जिसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों से खंड शिक्षकों के लिए खंड संगठन विस्तार अधिकारी और पंचायत शिक्षकों के सचिव द्वारा राशन फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे। नियम *9* का उप-नियम *7*

तैयार करने के लिए समिति के गठन और अनुमोदन के साथ

निम्नानुसारः

" *7.* तैयार करने के लिए समिति का गठन और अनुमोदन पैनलः

पैनल निम्नलिखित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार किया जाएगाः

(ए*)* ब्लॉक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक के लिएः

(i) पंचायत समिति के प्रमुख-अध्यक्ष

(11) कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति-सदस्य।

पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा एक सदस्य का चुनाव

(iii)

समिति। *(* यदि परमुख पुरुष सदस्य हैं, तो निर्वाचित सदस्य कार्यकारी एक महिला होगी*)*

((iv) खंड शिक्षा विस्तार अधिकारी-सदस्य सचिव

(ख) पंचायत शिक्षक के लिए:

ग्राम पंचायत के मुखिया-अध्यक्ष

((i)

((ख)

पंचायत मामला मुखिया एक पुरुष है, निर्वाचित सदस्य है
महिला-सदस्य होगी।

बिहार वी. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

पंचायत समिति का सदस्य जिसका क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र में फैला हो-सदस्य

माध्यमिक विद्यालय से एक शिक्षक या तो

द्वारा नामित पंचायत के निकट पंचायत

डी. ई. ओ.-सदस्य। सचिव ग्राम पंचायत-सदस्य सचिव।

लेकिन उपरोक्त दोनों समितियों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। ध्यान दें: - *(*गैर-अस्तित्व*)* के गैर-घटक के मामले में

पंचायत समिति और ग्राम की शिक्षा समिति

प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा नामित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का एक सदस्य पंचायत होगा।

समिति के सदस्य बनें।

तैयारी के बाद, पैनल को प्रकाशित किया जाएगा या जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा-उनकी आपत्ति/शिकायतों के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का समाधान करना,

पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा।

खंड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार पैनल और

पंचायत समिति से स्वीकृत होंगे पंचायत शिक्षक

और ग्राम पंचायत क्रमशः।

चयनित सदस्यों को अनुसुची-*II* में उल्लिखित वरीयता के अवरोही क्रम में उपरोक्त समितियों द्वारा परामर्श के माध्यम से उनके इच्छुक स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। योग्यता के आधार पर पैनल तैयार किया जाता है।

चयनित उम्मीदवार को रोजगार पत्र दिया जाएगा। *(* अनुसुची-*III)*

उनके शामिल होने को उनके सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

नियम *12* के अनुसार, प्रशिक्षित ब्लॉक शिक्षक और पंचायत के साथ-साथ अप्रशिक्षित ब्लॉक शिक्षक और पंचायत शिक्षक जो निश्चित वेतन पर कार्यरत हैं और प्रशिक्षित ब्लॉक शिक्षक और शिक्षक हर तीन साल में अपने निश्चित वेतन में वृद्धि के हकदार होंगे, जबकि अप्रशिक्षित ब्लॉक शिक्षक और शिक्षक हर *[2019] 7* एस. सी. आर. में *Rs.300/-* की वृद्धि के हकदार होंगे।

तीन साल। नियम *13* के तहत पद गैर-हस्तांतरणीय थे। निरसन और बचत से संबंधित नियम *20* के तहत यह कहा गया था कि पिछले परिपत्रों, आदेशों, निर्देशों के तहत कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्रों को इन नियमों के तहत पंचायत शिक्षकों के रूप में नियोजित माना जाता था।

12. 11.07.2006 पर, राज्य द्वारा नियमों के दो सेट बनाए गए थे। पहला, सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति के विषय पर विचार करना।

राज्यों के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय जबकि दूसरे समूह में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का विषय था। नियमों के दोनों सेटों के संबंध में प्रारंभिक पाठ समान थे और निम्नलिखित प्रभाव के थेः

"राज्य सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरना आवश्यक है। इसके अलावा और अधिक स्कूलों और शिक्षकों की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, *1986/1992* के अनुसार *10 + 2 + 3* पैटर्न के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के *+ 2* स्तर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। संविधान के *73* वें और *74* वें संशोधन के अनुसार, सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया है

और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को सौंपना। ये नियम विशेष योजना के तहत इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जा रहे हैं।
माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति।

ए*)* नियमों के पहले समूह को बिहार नगर निकाय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा*)* कहा जाता था।

शर्तें*)* नियम *2006*। नियम *4* भाग ए के तहत नगरपालिका माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के विषय से संबंधित है जबकि भाग बी नगरपालिका उच्चतर के संबंध में समान मुद्दों से संबंधित है।

में स्थित सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या उस क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्रों का विज्ञापन किया जाएगा। नियम *6* का उप-नियम *(6)* पैनल तैयार करने के लिए समितियों के गठन से संबंधित है।

नगरपालिका पंचायत/नगर निगम बोर्ड और नगर निगमों के लिए निम्नानुसार सम्मानः

टी. ई. ऑफ बिहार बनाम. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

"समिति की तैयारी और उसके अनुमोदन के लिए समिति का गठन

प्राप्त आवेदनों के आधार पर, निम्नलिखित समिति पैनल तैयार करेगीः

*(*क*)* नगरपालिका पंचायत/नगरपालिका बोर्ड के लिए समिति

1. नगरपालिका पंचायत के अध्यक्ष

/ नगरपालिका बोर्ड

2. एक चयनित शिक्षा सदस्य

सदस्य

नगरपालिका पंचायत समिति /

नगर निगम बोर्ड *(*पुरुष के मामले में*)*

अध्यक्ष, चयनित सदस्य होगा

महिला*)*

3. नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी

सदस्य

पंचायत/नगर निगम बोर्ड
संबंधित उप-मंडल

सदस्य

सचिव

4. अधिकारी

यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो जिला कल्याण अधिकारी समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा।

लेकिन नगर पंचायत/नगर बोर्ड की शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल *1* वर्ष का होगा।
ध्यान दें: - नगरपालिका पंचायत/नगरपालिका बोर्ड की शिक्षा समिति का गठन न होने की स्थिति में, जिला स्तर के एक अधिकारी को नगरपालिका पंचायत/नगरपालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

*(*ख*)* नगर निगम के लिए समिति

1 . नगर निगम के महापौर

राष्ट्रपति

सदस्य

2 . शिक्षा का एक चयनित सदस्य

नगर निगम की समिति।

(पुरुष अध्यक्ष के मामले में, चयनित

सदस्य महिला होगी*)*

नगरपालिका सदस्य का अधिकारी

3 . कार्यपालक

निगम

4

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी

सदस्य

यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो जिला कल्याण अधिकारी समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा।

लेकिन शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल

नगर निगम का कार्यकाल *1* वर्ष का होगा।

ध्यान दें: नगर निगम की शिक्षा समिति का गठन न होने की स्थिति में जिला स्तर के एक अधिकारी को नगर निगम के मुख्य अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

3 साल से। इसी तरह, नगर निगम के उच्च माध्यमिक शिक्षकों, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, का वेतन भी एक निश्चित वेतन था, जिसमें *3* साल की प्रतियोगिता में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रेणियों के लिए *Rs.700* प्रति माह और *Rs.600* प्रति माह की वृद्धि थी। नियम *10* के तहत, नगरपालिका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद आम तौर पर हस्तांतरणीय नहीं थे, लेकिन तीन साल पूरे होने के बाद, शिक्षक नगर निकाय के

अधिकार क्षेत्र में अधिकतम दो स्थानांतरणों की सुविधा का लाभ उठा सकते थे। नियम *16 (2)* का प्रभाव निम्नलिखित थाः

ये नियम पिछले नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त सरकारी, राष्ट्रीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे।

ख*)* नियमों के दूसरे समूह को बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा*)* कहा जाता था।

शर्तें*)* नियम, *2006*। नियम *4* भाग-ए के तहत जिला बोर्ड माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के विषय से संबंधित है जबकि भाग-बी जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में समान मुद्दों से संबंधित है। रोजगार की प्रक्रिया नियम *6* में दी गई थी, जिसके अनुसार सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की जानकारी

जिले में जिला बोर्ड क्षेत्रों का विज्ञापन किया जाएगा। उक्त नियम *6* के उप-नियम *(6)* में जिला बोर्डों के संबंध में पैनल तैयार करने के लिए समितियों के गठन के बारे में बताया गया हैः

"vi. पैनल तैयार करने के लिए समिति का गठन और

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

प्राप्त आवेदनों के आधार पर, निम्नलिखित समिति

पैनल तैयार करेगाः

जिला बोर्ड के अध्यक्ष

राष्ट्रपति

ए

बी

सदस्य महिला होगी*)*
उप विकास आयुक्त

एस.

सदस्य

डी

जिला शिक्षा अधिकारी

सदस्य

सचिव

समिति, फिर जिला कल्याण अधिकारी अतिरिक्त होगा
समिति के सदस्य।

लेकिन शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल

जिला बोर्ड का कार्यकाल *1* वर्ष का होगा।

ध्यान दें: - शिक्षा समिति के गैर-गठन के मामले में

उप विकास आयुक्त द्वारा "।
नियम *8* के अनुसार, जिला माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित और

अप्रशिक्षित, हर महीने निश्चित वेतन के हकदार होंगे और एक

तीन वर्ष पूरे होने पर क्रमशः *Rs.600/-* प्रति माह और *Rs.500/-* प्रति माह की वृद्धि। इसी तरह, जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, भी तीन साल पूरे होने पर प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रेणियों के लिए क्रमशः *<ID1/-* प्रति माह और *<ID2/-* प्रति माह की वृद्धि के साथ एक निश्चित वेतन के हकदार होंगे। के तहत

नियम *10,* जिला बोर्ड माध्यमिक और जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद आम तौर पर गैर-हस्तांतरणीय थे, लेकिन तीन साल पूरे होने पर, शिक्षक जिला बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में अधिकतम दो स्थानांतरणों की सुविधा का लाभ उठा सकते थे। नियम *16 (2)* निम्नानुसार था:

"ये नियम वेतन और सेवा शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे।
सरकारी, राष्ट्रीयकृत माध्यमिक और उच्चतर के शिक्षक

पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत नियुक्त माध्यमिक विद्यालय
नियम "।

13. इस प्रकार, जुलाई, *2006* में नियमों के तीन सेट लागू हुए। बिहार

पंचायत प्राथमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा शर्तें*)*

शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित शिक्षक *(*रोजगार और सेवा शर्तें*)* नियम, *2006 11.7.2006* पर लागू हुए। बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित उच्च माध्यमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा शर्तें*)* नियम, *2006* भी *11.7.2006* पर लागू हुए। सुविधा के लिए नियमों के इन तीन सेटों को इसके बाद *'2006* नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है और उक्त नियमों के संदर्भ में नियुक्त शिक्षकों को, फिर से सुविधा के लिए, 'नियोजीत शिक्षक' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति सभी आधिकारिक परिपत्रों और प्रस्तावों में दिखाई देती है।

2006 के नियम बनाए जाने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

राज्य में स्कूल *2006* के उक्त नियमों के आधार पर बनाए गए थे। उन शिक्षकों को देय सेवा शर्तों और परिलब्धियों को *2006* के नियमों के संबंधित सेटों के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया गया था। हालाँकि, उन शिक्षकों को देय वेतन थे,

हालाँकि, यह राज्य का नीतिगत निर्णय था कि *2006* के बाद पहली श्रेणी में कोई नई नियमित नियुक्तियाँ नहीं होंगी। और *2006* के बाद की सभी नियमित नियुक्तियां केवल *2006* के नियमों यानी दूसरी श्रेणी के संदर्भ में होंगी। हालांकि, एक अपवाद है जिसके तहत कुछ शिक्षकों को पहली श्रेणी के तहत नियुक्त किया गया था।

2006 के बाद जिस पर आगे विचार किया जाएगा। इस तरह के अपवाद को छोड़कर,

नीतिगत निर्णय यह था कि पहली श्रेणी में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और पहली श्रेणी को मरने या गायब होने वाले कैडर के रूप में माना जाएगा।

बिहार का बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

. 6 से *14* वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त नाड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित आर. टी. ई. अधिनियम

मुझे *01.04.2010* पर लागू करें।

. धारा *2 (ए), (एफ)* और *(एन)* जो 'उपयुक्त शिक्षा', 'प्राथमिक शिक्षा' और 'स्कूल' शब्दों को परिभाषित करती हैं, वे इस प्रकार हैं:*2.* परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -

(क*)* "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है -

(i) केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, जिनके पास कोई विधायिका नहीं है, द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित स्कूल के संबंध में केंद्र सरकार*;* *((ii)* उपखंड *(i)* में निर्दिष्ट विद्यालय के अलावा किसी ऐसे विद्यालय के संबंध में, जो -

*((*क*)* एक राज्य, राज्य सरकार*;* *(* ख*)* विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश, सरकार

उस केंद्र शासित प्रदेश का*;*

(च*)* "प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ है शुरू से ही शिक्षा।

कक्षा से आठवीं तक*;*

.....

(एन*)* "स्कूल" का अर्थ है कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल जो शिक्षा प्रदान करता है।

प्रारंभिक शिक्षा और इसमें शामिल हैं -

(i) द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित एक विद्यालय

उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण;

((ii) एक सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार से अपने पूरे या आंशिक खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करता है या

स्थानीय प्राधिकरण;

((ग) निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित एक विद्यालय; और *(iv)* एक गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है; *"[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ख. अधिनियम का अध्याय *III* "उपयुक्त कर्तव्यों" से संबंधित है।

शासन, स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावक और इस अध्याय की धारा *6* और *7* निम्नानुसार हैं:

" 6. उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य विद्यालय स्थापित करें। - इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए,

उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, पड़ोस के ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर, जो विहित किया जाए, स्थापित करेंगे:

एक स्कूल, जहाँ यह इतना स्थापित नहीं है, तीन की अवधि के भीतर

इस अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्षों से।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास होगा पूरा करने के लिए धन प्रदान करने के लिए समवर्ती जिम्मेदारी

इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के अनुमान तैयार करेगी।

(3) केंद्र सरकार राज्य को प्रदान करेगी सरकार, राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत जो वह समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित करे।

(4) केंद्र सरकार राष्ट्रपति से अनुच्छेद *280* के खंड *(3)* के उपखंड *(*डी*)* के तहत वित्त आयोग को संदर्भित करने का अनुरोध कर सकती है ताकि अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता की जांच की जा सके।

किसी भी राज्य सरकार को प्रदान किए जाने वाले संसाधन ताकि

कहा गया है कि राज्य सरकार वहन के लिए धन का अपना हिस्सा प्रदान कर सकती है।

अधिनियम के प्रावधानों को बाहर निकालें।

(5) उप-धारा *(4)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, द्वारा प्रदान की गई राशियों को ध्यान में रखते हुए

उप-धारा *(3)* के तहत किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार और उसके अन्य संसाधन इसके लिए धन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन। *(6)* केंद्र सरकार करेगी

(क) धारा *29* के तहत निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकरण की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा विकसित करना; बिहार का ए. टी. ई. *v.*

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास और उन्हें लागू करना;
(ग) नवाचार, अनुसंधान, योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करना।

और क्षमता निर्माण "।

ग. अध्याय *IV "*विद्यालयों की जिम्मेदारियों और

उनका और धारा *23* और *25* शिक्षकों की सेवा की योग्यता के साथ-साथ छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

:

" 23. नियुक्ति के लिए योग्यता और नियम और शर्तें

शिक्षकों की सेवा। -

(1) ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

केंद्र द्वारा अधिकृत एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्ति के लिए पात्र होगी

शिक्षक।

(2) जहाँ किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं, या जिनके पास शिक्षक हैं उप-धारा *(1)* के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, केंद्र सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए

आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं में ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई पांच वर्ष से अधिक न होः

बशर्ते कि एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, उप-अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं।

धारा *(1)* के अंतर्गत ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ प्राप्त होंगी -

पाँच वर्ष की अवधि। बशर्ते कि प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति या पद पर

31 मार्च, *2015*, जिनके पास उप-धारा *(1)* के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, वे निम्न तिथि से चार साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे।

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2017* की शुरुआत। *(3)* देय वेतन और भत्ते, और शर्तें और

शिक्षक की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो हो सकें -

निर्धारित किया गया।

25. छात्र-शिक्षक अनुपात। - *(1)* इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन साल के भीतर, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र-शिक्षक अनुपात,

(2) छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के उद्देश्य से
उप-धारा *(1)*, किसी स्कूल में तैनात किसी भी शिक्षक को किसी अन्य स्कूल या कार्यालय में सेवा करने के लिए या किसी अन्य स्कूल या कार्यालय में सेवा करने के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।

धारा *27* में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य शैक्षणिक उद्देश्य।
D. धारा *35* केंद्र सरकार को जारी करने का अधिकार देती है

जबकि धारा *38* उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है। आर. टी. ई. अधिनियम की धारा *38* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, *2010" (*इसके बाद *"2010* नियम*"* के रूप में संदर्भित*)* बनाया, जो *8.4.2010* पर लागू हुआ। *2010* के नियमों का भाग *VI* 'शिक्षकों' विषय से संबंधित है और उक्त भाग *VI* में आने वाला नियम *20* निम्नानुसार हैः

" 20. वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें

शिक्षक। — *(1)* केंद्र सरकार या उपयुक्त
सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, सेवा और वेतन और भत्तों के नियम और शर्तों को अधिसूचित करेगा।

उनके द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को बनाने के लिए

समिति; *(ख)* शिक्षण में शिक्षकों की दीर्घकालिक हिस्सेदारी को सक्षम करने वाले प्रावधान।

पेशा.

(3) समान योग्यता, कार्य और अनुभव के लिए शिक्षकों के वेतन और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ समान होंगे। ”

15. आर. टी. ई. अधिनियम की धारा *38* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य ने बिहार राज्य को मुक्त और अनिवार्य ए. टी. ई. बनाम बनाया।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*बाल नियम, *2011* का अनुमोदन। नियम *2 (1) (*के*)* और नियम *4* में सभी बस्तियों के *1* किलोमीटर के भीतर एक एरी स्कूल की स्थापना के बारे में बात करते हुए पड़ोस की अवधारणा निम्नानुसार थीः

" 4. (1) पड़ोस के वे क्षेत्र या सीमाएँ जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नानुसार होंगे -

*(क) 1 (*एक*)* किलोमीटर की सीमा के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। सभी बस्तियों में, जहाँ बच्चों की संख्या

6-14 वर्ष की आयु कम से कम *40 (*चालीस*)* हैः

(ख) एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए

(2) जहां भी आवश्यकता होगी, राज्य सरकार एक प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में उन्नत करेगी। *(3)* कठिन भूभाग वाले स्थानों में, बाढ़, भूस्खलन, कटाव, सड़कों की कमी और सामान्य रूप से छोटे बच्चों के लिए खतरा

अपने घरों से विद्यालय तक पहुँचने के लिए, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण निर्दिष्ट सीमाओं में ढील देकर इस तरह के खतरों से बचने के लिए विद्यालय का पता लगाने पर विचार कर सकते हैं।

नियम *4* के उप नियम *(1)* के तहत।

(4) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई बहुत छोटी बस्तियों के बच्चों के लिए, जहां ऊपर उप-नियम *(1)* के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर कोई स्कूल मौजूद नहीं है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण मुफ्त परिवहन, आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य सुविधाएँ। *(5)* उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, राज्य सरकार /

स्थानीय प्राधिकरण एक से अधिक की स्थापना पर विचार कर सकता है।

पड़ोस के स्कूल में बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए

ऐसे क्षेत्रों में *6-14* वर्ष का आयु वर्ग।

(7) विकलांग बच्चों के संबंध में, जो उन्हें स्कूल तक पहुँचने से रोकते हैं, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण उचित और सुरक्षित परिवहन *[2019] 7* एस. सी. आर. बनाने का प्रयास करेंगे।

उनके लिए स्कूल जाने और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल में बच्चों की पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बाधित न हो कारक "।

नियमों के भाग *6* में "शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता ई अधिनियम की धारा *23* और नियम *17* की उप धारा *(1)* के उद्देश्य" से संबंधित है।

इसके अंतर्गत हैः

"शिक्षकों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें

अधिनियम की धारा *23* की उप-धारा *(3)* के प्रयोजन के लिए *17. (1)* राज्य सरकार एक पेशेवर और स्थायी व्यक्ति के निर्माण के लिए वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को अधिसूचित करेगी।

शिक्षकों का संवर्ग।

(2) निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा

उप-नियम *(1)* और विशेष रूप से सेवा की शर्तों के निर्धारण के लिए पूर्वाग्रहः

(क) शिक्षकों को विद्यालय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

अधिनियम की धारा *21* के तहत गठित शिक्षा समिति।

(ख) अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण का प्रावधान

शिक्षकों को लंबे समय तक शिक्षण पेशे में रहना चाहिए।

16. इसके तुरंत बाद बिहार पंचायत के प्राथमिक शिक्षक

नियुक्ति और सेवा शर्तें*)* नियम, *2012* लागू हुए। *2012 .* नियम *2 (i) (ii) (iii)* को क्रमशः परिभाषित करते हुए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय शब्द इस प्रकार हैं:

"*((i)* "प्राथमिक विद्यालय" से सरकार या सरकार द्वारा अधिग्रहित ऐसे विद्यालय अभिप्रेत हैं जहाँ वर्तमान में शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्ग-*V* स्तर।

((ii) "माध्यमिक विद्यालय" का अर्थ है सरकार/सरकार द्वारा लिया गया विद्यालय।

उन विद्यालयों में जहाँ वर्तमान में कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है आठवाँ स्तर।

((iii) "प्राथमिक विद्यालय" का अर्थ है सरकार/सरकार।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर कब्जा कर लिया। " बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

नियम *5* में रोजगार के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है।

कक्षा *I* से *V* और कक्षा *VI* से *VIII* के लिए शिक्षकों का सम्मान। नियम *15* शिक्षकों के समेकित वेतन से संबंधित है जो इस प्रकार है:

" 15. नियोजीत शिक्षकों की सेवा शर्तें। *- (अ)*

समेकित वेतन। *- (i)* पंचायत के प्राथमिक शिक्षक करेंगे
समेकित वेतन निम्नानुसार प्राप्त करें:

- प्रशिक्षित शिक्षक *(*बुनियादी ग्रेड*)*

7000 / - प्रति माह

- अप्रशिक्षित शिक्षक *(*बेसिक ग्रेड*)*

6000 / - प्रति माह

- प्रशिक्षित शिक्षक *(*स्नातक श्रेणी*)*

*8000 / -*प्रति माह

अप्रशिक्षित शिक्षक *(*स्नातक श्रेणी*)*

7500 / - प्रति माह

- प्रशिक्षित शिक्षक *(*एच. एम. मिडिल स्कूल*)-14000/-* प्रति माह

((ii) प्रशिक्षकों को प्रति माह *4000/-* समेकित वेतन मिलेगा।

(iii) यदि भविष्य में राज्य सरकार संशोधन करने का निर्णय लेती है।

उनके समेकित वेतन के अनुसार उन्हें वेतन मिलेगा।

(iv) कोई अन्य भत्ते जैसे महँगाई भत्ता, घर का किराया नहीं।

भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि होगा।

पंचायत के प्राथमिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों को दिया गया

इन नियमों के तहत कार्यरत "।

उप नियम *(*बी*)* ने तब वेतन वृद्धि से निपटा और कहा कि

रोजगार नियम, *2006* के अनुसार सरकार के निर्देशानुसार नियोजीत शिक्षकों का मूल्यांकन *("*दक्षता परीक्षण*")* किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर सामान्य श्रेणी में *45* प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी में *40* प्रतिशत प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को उनके समेकित वेतन में *Rs.500* की वृद्धि मिलेगी, जबकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन साल के बाद उनके निश्चित वेतन में *Rs.300/-* की वृद्धि मिलेगी।

उप नियम *(*च*)* "पदोन्नति" से संबंधित है और उसके बाद खंड *3* में कहा गया है

माध्यमिक विद्यालयों के निश्चित वेतन में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से और खंड स्तर पर स्नातक ग्रेड में कम से कम *5* साल की न्यूनतम संतोषजनक सेवा वाले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से दी जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान किए गए थे।

बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक *(*रोजगार और सेवा शर्तें*)* नियम, *2012* द्वारा।

सत्ता नियुक्ति पंचायती राज संस्थानों के पास निहित थी, एक अपवाद था और इसमें कुछ सहायक शिक्षक थे। माध्यमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों के रूप में नियमित वेतनमान वर्ष *2013* में निम्नलिखित परिस्थितियों में नियुक्त किया गया था।

दिसंबर *2003* में किसी समय राज्य द्वारा सहायक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि, चयन प्रक्रिया के दौरान पैनल तैयार करने में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। इसलिए पैनलों को रद्द करने के आदेश जारी किए गए। कुछ उम्मीदवारों द्वारा एक चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने राज्य को रिक्तियों की पुनः गणना करने और प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था

चयन के लिए। राज्य द्वारा इस न्यायालय में दायर *2004* की विशेष अनुमति याचिका *No.22882* को वापस ले लिया गया था। इसके बाद, राज्य ने *2006* के नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया, जिसके कारण इस न्यायालय में *2007* की अवमानना याचिका दायर की गई। इस न्यायालय ने दिनांक *1* के आदेश द्वारा राज्य सरकार को दिसंबर *2003* में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सहायक शिक्षकों के *34540* पदों को एक बार की नियुक्ति के रूप में भरने का निर्देश दिया।

इसलिए बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, *2010* बनाए गए। ये नियम अपवादात्मक थे।

ऐसी स्थिति जिसे "एक बार की नियुक्ति" के रूप में शैलीबद्ध किया गया था। तदनुसार, *2013* में *34540* शिक्षकों को नियमित वेतनमान पर सरकारी शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति में बदलाव के कारण शिक्षकों को समायोजित करने में राज्य द्वारा व्यक्त की गई कठिनाई सहित विकास को इस न्यायालय द्वारा नंद किशोर ओझा बनाम में निपटाया गया था। अंजनी कुमार सिंह 'निम्नानुसारः

" 1. 2004 के एस. एल. पी. *(*सी*)* संख्या *22882* में दायर *2007* की अवमानना याचिका *(*सी*)* संख्या *297*, बिहार राज्य द्वारा *18-1-2006* पर दिए गए वचन के कथित उल्लंघन से उत्पन्न हुई और इसके आधार

पर इस न्यायालय द्वारा *23-1-2006* पर आदेश पारित किया गया। नंद किशोर ओझा *(2014 11* एस. सी. सी. *404)* जैसा कि हमने अपने दिनांक *9-1-2009* के आदेश में संकेत दिया है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए बिहार राज्य के खिलाफ कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। एक स्तर पर,

1 (2014) 11 एस. सी. सी. *405* बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

उपक्रम दिए गए, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सका।
तदनुसार, हमने निर्देश देते हुए आदेश पारित किए थे कि प्रशिक्षित

ऐसे शिक्षक जो एक समय में रिक्तियों की संख्या से कम थे

उन रिक्तियों में नियुक्ति दी जानी चाहिए जो थीं

उपलब्ध है। हालाँकि, बाद में कुछ विसंगति थी

उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की तुलना में
शिक्षकों को समायोजित किया जाए। तदनुसार, हमने एक आंकड़ा अपनाया

भर्ती के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन से

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या और उपलब्ध संख्या ली

34, 540 रिक्तियां होंगी।

2. हमने निर्देश दिया था कि उक्त रिक्तियों को भरा जाए

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या एक बार के उपाय के रूप में कहा गया है

उन उपक्रमों को प्रभाव जो *18-1-2006* पर दिए गए थे

और *23-1-2006*। तदनुसार, अवमानना का नियम जारी किए बिना,

हमने निर्देश दिया था कि उक्त रिक्तियों को इनमें से भरा जाए।

प्रशिक्षित शिक्षक जो वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध हैं।

हालांकि, बाद में यह पता चला कि

उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या से बहुत अधिक थे

रिक्तियों के बारे में गंभीर संदेह भी उठाए गए थे

कुछ उम्मीदवारों और कुछ संस्थानों की पात्रता
जिनसे उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोप लगाया।

इसके परिणामस्वरूप, *34,540* प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

वर्ष *2012-13* में। हालाँकि *2006* के बाद नियुक्त किए गए इन शिक्षकों को *2006* के नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन *2013* के नियम नामक विशेष भर्ती नियम बनाए गए थे।

18. परिवर्तनकारी आरम्भिक नामक शिक्षकों का एक संघ

शिक्षक संघ ने *2013* का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला *No.7089* दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें तर्क दिया गया कि पंचायत प्राथमिक

शिक्षक "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के तहत हकदार थे।

>

समान वेतनमान जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त शिक्षकों को दिए जा रहे थे। इस मामले को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले और दिनांक *5.4.2013* के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह देखा गयाः

[2019] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"यह एक ऐसा मामला है जहां नीति के रूप में राज्य सामने आया

राज्य सरकार उपरोक्त नियमों के तहत नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतनमान सहित सेवा शर्तों पर निर्णय लेगी। द. न्यायालय अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा या राज्य को सरकारी खजाने से भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा क्योंकि यह राज्य है जो इस तरह के खर्च के लिए भी जवाबदेह है और उसे इस तरह के विचारों को उचित ठहराना होगा।

भुगतान करें।

यदि राज्य सरकार ने शिक्षकों की आवश्यकता और वित्तीय दायित्व के बीच संतुलन का एक तरीका विकसित करने के लिए एक नीति/योजना तैयार की है और साथ ही शिक्षकों को शक्ति का हस्तांतरण किया है।

पंचायतें, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और संतुलन को बाधित नहीं करेगा।

19. इस समय के आसपास, कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं,

भेदभावपूर्ण व्यवहार से व्यथित, जहाँ नियोजीत शिक्षक

20. जवाब में, राज्य का रुख यह था कि दो श्रेणियों के शिक्षकों के बीच मतभेद थे। पूरक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में अंतर को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया थाः

"13. कि उपरोक्त दो श्रेणियों के शिक्षकों के बीच तुलनात्मक अंतर सारणीबद्ध चार्ट से अधिक स्पष्ट है

इसके बाद तैयार किया गयाः

बिहार बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रग कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

इससे पहले जिला संवर्ग

नियोजीत शिक्षक

एस. आई. मुखिया।

शिक्षक

नहीं।

आई.

संवर्ग

जिला प्रभाग

संबंध में

पंचायत,

ब्लॉक करें,

नागर

पंचायत, नागर

परिषद, नगर

निगम या जिला

परिषद के रूप में

मामला हो सकता है।

स्थिति

राज्य कर्मचारी का कर्मचारी

में से

सरकार

संबंधित

में से

संस्था

स्थानीय निकाय/जिला

परिषद

मरने की प्रकृति घटती जा रही है

3.

जारी रखने के लिए

संवर्ग

कैडर

नामकरण सहायक शिक्षक

4.

पंचायत

शिक्षक प्रखान

पद का

डी शिक्षक/नगर

शिक्षक/जिला

परिषद

मध्यमिक

टीचर नागर

परिषद

मध्यमिक

शिक्षक जिला

परिषद उच्चतार

मध्यमिक

शिक्षक/नागर

परिषद उच्चर

मध्यमिक

शिक्षक

जिला

संबंध में

5.

नियुक्ति

के अधीक्षक

पी. आर. आई./शहरी

प्राधिकरण

स्थानीय

शिक्षा

अब

जिला शिक्षा

निकाय/जिला

अधिकारी निदेशक,

परिषद

माध्यमिक शिक्षा

6.

अंकों के आधार पर

के आधार पर बी. पी. एस. सी. का तरीका

भर्ती प्रतिस्पर्धी

प्राप्त किया

में

पूर्व परीक्षा

अकादमिक पाठ्यक्रम

और प्रशिक्षण

विद्यालय सेवा बोर्ड

पाठ्यक्रम

7. नियम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्यालय शिक्षक। प्राथमिक

शिक्षकगण

नियुक्ति नियम,

1991 संशोधित के रूप में

(रोजगार

सेवा

बिहार

और

और

माध्यमिक विद्यालय

शर्तें*)*

शिक्षकगण

नियम, *2012;*

नियुक्ति नियम।

बिहार नगर

(रोजगार

और

सेवा

शर्तें*)*

बिहार जिला

बोर्ड माध्यमिक

ऊँचे

और

माध्यमिक

(रोजगार

और

सेवा

शर्तें*)*

नियम*, 2006;*

बिहार नगरपालिका

माध्यमिक शरीर

ऊँचे

और

माध्यमिक

शिक्षकगण

(रोजगार

और

सेवा

शर्तें*)*

नियम *2006;* जैसा कि

संशोधित किया गया।

उक्त प्रासंगिक की स्थिति

यह अस्तित्व में है

8

नियुक्ति नियम पहले से ही हैं

नियम

निरस्त कर दिया।

9.

नहीं।

प्राथमिक में *2006* तक। *2006* के बाद

& प्राथमिक के बारे में माध्यमिक

शिक्षकगण

&

माध्यमिक के बारे में

1,30,000

4.4 लाखों

जिला अपीलीय

10. अपीलीय

आरडीडीई निदेशक,

प्राधिकरण/राज्य

माध्यमिक शिक्षा

प्राधिकरण

अपीलीय

प्राधिकरण।

21. इन मामलों के लंबित रहने के दौरान, एक प्रस्ताव पारित किया गया था

राज्य सरकार द्वारा *11.08.2015* पर, जिसके तहत नियोजीत टीच को *2006* के नियमों के तहत निर्धारित वेतन के बजाय वेतनमान दिया गया था। प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या को अच्छी तरह से लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया था और शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान का भी संकेत दिया गया था। संकल्प में दिया गया सारणीबद्ध चार्ट इस प्रकार थाः

बिहार वी. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*] 1* प्राथमिक शिक्षक

वेतनमान

$ 1 . पोस्ट

की संख्या

ग्रेड

नहीं।

रिक्तियां

भुगतान करें

1

5

2

3

4

प्राथमिक

1 .

5

62031

5200

शिक्षक

20200

(अप्रशिक्षित*)* प्राथमिक

2 .

245344

5200

0

शिक्षक

20200

(प्रशिक्षित*)*

3 .

प्राथमिक

0

14000

5200

शिक्षक

20200

*(*ग्रेजुएट

अप्रशिक्षित*)*

4.

प्राथमिक

5200

2400

22739

शिक्षक

20200

*(*ग्रेजुएट ट्रेइन एड*)*

344114

कुल

शिक्षकगण

*(*समावेशी

नंबर बेर का

शिक्षकों की

बनो।

को

नियुक्त किया गया
भविष्य में

के खिलाफ
घोषित किया गया

रिक्तियां*)*

माध्यमिक शिक्षक/लाइब्रेरियन

ग्रेड

वेतनमान

एस. *1.*

पोस्ट

की संख्या

रिक्तियां

नहीं।

भुगतान करें

सो *5*

1

2

3

4

माध्यमिक

5200

1 .

4463

0

शिक्षक

20200

(अनट्रा इन एड*)*

माध्यमिक

25038

2400

2 .

5200

शिक्षक

20200

(प्रशिक्षित)

3 .

लाइब्रेरियन

1900

5200

0

20200

5200

ऊँचे

3058

4 .

0

माध्यमिक

20200

शिक्षक

(10 + 2) *(अप्रशिक्षित)*

5 .

ऊँचे

26774

2800

5200

माध्यमिक

20200

(प्रशिक्षित*)* कुल

61233

शिक्षकगण

(समावेशी

संख्याएँ
शिक्षकों की

बनो।

को

नियुक्त किया गया

के खिलाफ
घोषित किया गया

रिक्तियां*)*

संकल्प का पैरा *2.5* इस प्रकार थाः

" *2.5* महँगाई भत्तों का लाभ*;* चिकित्सा भत्ते*;*
घर किराया भत्ता और वार्षिक वृद्धि, जैसा कि घोषित किया गया है

राज्य सरकार के लिए। समय-समय पर कर्मचारी का विस्तार किया जाएगा

नियोजीत प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक

शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष "।

प्रस्ताव में आगे न्यूनतम मूल वेतनमान निर्धारित किया गया।

प्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ *1.7.2015* के लाइब्रेरियन के लिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए *2,000* रुपये, माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए *2400* रुपये और उच्च माध्यमिक के लिए *2800* रुपये की राशि।

प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामलों में यह निर्धारित किया गया था कि आई. डी. *1* से उनके वेतन में कम से कम *20* प्रतिशत की वृद्धि होगी और वे विशेष भत्ते के भी हकदार होंगे। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि संशोधित परिलब्धियों का वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार होगाः

अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के विवरण

कुल

कुल

$ 1 .

ग्रेड

की संख्या

कुल

परिलब्धियाँ

अतिरिक्त

नियोजीत

नहीं।

शिक्षकगण

में देय

वित्तीय

भुगतान किया जा रहा है

वर्तमान में

प्रभाव

कौन*?*

शर्तों

(आकृति में

होगा।

वेतनमान

लाभ

करोड़*)*

1 प्राथमिक

344114

6693.23

4173.21

2520.04

शिक्षक

61233

2 माध्यमिक

830.85

1259.30

428.45

शिक्षकगण,

ऊँचे

माध्यमिक

शिक्षकगण

और

लाइब्रेरियन

कुल

405347

7952.55

5004.06

2948.49

22. जब मामलों को डिवीजन बेंच द्वारा विचार के लिए लिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक यानी सरकारी शिक्षक और नियोजीत

शिक्षक उन्हीं राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में निर्देश दे रहे थे और फिर भी बिहार राज्य को दिए जाने वाले परिलब्धियों में काफी अंतर था।

नियोजीत शिक्षक; कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक एक ही जिम्मेदारी निभा रहे थे और एक ही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे और उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं था; कि इन दोनों श्रेणियों के बीच किया गया अंतर पूरी तरह से था

अनुचित और "समान" के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर

समान काम के लिए वेतन "नियोजीत शिक्षक उतने ही वेतन, वेतनमान और परिलब्धियों के हकदार थे जितने राष्ट्रीयकृत स्कूलों में सरकारी शिक्षकों को देय थे। पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य *2* और विशेष रूप से इसके पैरा *42* और *44* में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी।

राज्य की ओर से कार्रवाई का बचाव करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता थे *2006* के नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए गए और इस तरह, वे उन नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते थे जिनके तहत उन्हें नियुक्त किया गया था; कि *2006* से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों की नियुक्ति निदेशक द्वारा विद्यालय सेवा बोर्ड/बिहार लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सिफारिशों पर की गई थी, जबकि नियोजीत

शिक्षकों को नियमों के पूरी तरह से अलग-अलग सेटों के तहत नियुक्त किया गया था; कि *2006* से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक एक मरने वाले या गायब होने वाले कैडर थे और उस श्रेणी में कोई नई नियुक्ति नहीं थी; इस प्रकार नियोजीत शिक्षक "समान वेतन के लिए समान वेतन" के आधार पर किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकते थे। काम "।

सुनवाई के समापन पर, राज्य की ओर से निम्नलिखित प्रभाव के लिए लिखित प्रस्तुतियाँ भी दायर की गईं:

"1. कि तत्काल मामले में तर्क की कार्यवाही पूरी हो जाती है

और *09.10.2017* पर आरक्षित आदेश, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए दावे के संबंध में पहले के हलफनामों में उठाई गई दलीलों के पूरक के लिए तत्काल लिखित प्रस्तुति दायर की जा रही है।
इस मामले में।

2. यह कहा गया है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में *3,19,703* शिक्षक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में *37,529* शिक्षक हैं

शिक्षा पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम कर रही है और राज्य सरकार उन्हें अनुदान प्रदान करती है।
ऐसे शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए स्थानीय निकाय और वर्तमान में अनुमानित बजटीय व्यय लगभग रु। *8924.48* करोड़ प्रति वर्ष।

3. कि यदि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्य सरकार के मरने वाले संवर्ग के शिक्षकों के बराबर वेतन की अनुमति दी जाती है, तो अनुमानित बजट रु। *18853.96* करोड़, जिसके लिए

आवश्यकता है। *4.* यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं

माध्यमिक स्तर जो नियत समय में भरे जाने की संभावना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, *1,71,775* में शिक्षकों के रिक्त पद

प्रति

प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा में *38000* रिक्त पद मौजूद हैं और इस तरह, रु। भुगतान के लिए वेतन को पूरा करने के लिए *6144.02* करोड़ की आवश्यकता होगी।

Rs.25251 करोड़ जो राज्य सरकार के कुल बजटीय प्रावधान का लगभग *16* प्रतिशत है और यदि याचिकाकर्ता का अनुरोध है रिट आवेदनों के इन समूह की अनुमति दी जाएगी, वित्तीय

राज्य की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और इसके अलावा, यह राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों को भी प्रभावित करेगा।

7. कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधि विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि प्रश्नगत मुद्दे का निर्णय करते समय, उपरोक्त

इस तथ्य पर इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

23. सभी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश और दिनांक *31.10.2017* के आदेश द्वारा अनुमति दी थी। उक्त निर्णय के दौरान,

पक्षीय मुद्दों को तैयार किया गया थाः

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

" (i) क्या नियम *2006* के नियम *6* और *8* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के अनुरूप हैं या यह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है।
((ii) क्या *2006* के नियम लागू होने से पहले नियोजीत शिक्षक राष्ट्रीयकृत विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन के हकदार हैं*?*

*((*ग*)* क्या रिट याचिकाकर्ता *2006* के नियम बनाने से पहले राष्ट्रीयकृत विद्यालय में नियुक्त अपने समकक्ष शिक्षकों के बराबर वेतन निर्धारित करने के निर्देश के हकदार हैं या नहीं*?*

24. यह देखा गया कि इस बात की कोई दलील नहीं थी कि *2006* के बाद नियुक्त किए गए नियोजीत शिक्षक किसी भी तरह से योग्यता या प्रशिक्षण में हीन थे और यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वे थे

एक ही संस्थान में विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। यह पाया गया कि स्वीकार की गई स्थिति यह थी कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक एक ही स्कूल में निर्देश देने के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और उनके पास आवश्यक योग्यताएँ थीं जो *2006* से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों के पास थीं। उच्च न्यायालय ने जगजीत सिंह *2* और जयपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *3* के मामले में इस

न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया और पाया कि नियोजीत शिक्षकों को वेतनमान से वंचित करने में राज्य की ओर से की गई कार्रवाई मनमाना और अनुचित थी। इसका निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गयाः

राज्य सरकार के नियंत्रण में राष्ट्रीयकृत विद्यालय। राज्य सरकार ने दो अलग-अलग वेतनमान अपनाए हैं-पहला नियोजित शिक्षक के लिए और दूसरा *2006* के नियम बनाने से पहले नियुक्त नियमित शिक्षकों के रूप में जाने जाने वाले शिक्षकों के लिए। कृत्रिम भेदभाव के आधार पर वेतनमान में इस तरह का भेदभाव

अनुचित है "।

25. इसकी चर्चा के दौरान, यह भी देखा गया कि

इसके अंतर्गतः

" 46. मैं यह भी पाता हूं कि नियोजीत शिक्षक के लिए खराब पैमाने ने बिहार राज्य में शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

2 (2017) 1 एससीसी *148*

3 AIR 1988 SC 1504 [2019] 7 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना किसी पदोन्नति की संभावना के खराब वेतन पाने वाले शिक्षकों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रबंधन का स्थिर सिद्धांत यह है कि प्रोत्साहन और संभावना सेवा में मानव शक्ति के नैतिक विकास को बढ़ावा देती है। कैरियर में बेहतर वेतन और संभावना सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरक है, ऐसे स्कूलों में कक्षा *4* के कर्मचारी से कम आने वाले शिक्षक संस्थान और समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। यह आत्मनिरीक्षण करने की बात है और राज्य सरकार को स्थिति का सामना करना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को अन्य नियमित शिक्षकों के समान भुगतान करके अन्याय को दूर करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि *2006* के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को खराब भुगतान ने सबसे अच्छे और सबसे सक्षम शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और शायद

यह एक कारण है कि कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ रही है जहां छात्र नियमित से अधिक आकर्षित होते हैं स्कूल में पढ़ाना। अदालत जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, अन्य बातों के साथ-साथ,

" ((ii) याचिकाकर्ता "समान काम के लिए समान वेतन" के हकदार हैं।

(iii) उत्तरदाताओं को राष्ट्रीयकृत विद्यालय के नियमित शिक्षकों की तरह अपना वेतनमान निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है।

नियुक्ति की तिथि और प्रभाव के साथ वास्तविक भुगतान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट आवेदन दाखिल करने की तारीख से राहत के इस तरह के अनुदान को मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, *2009* के सी. डब्ल्यू. जे. सी. *No.17176* दाखिल करने की तारीख *8.12.2009* से

हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह *4* में चर्चा की गई

जगजीत सिंह के *2* मामले के फैसले *(*ऊपर*)* और मैंने यह माना है कि

नियम *8* निष्क्रिय, प्रभावी, स्थापना की तारीख से लागू नहीं होता है क्योंकि यह मनमाना और असंवैधानिक है और इसका उल्लंघन करता है। जहाँ तक नियोजीत शिक्षक का संबंध है, संविधान का अनुच्छेद *14*।

(iv) प्रत्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह, उनकी नियुक्ति की तारीख से समान काम के लिए समान वेतन देने के बाद, *7* वें वेतन संशोधन की सिफारिश के तहत याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन करें।

रिट याचिकाएँ, अर्थात *8.12.2009*।

5) 9 एस. सी. सी. *321* ए. टी. ई. ऑफ बिहार बनाम द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

(v) इस तरह की कवायद आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और नियोजीत शिक्षक को स्वीकार्य मौद्रिक लाभों का भुगतान उन्हें आगे तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। महीनों "।

26. बिहार राज्य ने व्यथित होने के कारण इन अपीलों में उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी है। *29.01.2018* इस न्यायालय पर

घ निम्नलिखित क्रमः

राज्य सरकार के रुख के अनुसार, शिक्षकों *2006* से पहले राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए लोग मरने वाले कैडर हैं। शिक्षकों की श्रेणी में लगभग *50,000* शिक्षक हैं।

राज्य सरकार द्वारा लगभग के विरुद्ध भर्ती की गई

3,50,000 स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों की श्रेणी में शिक्षक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, केवल एक स्थायी है

भले ही, सैद्धांतिक रूप से, शिक्षकों के वेतन में समानता होनी चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती की गई हो। यदि समानता देने के लिए कानून के अनुरूप किसी भी फिल्टर का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ऐसा ही किया जा सकता है। हालांकि, सवाल इस तरह के सिद्धांत की प्रयोज्यता का है जहां पहली श्रेणी में शिक्षकों की श्रेणी को मरने वाला संवर्ग घोषित किया जाता है। दूसरा, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या बकाया राशि के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना व्यावहारिक है। राज्य का रुख यह है कि भविष्य में केवल एक ही श्रेणी होगी अर्थात

स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक। ऐसी स्थिति में भी, स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों के वेतन पैकेज में तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसा करने में, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और राज्य सरकार उत्तरदाताओं *[2019] 7* एस. सी. आर. के दृष्टिकोण पर विचार कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और एक प्रस्ताव लेकर आएं जो उचित हो सकता है। यह मुख्य सचिव के पद पर कम से कम *3* अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। उक्त समिति को यदि कोई सुझाव प्राप्त होता है तो वह संबंधित शिक्षकों के साथ-साथ किसी अन्य हितधारक के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। इस तरह का सुझाव मुख्य सचिव को संबोधित/दिया जा सकता है। जिस पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

हम तदनुसार मामले को *15* मार्च, *2018* तक के लिए स्थगित कर देते हैं।

आगे विचार करें।

हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पी. एस. नरसिम्हा से केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को न्यायालय के समक्ष रखने में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करना आवश्यक समझते हैं।

इस बीच, आज जैसी स्थिति बनी रहे "।

27. तदनुसार, एक विशेषज्ञ समिति जिसमें प्रमुख शामिल हैं

तरी-बिहार, प्रधान सचिव-सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव-जल संसाधन विभाग का गठन किया गया। समिति ने पृष्ठभूमि तथ्यों को निम्नानुसार निर्धारित कियाः

..... समिति ने पंचायती राज संस्थानों के साथ-साथ नगरपालिका के तहत शिक्षकों की योजना से संबंधित नियमों का अध्ययन किया निकाय जो वर्ष *2006* में घोषित किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे। बिहार पंचायत के नियम-*20* के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षक *(*नियुक्ति और सेवा*)*

शर्तें*)* नियम, *2006*, पूर्व संविदात्मक नियुक्तियां

पंचायत/ब्लॉक शिक्षक डब्ल्यू. ई. एफ. *01.07.2006* पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर *11* महीने की अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष *2002-03* से *Rs.1500/-* प्रति माह के निश्चित पारिश्रमिक पर की गई थी। ऐसे संविदात्मक नियुक्तियों की कुल संख्या *01.07.2006* पर *1,04,114* थी, जिन्हें समायोजित/समायोजित किया गया था। पंचायत/ब्लॉक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया और यदि उन्हें प्रशिक्षित किया गया था तो उन्हें प्रति माह *Rs.5000/-* का एक निश्चित वेतन दिया जाता था और

Rs.4000/- प्रति माह यदि वे अप्रशिक्षित थे।

उक्त नियमों, *2006* में यह भी प्रावधान किया गया था कि हर तीन साल के बाद बिहार बनाम के एटीई के मामले में *Rs.500/-* की वृद्धि होगी।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

प्रशिक्षित और *Rs.300/-* अप्रशिक्षित होने के मामले में निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर। नियम, *2006* को वर्ष *2009* में संशोधित किया गया था जिसमें मूल्यांकन परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि

उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर वेतन में वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया था कि उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम तीन प्रयास किए जाएंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। उक्त मूल्यांकन परीक्षा केवल वेतन वृद्धि के उद्देश्य से थी और वेतनमान, समतुल्यता या प्रमाणन, यदि कोई हो, के अनुदान के लिए नहीं थी।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद-*21* ए के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009* के आलोक में, जो डब्ल्यू. ई. एफ. *01.04.2010* लागू हुआ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद *(*एन. सी. टी. ई.*)* को केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। एन. सी. टी. ई. ने न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं -

प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति और उस पृष्ठभूमि में, बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक *(*नियुक्ति और सेवा*)*

शर्तें*)* नियम, *2012* बनाए गए हैं जिसमें नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड तय किए गए हैं कि एक उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार, शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल उसके चयन के लिए आवेदन करने की पात्रता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को शिक्षक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपेक्षित चयन प्रक्रिया से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण न हो जाए। *7.* इसी तरह, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर चयन के लिए नियम भी जारी किए गए थे। प्राथमिक और माध्यमिक खंड में चयन/नियुक्ति *2006* के बाद ग्राम पंचायत और नगर निकायों द्वारा की गई थी और उक्त चयन प्रक्रिया में किसी भी परीक्षा/परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

8. प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए, *2006* के नियमों से पहले, *2003* में नियम भी बनाए गए थे जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने के बाद ऐसी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

9. इसी तरह, माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए,

2006 के नियमों से पहले *2004* में भी नियम बनाए गए थे।

यह भी प्रावधान किया गया था कि इसके लिए सिफारिश की जाएगी

कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा "। इसके बाद इसने प्रस्ताव के बाद की वर्तमान स्थिति पर विचार किया

11.8.2015 और *7* वें वेतन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

मिशन। समिति ने आगे कहाः

" *18.* यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में हैं *3,19,703* नियोजीत शिक्षकों के बारे में जबकि; माध्यमिक/उच्चतर में

माध्यमिक विद्यालयों में लगभग *38,715* नियोजीत शिक्षक *(*जिनमें शामिल हैं*)* हैं।

लाइब्रेरियन*)*। उन शिक्षकों में से जो प्राथमिक विद्यालय में काम करते हैं

विद्यालय, *2,65,000* शिक्षक सर्व शिक्षा के अंतर्गत आते हैं।

अभियान। इसके अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र के हिस्से का प्रतिशत

सरकार और राज्य सरकार क्रमशः *60* प्रतिशत और *40* प्रतिशत हैं।

.....

... .

22. .... 1. सुझावों पर कार्रवाई करना वित्तीय रूप से अव्यावहारिक है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त

नियोजित को वेतनमान प्रदान करने से संबंधित दिनांक *31.10.2017*

शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से और वास्तविक रूप से

सहायक शिक्षकों के बराबर *08.12.2009* से लाभ

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, इन कारणों से कि यदि उक्त आदेश लागू किया जाता है, राज्य सरकार उत्तरदायी होगी

ऐसे शिक्षकों के लिए, जो वित्तीय रूप से संभव नहीं होगा राज्य सरकार के संसाधन "।

समिति ने तब सुझाव दियाः

"राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई सरकार और प्रक्रिया,

ऐसे नियोजीत शिक्षकों को उन्नत वेतन संरचना प्रदान की जा सकती है।

(उन शिक्षकों सहित जिन्होंने शिक्षक पात्रता में योग्यता प्राप्त की है

परीक्षण*)* एक निस्पंदन प्रक्रिया से गुजरने के बाद। निस्पंदन का आधार

उद्देश्य। उपस्थित होने के लिए दो अलग-अलग अवसर दिए जाएंगे। विशेष परीक्षा "। बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

यह भी सुझाव दिया गया कि विशेष परीक्षा में सफल होने वाले ऐसे नियोजीत शिक्षकों को उन्नत वेतन संरचना प्रदान की जा सकती है

उक्त उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है और इस प्रकार, ऐसी विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को उन्नत वेतन संरचना के तहत शामिल किया जाता है।

20 प्रतिशत की वृद्धि

भुगतान करें।

28. इसके बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत संघ की ओर से जवाब में एक हलफनामा दायर किया गया। यह था। कहा कि सर्व शिक्षा अभियान *(*एसएसए*)* और राष्ट्रीय माध्यमिक

शिक्षा अभियान *(*आर. एम. एस. ए.*)* क्रमशः वित्तीय वर्षों *2000-2001* और *2009-2010* से *2017-2018* तक चालू था और यह कि दोनों कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं जिनके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन साझा किया जाता था। इन कार्यक्रमों की परिकल्पना सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। तब यह कहा गया थाः

"23. संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान *(*एसएसए*)*, पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना राज्य के साथ साझेदारी में *2001-02* के बाद से लागू की जा रही थी

के लिए सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन

देश भर में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके समग्र लक्ष्यों में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटना और बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाना शामिल था। संसद द्वारा आर. टी. ई. अधिनियम, *2009* के अधिनियमन के बाद, आर. टी. ई. प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एस. एस. ए. मानदंडों को संशोधित किया गया। एसएसए के तहत *40* से अधिक हस्तक्षेपों के लिए धन प्रदान किया जाता है जैसे कि नए स्कूल खोलना, आवासीय विद्यालय सुविधाएं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शिक्षकों के लिए प्रावधान, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण आदि। एसएसए फ्रेमवर्क स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात *(*पीटीआर*)* बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों और एसएसए कार्यक्रम के तहत खोले गए नए प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक निधियों का एक हिस्सा

एसएसए कार्यक्रम के तहत अनुमोदित और भरे गए पदों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया गया था। चूँकि इन शिक्षकों की भर्ती और अन्य सेवा मामले इसके अधीन हैं

राज्य सरकारों का क्षेत्र। और केंद्र शासित प्रदेशों, इन शिक्षकों के लिए वेतन और वेतन निर्धारण संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया था।

24. कि वित्तीय प्रबंधन और खरीद *(*एफ. एम. पी.*)* नियमावली के अध्याय-*III* का *21* वां बिंदु "नियुक्ति *[2019] 7* एस. सी. आर". शीर्षक के तहत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं और मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी जो नौकरी छोड़ने के कारण उत्पन्न हुई हैं। एक वास्तविक टाइप की गई प्रतिलिपि एसएसए की एफएमपी नियमावली संलग्न की गई है और इसके साथ अनुलग्नक-*8* के रूप में चिह्नित की गई है।

नई योजना-समग्र शिक्षा

25. सर्व शिक्षा अभियान *(*एसएसए*),* राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान *(*आर. एम. एस. ए.*)* और शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना *(*सी. एस. एस. टी. ई.*)* मानव संसाधन विकास मंत्रालय *(*एम. एच. आर. डी.*),* भारत सरकार के तीन प्रमुख प्रमुख स्कूली शिक्षा विकास कार्यक्रम थे जिन्हें *2009* से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है।

10 और क्रमशः *1987* में। जबकि एसएसए ने प्राथमिक स्तर *(*ग्रेड *I-VIII)* को शामिल किया, आरएमएसए ने ग्रेड *IX-X* को शामिल किया, जबकि सी. एस. एस. टी. ई. का उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थानों *(*टी. ई. आई.*)* को बुनियादी ढांचा और संस्थागत सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं की मंजूरी *12* वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक *2016-17* में थी। इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी *2017-18,* उनके मूल्यांकन और आगे की मंजूरी के लिए। हालांकि, एसएसए, आरएमएसए और टीई की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं ने देश में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनका दायरा और दायरा विभाजित रहा है और इसमें कोई प्रावधान नहीं है

पूर्व-विद्यालय स्तर के लिए किसी भी हस्तक्षेप के लिए और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए केवल बहुत सीमित समर्थन के लिए। आवश्यकता भी थी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा, स्वतंत्र मूल्यांकन

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू की गई योजनाओं ने दोनों के बीच अभिसरण और एकीकरण बढ़ाने का भी सुझाव दिया था।

कक्षा *I-X/XII* को शामिल करते हुए एकल विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम के माध्यम से योजनाएं। इसलिए ऐसा किया गया है

बिहार बनाम ए. टी. ई. द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए एक ही योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

एस. एस. ए., आर. एम. एस. ए. और सी. एस. एस. टी. ई. जैसी विभिन्न स्कूली शिक्षा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को विद्यालय की प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ एक व्यापक कार्यक्रम में विलय करना।

इसे स्कूली शिक्षा के लिए समान अवसरों और समान सीखने के परिणामों के संदर्भ में मापा जाता है। नई योजना के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए *22* जनवरी, *2018* के पत्र *No.2-16/2017-EE3* के माध्यम से प्रसारित किया गया था और *30* जनवरी, *2018* को आयोजित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय कार्यशाला में भी चर्चा की गई थी। नई योजना-'समग्र शिक्षा'-को मंत्रिमंडल ने *28* मार्च, *2018* को मंजूरी दी थी और यह *1* अप्रैल, *2018* से प्रभावी हुई थी। *26.* इस योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य *(*एस. डी. जी.*)* के अनुसार पूर्व-विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

शिक्षा. इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना; स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना; स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना; स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना; बढ़ावा देना शामिल हैं।

27. समग्र शिक्षा में 'विद्यालय' की परिकल्पना पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निरंतरता के रूप में की गई है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन को सुगम बनाएगा और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए बच्चों तक पहुंच। इस योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख हस्तक्षेप हैंः *(i)* अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; *(ii)* लिंग और समानता; *(iii)* समावेशी शिक्षा; *(iv)* गुणवत्ता में वृद्धि; *(v)* शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता; *(vi)* डिजिटल पहल; *(vii)* वर्दी, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित आर. टी. ई. अधिकार; *(viii)* पूर्व-विद्यालय शिक्षा; *(ix)* व्यावसायिक शिक्षा; *(x)* खेल और शारीरिक शिक्षा; *(xi)*

शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; *(xii)* निगरानी; और *(xiii)* कार्यक्रम प्रबंधन। *28.* तीनों योजनाओं के बजट को एक ही बजट प्रावधान में मिलाया जा रहा है। यह केंद्रीय हिस्सा होगा

पैटर्न *90* होगाः *10* उत्तर-पूर्वी और तीन हिमालयी राज्यों के लिए और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए *100%*। *29.* शैक्षणिक संकेतकों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आवश्यकताओं के सूचकांक के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच धन का एक हिस्सा आवंटित किया जाएगा।

प्रदर्शन। निधिसभक उपयोग अधिकारप्राप्त द्वारा तय कयल गेल सीलिंगक भीतर अनुमोदित हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित होयत। विभाग की समिति अर्थात परियोजना अनुमोदन बोर्ड

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के नेतृत्व में। विलय की गई योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य से एकल उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यह देखा गया कि

एस. एस. ए. और आर. एम. एस. ए. की पूर्ववर्ती योजनाओं के अनुसार, शिक्षक वेतन के लिए समर्थन राज्य अधिसूचित वेतन संरचनाओं के अनुसार था जो दर्शाता है कि

एकीकृत योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान होगी। इस योजना का ध्यान राज्यों को सीखने के परिणामों में सुधार करने और उन्हें मजबूत करने के लिए पहल करने में सहायता करना है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि और प्रभावी परिणामों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग। शिक्षकों के वेतन के मानदंडों को संलग्न किया गया है और इसके साथ अनुलग्नक-*9* के रूप में चिह्नित किया गया है। ”

29. इसके बाद हलफनामे में एसएसए के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष *2014-15* से *2017-18* तक आवंटित धन का विवरण एक सारणीबद्ध चार्ट में नीचे दिया गया है:

टेट ऑफ बिहार बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

एसएसए के तहत चार साल की केंद्रीय रिलीज़ की स्थिति

2016-17

एस.

2014-15

2015-16

2017-18

22500 करोड़

22000

नहीं। बी. ई.

28258

23500

करोड़

करोड़

करोड़

22015.10 22500 करोड़

23593.86

आरई

24380

करोड़

करोड़

करोड़

(रु. लाख में

केंद्रीय

केंद्रीय

केंद्रीय

राज्य

केंद्रीय

रिलीज की गई फिल्में

रिलीज़

रिलीज़

147.21

1

359.46

479.14

1945.53

अंडमान और निकोबार

2

आंध्र प्रदेश

154566.67 66810.81

63302.18

70431.00

प्रदेश

23022.07

19956.64

18179.44

33607.82

3

अरुणाचल प्रदेश प्रा दे
श

45678 असम

123584.00

97782.19

87652.30

100464.64

216336.05 | 251557.32

255797.00

270688.45

बिहार

3333.56

चंडीगढ़

3893.53

9265.50

3521.81

छत्तीसगढ़

92705.30 | 62219.70

59262.77

67412.85

5476.54

594.91

1068.37

दादर और

911.74

नगर हवेली

दमन और

72.77

78.38

1038.57

9

300.00

दीव।

10976.90

8306.20

10 दिल्ली

6223.74

7293.80

11 गोवा

813.58

869.11

862.60

1310.39

65046.00

77740.52

78476.49

12

गुजरात

61563.84

13

42110.65 34501.21

हरियाणा

36355.00

32000.88

12825.46

12547.30 12139.13

14

एचपी

30874.00

15

51276.52 129980.54

107250.05

153797.98

जे एंड के

16 झारखंड

50945.73

58984.54

75775.18 55863.31

54495.51

41759.34

कर्नाटक

66213.52

17

54882.00

18

केरल

21844.02

12858.86

11316.74

13680.00

लक्षद्वीप

19

239.87

406.52

139.55

58.83

149094.92 | 160197.86

20

मध या

154455.08

173814.00

प्रदेश

21

64232.00

महाराष्ट्र

58288.54 41225.28 60369.65

18377.00

18355.46

4405.31

22 मणिपुर

21465.81

मेघालय

16627.04 20067.01

23

20404.52

33579.51

9437.51

14739.70

10934.31

12000.34

24

मिजोरम

ना गा लैंड

10725.35

25

11717.00

20568.74

8739.53

पुडुचेरी

100.00

583.14

304.68

26

622.73

31665.00

27

पंजाब

36215.98

30003.22

30002.69

198973.00

182578.48

248041.55

28

राजस्थान

193462.08

29

4526.78

4054.36

सिक्किम

3479.24

5684.35

30 तेलंगाना

21776.01

44244.72

41776.09

81406.78

31 तमिलनाडु

82111.73 82111.30

135819.79

86644.00

32 त्रिपुरा

19800.14 16956.75 19190.95

20220.38

424980.68

449867.53 505434.32 505433.98

33 यूपी

62499.00

34 उत्तराखंड

22880.57 22588.40 25268.98

35 पश्चिम बंगाल

97240.30 84679.41 82185.33

89657.00

केंद्रीय रिलीज़

2403016.41 2159013.36 2165744.89

2349361.32

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. हलफनामे में तब वित्तीय प्रभावों पर विचार किया गया यदि

वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। यह कहा गया थाः

"31. वह इस माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप

दिनांक *27* मार्च, *2018* को वर्तमान याचिका में, विभाग स्कूली शिक्षा और साक्षरता, मानव संसाधन मंत्रालय

विकास, भारत सरकार ने अनुमान लगाने का प्रयास किया है राज्यों में विवादित निर्णय का वित्तीय प्रभाव।

विभाग ने सभी *36* राज्यों से जानकारी एकत्र की है और पूर्ववर्ती के तहत स्वीकृत शिक्षकों की संख्या के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान *(*एसएसए*)*, राष्ट्रीय माध्यमिक की योजनाएं

शिक्षा अभियान *(*आर. एम. एस. ए.*)* और इसके तहत उपलब्ध शिक्षकों की संख्या

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर राज्य संवर्ग। द.

एसएसए, आरएमएसए और राज्य संवर्ग के तहत। औसत जानकारी प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों के लिए मासिक वेतन भी एकत्र किया गया था।

32. कि विवादित निर्णय का वित्तीय निहितार्थ है

राज्यों द्वारा सूचित शिक्षकों की संख्या के आधार पर अनुमान लगाया गया है उपर्युक्त तीन श्रेणियों के तहत वर्ष *2017-18* के लिए

और उनका औसत मासिक वेतन। मामले में स्थानीय निकाय नियुक्त शिक्षकों/अनुबंधित शिक्षकों को समान वेतन दिया जाता है।

राज्य संवर्ग के नियमित शिक्षकों के साथ, यह अनुमान लगाया जाता है कि

वित्तीय प्रभाव न्यूनतम रु। छत्तीस हजार

प्रति वर्ष नौ सौ अठानबे करोड़ *(Rs.36998* करोड़*)*।

इस अनुमान में भत्ते और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं जो संबंधित राज्यों के मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होते हैं /

केंद्र शासित प्रदेश, जो लागत में और वृद्धि करेंगे। एक वास्तविक टाइप की गई प्रतिलिपि

अनुमान पत्रक संलग्न किया गया है और इसके साथ चिह्नित किया गया है

अनुलग्नक-*11* "

शपथपत्र की धारा *11* इस प्रकार थीः

की अस्थायी आवश्यकता

एस.

राज्य

अतिरिक्त वेतन निधि

नहीं।

1

अंडमान और निकोबार

4.87

आंध्र प्रदेश

2

57.82

अरुणाचल प्रदेश

3

183.16

4

316.94

असम एटीई ऑफ बिहार बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

5

बिहार

10460.70

17.83

6

चंडीगढ़

छत्तीसगढ़

5867.79

7

19.76

डी एंड एन हवेली

8

9

दमन और दीव

4.75

दिल्ली

56.66

10

गोवा

11

7.82

12 गुजरात

78

13 | 14 | 15 | 16

267.77

हरियाणा

एचपी

463.56

जम्मू और कश्मीर

117.83

झारखंड

3861.98

17

कर्नाटक

0

18 केरल

31.54

19

लक्षद्वीप

2.34

मध्य प्रदेश

2971.13

20 *21*

महाराष्ट्र

157.49

22

ना.

मणिपुर

23

मेघालय

288.09

24

मिजोरम

102.64

नगालैंड

25

90.03

ओडिशा

429.19

26

27

पुडुचेरी

. 98

28

पंजाब

147.04

29

राजस्थान

0

30

सिक्किम

131.68

31

तमिलनाडु

0

32

तेलंगाना

0

103.31

33

त्रिपुरा

34

उत्तर प्रदेश

8448.78

35

उत्तराखंड

67.74

पश्चिम बंगाल

36

2316

कुल आवश्यक निधि

36998.00

31. जब मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रस्तुतियाँ

श्री दिनेश द्विवेदी, श्री श्री द्विवेदी और श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार बनाई थी।

[2019] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए*)* विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने कहा कि *2006* से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों और नियोजीत शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

2006 के नियमों की शर्तें, जिन्हें स्थानीय या ब्लॉक स्तरों पर नियुक्त किया गया था, एक वैध वर्गीकरण था। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया *(i)* तारसेम लाल गौतम और एक अन्य मामले में। बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य, *(ii)* वी. मार्कंडेय और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। , *iii)* धारवाड़ जिला। पी. डब्ल्यू. डी. साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी संघ और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य ',

iv) सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य, *v)* उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य बनाम। मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ ', *vi)* हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ

एसोसिएशन *1 0 10* और *vii)* एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

और बच्चों की अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार होने के कारण, राज्य को शैक्षिक अवसरों का प्रसार करने और दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता थी। राज्य कभी भी वेतनमान देने के खिलाफ नहीं रहा था जो अधिक लाभकारी हो सकता था, लेकिन शुरू में अपने संसाधनों की बाधाओं के भीतर शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया जाना था। *5 (1989) 1* एस. सी. सी *182*

6 (1989) 3 एससीसी *191*

7 (1990) 2 एस. सी. सी. *396* *8 1993* पूरक *(1)* एस. सी. सी. *153*

9 9 (1998) 1 एससीसी *422*

10 (2002) 6 एससीसी *72* *11 (2007) 8* एस. सी. सी. *279* बिहार राज्य बनाम

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

प्रत्येक पड़ोस में और राज्य के कोने-कोने में शिक्षा का प्रसार करना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिकरण और शिक्षा के प्रसार की नीति सावधानीपूर्वक अपनाई गई थी राज्य की क्षमता को

ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। पहला कार्य पूरा होने के बाद, राज्य अब गुणवत्ता में सुधार के लिए कमर कस रहा है।

शिक्षा और उस प्रयास में राज्य निश्चित रूप से बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने और अपने संवैधानिक दायित्व को अधिक जोर देने के लिए सेवा शर्तों को अधिक लाभकारी बनाएगा, लेकिन वर्तमान की तुलना करने के लिए। मरने वाले या गायब होने वाले कैडर के साथ तराजू पूरी तरह से अनुचित था। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया *i)* आधिकारिक परिसमापक बनाम.

दयानंद और अन्य *", (2)* पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य*", (3)* स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम दिव्येंदु भट्टाचार्य *", (4)* गोपाल चावला और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *(5* और *5)* एम. एम. एल. अरोरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *1.*

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने भी एक टिप्पणी दी,

जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार थाः

" नवंबर *2005* में बिहार में सरकार बदलने के बाद, यह पाया गया कि *6-14* वर्ष की आयु के बीच *12* प्रतिशत *(23,15,362)* बच्चे स्कूल से बाहर थे। बिहार राज्य के सक्रिय रुख और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और *11* वें और *74* वें के साथ पठित *73* वें और *74* वें संशोधन के जनादेश के कारण

12 अनुसूची में, यह *1* प्रतिशत से कम हो जाता है *(2,01,806)*

आज के बच्चे।

12 (2008) 10 एस. सी. सी. *1 1313 (2009) 9* एस. सी. सी. *514 14 (2011) 11* एस. सी. सी. *122 15 (2014) 13* एस. सी. सी. *792*

16 1995 एस. सी. सी. *279 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे सुधारने और अपने अल्प संसाधनों के भीतर शिक्षा *(*ग्रामीण और शहरी दोनों*)* की पहुंच बढ़ाने के लिए, बिहार राज्य ने एक नीतिगत निर्णय लिया और अपने पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नए शिक्षकों की भर्ती करने का संकल्प लिया। नए नियम बनाए गए और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों के पद पर सभी भर्तियां इसी माध्यम से की गईं। भर्ती की पुरानी विधि को समाप्त कर दिया गया और मौजूदा सहायक शिक्षकों का संवर्ग नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार एक मरणशील संवर्ग बन गयाः

नियमित शिक्षक *(*वर्तमान में*)*

नियमित

स्कूल

शिक्षकगण

2006 में

1,04,259

प्राथमिक

57293

इसके आदेश दिनांक *13.10.2011* के अनुसार

एक अवमानना याचिका, बिहार था

34, 540 नियुक्त करने के लिए मजबूर

आधार पर सहायक शिक्षक

इसके द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची

माननीय न्यायालय *(2014* के रूप में सूचित*)*

(11) एससीसी *405*।

के संबंध में विवाद उठाया गया था

2213. 6170 उनमें से

सेवानिवृत्त और *26157* अभी भी बाकी हैं

सेवा करते हैं।

(31136 + 26157 = 57293)

माध्यमिक *18458*

7800

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009* के बाद, केंद्र सरकार। सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए मुख्य साधन घोषित किया गया

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों को साझा करना। बिहार राज्य की जनसंख्या *10.41* करोड़ है। *2005* के बाद, इसने सर्व शिक्षा अभियान के तहत *21261* नए प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और *19617* प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया है। *3129* माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया गया था, जो आज की तारीख में इस प्रकार हैः

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

प्राथमिक विद्यालय

42614

माध्यमिक विद्यालय

29149

5615

माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक

विवादित फैसले ने मामले को एक साधारण सेवा के रूप में माना है।
विवाद। यह बड़े उद्देश्य की सराहना करने में विफल रहा है

राज्य की वित्तीय क्षमता को प्राप्त करना, राज्य पर वित्तीय प्रभाव
भारत संघ और बिहार राज्य, प्रतिस्पर्धा को संतुलित करते हुए

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों के लिए
और सर्व शिक्षा अभियान, अन्य सभी के लिए इसका निहितार्थ

कर्मचारी या तो अनुबंध पर या विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं

केंद्र या राज्य और इस तरह के सामाजिक उद्देश्यों के।

ग*)* विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने कहा कि

"समान काम के लिए समान वेतन" की अवधारणा इस मामले के लिए अलग थी और इस मामले में जटिल नीतिगत मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और राज्य के लिए खुले सभी संवैधानिक विकल्पों के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। एक ओर यह अनुच्छेद *21* ए के तहत निर्धारित लक्ष्य था जिसे शिक्षा के प्रसार से प्रभावी बनाने की कोशिश की गई थी और दूसरी ओर, विचार संविधान के भाग *IX* और *IXA* के संदर्भ में पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण था। बिहार में अजीब स्थिति यह थी कि कम से कम *12* प्रतिशत बच्चे बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हो रहे थे। यह अनिवार्य रूप से स्कूलों की अपर्याप्त संख्या और शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण था। ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू में एक लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके इसे ठीक करने की मांग की गई थी। उन *12* प्रतिशत बच्चों को, जो विद्यालयों से बाहर थे, शिक्षा की धारा में लाने की चुनौती के लिए भारी प्रयासों और इसके परिणामस्वरूप बजट आवंटन पर बाधाओं की आवश्यकता थी। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की ओर से किए जा रहे प्रयासों को देखा जाना चाहिए। राज्य ने न केवल उन शिक्षा मित्रों को शामिल किया, बल्कि *3* लाख *50* हजार से अधिक नियोजीत शिक्षकों की भी भर्ती की। यह उनका निवेदन था कि राज्य द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति को न तो शोषक कहा जा सकता है और न ही किसी भी व्यक्तिगत शिक्षक की गरिमा से किसी भी तरह से समझौता किया जा सकता है। *2006* के बाद के घटनाक्रम इस बात का संकेत देते हैं कि राज्य वेतनमान में काफी सुधार कर रहा है। और नियोजीत शिक्षकों को उपलब्ध परिलब्धियाँ। उन्होंने आगे कहा कि *2006* के बाद बिहार राज्य में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाए गए और शिक्षा में पर्याप्त प्रसार में भी सुधार हुआ है।

विद्यार्थिनियों का नामांकन और कुल प्रजनन दर में कमी लाने में मदद मिली। उन्होंने एक टिप्पणी प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:

" 1. बालिकाओं के नामांकन और शिक्षा में सुधार

सरकारी स्कूल। इसी तरह, लड़कियों का नामांकन काफी अधिक है
2006-07 में *4.2* लाख से *2016-17* में *14.41* लाख तक की वृद्धि

सरकारी स्कूलों की माध्यमिक कक्षाएं *(IX-X)*। विवरण.
ये निम्नानुसार हैं:

प्राथमिक कक्षाएं *(I* से *VIII)*

वर्ष

कुल

% बढ़ाएँ।

लड़कियों का नामांकन

नामांकन

43.47 %

2005-06

13282932

5775325

50.69 %

10137266

2016-17 19995608

माध्यमिक कक्षाएँ *(IX-X)*

2006-07 1158904

424790

36.65 %

50.29 %

2016-17

2865460

1441176

10 वीं और *12* वीं बोर्ड के परिणाम भी तर्कों का समर्थन करते हैं और *2006* से *2017* तक *10* वीं और *12* वीं की उत्तीर्ण लड़कियों की स्थिति बोर्ड इस प्रकार है:

10 बोर्ड

12 बोर्ड

वर्ष

% ऐप.

%

लड़कियाँ

कुल

लड़कियाँ

कुल

एप दिखाई दिया।

प्रकट हुआ।

एप दिखाई दिया।

विद्यार्थी

विद्यार्थी

2005 560376 186613

33.30 %

314802 99238

31.52 %

34.67 % 339604

110579 | 32.56 %

207705

2006 599104

255463 37.10 % 460609

170117 36.93 %

2007 688508

2008 769244

294514 38.29 % 508332

194456 | 38.25 %

362506 40.19 % 583209

234116 40.14 %

2009 901965

246830 | 40.62 %

403226 41.38 % 607718

2010 974393 *2011 931332*

42.88 %

702069

283384 | 40.36 %

399328

328391 40.43 %

2012

1262026 565228 44.79 %

812315

2013 1364023

323514 39.42 %

44.30 %

604247

820590

610388 45.61 %

996954 414533 41.58 %

2014 1338268

2015 1424423 653307 45.86 %

480491 39.41 %

1219315

484110 | 41.99 %

1577840 725169 45.96 % 1152826

2016

2017 1763471 866283 49.12 % 1257342 556084 44.23 % टी. ई. ऑफ बिहार बनाम.

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

2. कुल प्रजनन दर *(*टीएफआर*)* में कमी

नमूना पंजीकरण प्रणाली *(*भारत के महापंजीयक*)* के अनुसार,

बिहार की कुल प्रजनन दर *(*टी. एफ. आर.*)* में काफी कमी आई है

2005 में *4.3* से *2016* में *3.3* तक। इसका सीधा संबंध शिक्षा से है। लड़कियों का मानक, जो संभावित माँ हैं। यह देखा जा सकता है

बिहार राज्य के लिए वर्ष *2016* के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली *(*एस. आर. एस.*)* की रिपोर्ट *(*अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न प्रति*)* और रिपोर्ट नीति आयोग की *(*अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न प्रति*)* जो इस प्रकार हैः

कुल प्रजनन दर *(*टी. एफ. आर.*)*

शिक्षा का स्तर

अनपढ़।

4.2

औपचारिक शिक्षा के बिना

3.9

नीचे प्राथमिक

3.9

प्राथमिक

3.3

बीच में

3.0

वर्ग-एक्स

2.7

कक्षा-बारहवीं

2.2

स्नातक और उससे ऊपर

2.1

राज्य का औसत

3.3

राष्ट्रीय औसत

2.3

स्रोतः - वार्षिक रूप से प्रकाशित नमूना पंजीकरण प्रणाली *(एस. आर. एस.)*

(भारत के महापंजीयक*)*

3. विद्यालय से बाहर के बच्चों का विभाजन *(6-14* वर्ष*)*

स्कूल से बाहर के बच्चे *(6-14* वर्ष*)*

वर्ष

कुल

लड़कियाँ

एससी

2005-06

2315362

1128110

588491

2017-18

55297

201806

94974

साक्षरता का संकेत देने वाला निम्नलिखित चार्ट भी रिकॉर्ड में रखा गया था

पिछले सात दशकों में बिहार राज्य में:

कुल

पुरुष।

महिला

वर्ष

भारत बिहार भारत बिहार भारत

बिहार

1951

13.49 27.16 22.68 8.66 4.22

18.33

1961

28.30

21.97 9.86

23.17 46.96 35.86

1971

34.45

1981

32.32 56.38 47.11

43.57

37.49

64.13

51.37 39.29

1991

52.21

21.99

47.53

2001

64.83

75.26

60.32 53.70 33.57

71.20

73.04 61.80 80.14

64.60 51.50

2011

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि महिलाओं में दशकीय वृद्धि

2001 और *2011* के बीच बिहार में साक्षरता *18* प्रतिशत थी।

शिक्षा, सरकार। *2012* में बिहार का "।

श्री दीवान ने बिडी सप्लाई में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

कंपनी बनाम। भारत संघ और अन्य ", गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और

अन्य *8,* द सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्ब्रांसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल बनाम गिरीश कुमार नवलखा और अन्य ", एच. एच. श्री अमर मठ के श्री स्वामीजी और अन्य बनाम हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त और अन्य *20,* कर्नल ए. एस. अय्यर और अन्य बनाम वी. बालासुब्रमण्यम और अन्य *2 1,* जावेद नियाज बेग और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *2 2,* मालपे विश्वनाथ आचार्य और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य *2 3,* जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *24,* महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम जलगांव नगर परिषद

और अन्य *25,* सूराराम प्रताप रेड्डी और अन्य बनाम जिला।

कलेक्टर, रंगा रेड्डी जिला और अन्य *26* और शिवशक्ति शुगर लिमिटेड बनाम श्री रेणुका शुगर लिमिटेड और अन्य *2,7*।

17 1956 एससीआर *267*

18 (1974) 4 एस. सी. सी. *656*

19 (1975) 4 एस. सी. सी. *754*

22 1980 पूरक एस. सी. सी. *155* *23 (1998) 2* एससीसी *1*

24 (2003) 8 एस. सी. सी. *369*

25 (2003) 9 एस. सी. सी. *731*

26 (2008) 9 एस. सी. सी. *552*

27 (2017) 7 एस. सी. सी. *729* टेट ऑफ बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

32. उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का जवाब देते हुए

पाठ्यक्रम की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्न और अपील के तहत प्रश्न कि क्या नियोजीत शिक्षकों द्वारा प्राप्त परिलब्धियां थींस्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन की तुलना में, राज्य द्वारा एक सारणीबद्ध चार्ट में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

" (1) विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन कितना है*?*

क्लर्क और चपरासी के पद केवल गैर-शिक्षण के तहत हैं।

माध्यमिक*/*वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारी श्रेणी। वहाँ हैं।

प्राथमिक विद्यालयों *(*कक्षा *I-V)* में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कोई पद नहीं हैं और माध्यमिक विद्यालय *(*कक्षा *I-VIII)*।

चपरासी, लिपिक और नियोजीत शिक्षकों के वेतन की तुलना

ए. प्रारंभिक नियुक्ति पर

(राशि रुपये में*)*।

विवरण चपरासी लिपिक प्राथमिक

माध्यमिक वरिष्ठ

(काम करना *(*वर्किंग नियोजीत नियोजीत नियोजीत*)*

माध्यमिक

शिक्षक-शिक्षक *(10 + 2)*

के तहत

(प्रशिक्षित*) (*स्नातक *(*प्रशिक्षित*)*

न्योजीत

राज्य

राज्य

सरकार.*)*

प्रशिक्षित*)*

सरकार.

शिक्षकगण

(प्रशिक्षित*)*

13370

बुनियादी

13370

936

डी. ए. *@7* प्रतिशत

1393

936

936

936

1260

एचआरए *@4* प्रतिशत

535

535

535

535

796

720

चिकित्सकीय

1000

1000

1000

1000

1000

1000

सकल वेतन

15841

20980

15841

ध्यान दें: शिक्षक के लिए उनके कार्यकाल के पहले दो वर्षों के लिए कोई ग्रेड वेतन नहीं

सेवाएँ। *B.* दो साल की सेवा पूरी करने के बाद

विवरण पीओन

माध्यमिक वरिष्ठ

क्लर्क

प्राथमिक

माध्यमिक

(काम करना *(*काम करना*)*

नियोजीत

नियोजीत

नियोजीत

शिक्षक शिक्षक शिक्षक

के तहत

(10 + 2)

के तहत

(प्रशिक्षित*) (*स्नातक*-(*प्रशिक्षित*)*

नियोजीत

राज्य

राज्य

सरकार.*)*

प्रशिक्षित*)*

सरकार.

शिक्षकगण

(प्रशिक्षित*)*

बुनियादी

20740

21820

डी. ए. @

1477

1452

1527

1337

1376

1452

7 %

एचआरए @

873

764

844

786

830

830

4 %

1000

1000

1000

चिकित्सकीय

1000

1000

1000

सकल

24421 22812

24022

22201

25220

24022

वेतन *[2019] 7* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माननीय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति सुप्रीम कोर्ट।

प्राथमिक माध्यमिक वरिष्ठ

विवरण पीओन

क्लर्क

नियोजीत नियोजीत

माध्यमिक

(काम करना।

(काम करना।

नियोजीत

के तहत

के तहत

शिक्षकगण

शिक्षक-शिक्षक

(10 + 2)

नियोजीत

(प्रशिक्षित*)*

(स्नातक *(*प्रशिक्षित*)*

राज्य

राज्य

प्रशिक्षित*)*

सरकार.

सरकार.*)*

शिक्षकगण

(प्रशिक्षित*)*

26240

बुनियादी

23610

24930

24930

डी. ए. @

1653

1477

1745

1745

1837

1337

7 %

एचआरए @

1050

997

997

844

764

944

4 %

1000

1000

1000

1000

1000

चिकित्सकीय

1000

30127

सकल

22201

24421 27207

वेतन

33. राज्य ने भी रिकॉर्ड में रखा, परिलब्धियों में वृद्धि

विभिन्न चरणों में नियोजीत शिक्षकों को प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार हैः

प्राथमिक शिक्षाविदों के वेतन में वृद्धि

(प्रशिक्षित*)*-एक नज़र में

टिप्पणियां

उपस्थित हैं।

विवरण प्रारंभिक

% बढ़ाएँ

तय किया गया

सकल

बढ़ाएँ।

में

वेतन

वेतन

राशि

में से

प्रति

प्रति

महीना *

वेतन

(आरएस में*) (*रुपये में*)*

(आर एस में*)*।

वेतनमान डब्ल्यू. ई. एफ.

में भर्ती

24064

1604

2003

01.07.2015 &

की वृद्धि

शिक्षा

मित्रा

2.57 समय में

(प्रशिक्षित*)*

मूल वेतन डब्ल्यू. ई. एफ

24843

01.04.2017 के रूप में

397

में भर्ती

19843

5000

2006 -

प्रति

सिफारिशें

पंचायत /

7 थ.

में से

भुगतान करें।

प्रखण्ड /

आयोग

नागर

शिक्षक

(प्रशिक्षित)

17134

245

में भर्ती

2010 -

पंचायत

/ प्रखण्ड */* नागर

शिक्षक

(प्रशिक्षित)

128

में भर्ती

12812

2013

पंचायत */* प्रखण्ड */*

नागर

शिक्षक

(प्रशिक्षित)

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

*** नोट-सकल वेतन में महँगाई भत्ता *(*डी. ए.*)*, घर शामिल हैं।
किराया भत्ता *(*एचआरए*)* और चिकित्सा भत्ता।

वेतन में *20* प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के बाद,

तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।

वर्तमान संशोधित। डीए एचआरए चिकित्सा प्रस्तावित

वर्णन

सकल

बुनियादी *(7* प्रतिशत*)*

वेतन

22130

26590 1861 1064 1000

30515.00

2003 में हुई थी भर्ती

शिक्षा मित्र *(*प्रशिक्षित*)* *2006* में हुई थी भर्ती

21480 25810 1807 1032 1000

29649

पंचायत/प्रखण्ड/नगर

शिक्षक *(*प्रशिक्षित*)*

20850 25050 1754 1002

2010 में हुई थी भर्ती

पंचायत/प्रखण्ड/नगर

शिक्षक *(*प्रशिक्षित*)*

19650 23610 1653 944

2013 में हुई थी भर्ती

पंचायत/प्रखण्ड/नगर

शिक्षक *(*प्रशिक्षित*)*

**** टिप्पणी-तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिश के अनुसार

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित, वे नियोजीत शिक्षक,

20 % उनके पूर्व-उन्नत पैमाने के वेतन में, जिसका भुगतान किया जा रहा है
डब्ल्यू. ई. एफ. *01.01.2016* "।

34. श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी,

भारत संघ की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियाँ। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि *2006* से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक और नियोजीत शिक्षक एक ही स्कूल में काम कर रहे थे और समान कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने

अलग-अलग कैडर बनाए और अलग-अलग धाराओं से आए। विद्वान महान्यायवादी ने पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *28* और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *29* और विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ *25,27,28,29,30,32,33,35,36,37* और *42* में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, यदि दो अलग-अलग या भिन्न हैं

वहाँ समूहों में असमानता हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह स्थिति की बात है जबकि नियोजीत शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से अलग स्रोतों के माध्यम से की जाती है। के लिए अपनी प्रस्तुति में *28 1963* पूरक। *2* एससीआर *169*

29 (1972) 2 एस. सी. सी. *275 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने के लिए थोक समानता होनी चाहिए और यदि भर्ती के तरीके सहित मामलों में कोई अंतर है, तो सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने किशोर मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ और रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य *3 1*, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसमेर सिंह और अन्य *3 2*, उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा किया। और अन्य बनाम। मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम मनोज के. मोहंती *3 3*, डब्ल्यू. बी. सरकार बनाम। तरुण के. रॉय और अन्य *3 4*, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह और अन्य और एस. सी. चंद्र और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य। यह.

उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि शिक्षा के प्रसार को आर. टी. ई. अधिनियम के जनादेश के संदर्भ में प्राप्त करने की आवश्यकता थी

राज्य का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यकारी कार्यों और नीतिगत मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड *3 5* में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और भारत संघ के हलफनामे के पैराग्राफ *23* के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अनुमान पर भी ध्यान आकर्षित किया जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के परिणामस्वरूप बजट में पूरी तरह से विसंगति होगी और राज्य पर भारी बोझ पड़ेगा।

35. सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के जवाब में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा

समवर्ती सूची विषय होने के कारण, भर्ती और अन्य सेवा शर्तें

वेतन और वेतन निर्धारण से संबंधित मामलों सहित शिक्षकों की संख्या संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी; कि अधिनियम के प्रावधानों में केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान के प्रतिशत हिस्से को निर्धारित नहीं किया गया था और राज्य के शिक्षा बजट या अनुमानों का *60* प्रतिशत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई बाध्यता नहीं थी; कि शिक्षकों के वेतन में असमानता के मुद्दों को दूर करने के लिए बिहार राज्य द्वारा कोई धन नहीं मांगा गया था और बिहार राज्य को 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत दूसरा सबसे अधिक धन मिल रहा था। के साथ

30 आकाशवाणी *1962* एससी *1139* *31 (1982) 1* एस. सी. सी. *618*

32 (1996) 11 एससीसी *77*

33 (2003) 5 एससीसी *188* *34 (2004) 1* एस. सी. सी. *347*

35 (2007) 1 एस. सी. सी. *408* बिहार राज्य बनाम

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

2010 के नियमों के नियम *20 (3)* की प्रयोज्यता के संबंध में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि नियम केवल विधानमंडलों के बिना केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और विधानमंडलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने नियम होने की उम्मीद है और बिहार राज्य ने *2011* में अपने स्वयं के नियम प्रकाशित किए थे।

36. नियोजीत शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से प्रस्तुतियाँ जो उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं के रूप में पेश हुईं, उनका नेतृत्व बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने किया। अन्य विद्वानों की प्रस्तुतियाँ उसका अनुसरण करने वाले वकील के साथ उस क्रम में व्यवहार किया जाता है जिस क्रम में वे पेश हुए थे

और बहस की। श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत किया गया थाः

(i) नियोजीत शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में काम कर रहे थे, जिनका प्रबंधन और नियंत्रण राज्य द्वारा लिया गया था। नियोजीत शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर रहे थे और वही कार्य कर रहे थे जो सरकार द्वारा किए जा रहे थे।

शिक्षकगण।

((ii) आर. टी. ई. अधिनियम में उपयुक्त सरकार के स्वामित्व वाले और स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व वाले स्कूलों पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में विचाराधीन सभी स्कूलों के स्वामित्व में थे

राज्य।

नियोजीत शिक्षकों के अधिकारों को पराजित करना।
(vi) कानून के रूप में, वित्तीय कठिनाई, हमेशा एक संवैधानिक दायित्व माने जाने वाले समान काम के लिए समान वेतन के लिए नियोजीत शिक्षकों की सही मांगों का विरोध करने का कोई आधार नहीं होगी।

(vii) वास्तव में, धन जुटाने का दायित्व राज्य पर था और बजटीय बाधा की याचिका को उठाने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

(viii) 2010 के नियम *7* ने केंद्र सरकार को *5* साल की अवधि के लिए अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए बाध्य किया। संसाधनों को बढ़ाना कार्य करने और ले जाने के लिए अभिन्न था।

आर. टी. ई. अधिनियम के तहत दायित्वों को बाहर निकालें।

उन्होंने बिहार राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों को अलग किया और धीरेंद्र चमोली और अन्य बनाम राज्य *U.P[3]6* में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। , भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *3 7*, जयपाल और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *3*, पंजाब राज्य और अन्य। बनाम. जगजीत सिंह और अन्य। *2.* उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा हमेशा मूल और अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है और राज्य अपने शिक्षकों के साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है, न्यायालय अधिकार को अस्वस्थ करने के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य के साथ-साथ भारत संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के प्रवाह का मतलब यह होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का कैडर नहीं होना चाहिए।

37. श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शिक्षकों के कुछ संघों की ओर से पेश हुए और प्रस्तुत किया कि यह शिक्षकों के लिए खुला नहीं है।

राज्य को संविधान के प्रावधानों और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद *21* ए द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी को पूरा करने में वित्तीय बोझ या कठिनाई का अनुरोध करना और बहस करना। यह उनका निवेदन था कि प्रभावी रूप से नियोजीत शिक्षकों को उन संवैधानिक लक्ष्यों के लिए बोझ उठाने और भुगतान करने के लिए बनाया गया था जिन्हें हासिल करने के लिए राज्य बाध्य थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियोजीत शिक्षकों द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी, योग्यता, अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति सरकारी शिक्षकों के बराबर है कि दोनों श्रेणियां अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हैं और एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान कर रही हैं और इस तरह कोई अंतर नहीं हो सकता है। उन्होंने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। *38* , राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य *3 9*, कर्नाटक

36 (1986) 1 एस. सी. सी. *637 37 (1987) 4* एस. सी. सी. *634 (2008) 6* एस. सी. सी. *1 39 (2012) 6* एस. सी. सी. *1* बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

स्टेट प्राइवेट कॉलेज स्टॉप-गैप लेक्चरर्स एसोसिएशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य *40*, बसीरउद्दीन एम. मदारी और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य *4 1*, उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य *42*

38. विद्वान अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने कहा कि अनुच्छेद *21* ए को *86* वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा *12* तारीख को जोड़ा गया था।

दिसंबर, *2002* लेकिन *01.04.2010* पर लागू हुआ। *26.08.2009* पर आर. टी. ई. अधिनियम के लागू होने के बाद, *16.02.2010* पर दो अधिसूचनाएँ जारी की गईं। पहली अधिसूचना के तहत, अनुच्छेद *21* ए के प्रावधानों को *01.04.2010* पर लागू होने का निर्देश दिया गया था, जबकि दूसरी अधिसूचना के तहत आरटीई अधिनियम

के प्रावधानों को *01.04.2010* पर लागू होने का निर्देश दिया गया था। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि हालांकि संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष *2002* में पारित किया गया था, लेकिन राज्यों को आर. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद *21* ए के संदर्भ में दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लगभग *8* साल की अवधि दी गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विचार सबसे पहले उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य *4 3* में निर्णय में अंकुरित हुआ, जिसकी बाद में *165* वें विधि आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। इस प्रकार राज्यों के पास उपरोक्त दायित्वों का सामना करने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार करने के लिए पर्याप्त समय था। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, *2013*, किशोर न्याय अधिनियम, *2015*, महात्मा गांधी राष्ट्रीय अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, *2005*। बाल और किशोर श्रम *(*रोकथाम और विनियमन*)* अधिनियम, *1986*, अलग-अलग निधियों का गठन किया जाता है और यदि बजटीय बाधाएं कारण हैं, तो इस अदालत द्वारा एम. सी. मेहता बनाम किशोर श्रम *(*रोकथाम और विनियमन*)* अधिनियम, *1986* में जारी किए गए आदेश की तर्ज पर एक अनिवार्यता है। टी. एन. राज्य और अन्य *44* जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आमंत्रित किया

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने संकेत दिया कि प्राथमिक शिक्षा उपकर और उच्च और माध्यमिक के रूप में पर्याप्त राशि एकत्र की गई थी

शिक्षा उपकर। इस संबंध में जानकारी पैरा *2.3* में उपलब्ध है। *3* वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट *2016-17* निम्नानुसार थीः

" 2.3. 3 माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर

40 (1992) 2 एस. सी. सी. *29 41 1995* सप्लीमेंट *(4)* एस. सी. सी. *111 4 2 42 (2018) 13* एस. सी. सी. *560 4 3 (1993) 1* एस. सी. सी. *645* *44 (1996) 6* एस. सी. सी. *756* पैरा *29 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर *(*एस. एच. ई. सी.*)* की शुरुआत वित्त अधिनियम, *2007* में की गई थी, ताकि इस प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके -

माध्यमिक और उच्च शिक्षा।

आई. डी. *1* से आई. डी. *2* की अवधि के लिए केंद्रीय वित्त खातों की जांच से पता चला है कि एस. एच. ई. सी. का कुल *1,83,497* करोड़ का संग्रह किया गया है और सार्वजनिक खाते में कोई आरक्षित निधि बनाए बिना सी. एफ. आई. में जमा किया जा रहा है।

एस. एच. ई. सी. की आय जमा करने के लिए नामित किया गया था और न ही उन योजनाओं की पहचान की गई थी जिन पर उपकर की आय खर्च की जानी थी।
नतीजतन, वित्त अधिनियम में परिकल्पित माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता नहीं थी

पारदर्शी रूप से सुनिश्चित करने योग्य।

पिछले वर्षों की रिपोर्ट में कोष का सृजन न करने और योजनाओं का विस्तार न करने का मामला उठाया गया था, लेकिन रुझान यह है कि

निरंतर "।

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद *21* ए के तहत अधिकार की सामग्री जब तक एक शिक्षक की भूमिका पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। एक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए, शिक्षकों को अच्छी तरह से योग्य होना चाहिए और उचित वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। उनके प्रस्तुतिकरण में यह *2010* के नियमों के नियम *20 (3)* का वास्तविक महत्व होगा और संसाधनों को जुटाना राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक पुस्तक के उद्धरणों और विशेष रूप से पैराग्राफ *5* और *6* के शीर्षक "सार्वजनिक व्यय और शिक्षा नीति" पर भरोसा किया। जिस प्रासंगिक उद्धरण पर भरोसा किया गया था वह थाः

"जबकि राज्य स्तर पर व्यापक बजटीय संकटों के बावजूद कम लागत वाली स्कूली सुविधाओं के विकास ने प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में मदद की है, स्कूली बुनियादी ढांचे में अपर्याप्तताएँ *(*मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से*)* बनी हुई हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती खंड में उल्लेख किया गया है।

45 (2006) 4 एससीसी *1* *46 [* "भारत-विकास और भागीदारी "जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन द्वारा*]*
बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

इंगित करें। इसके अलावा, दूसरे चरण की शिक्षा सुविधाओं पर बढ़ती निर्भरता की प्रवृत्ति में कुछ परेशान करने वाली विशेषताएं हैं। इस संदर्भ में कम से कम तीन गंभीर मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जो क्रमशः

गुणवत्ता का मुद्दा इस तथ्य से संबंधित है कि शिक्षक
योग्यता और बुनियादी सुविधाएं अक्सर खराब होती हैं।

दूसरा-नियमित स्कूलों की तुलना में स्कूली शिक्षा की सुविधाओं को ट्रैक करें। कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति करने वाली विशेषताएं भी हैं, विशेष रूप से अधिक जवाबदेही *(*जैसे बेहतर कार्य प्रोत्साहन या निकट सामुदायिक भागीदारी के कारण*)*, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हैं

सुविधाओं से वास्तव में स्वीकार्य गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की उम्मीद की जा सकती है।

इक्विटी इश्यू उस चिंता का अनुसरण करता हैः यदि 'सेकंड ट्रैक' का अर्थ है 'सेकंड रेट', तो वैकल्पिक स्कूली सुविधाओं के विस्तार में वंचितों के अधिकार को कम करने का वास्तविक खतरा शामिल है।

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हालाँकि ये सुविधाएँ उन्हें अल्पावधि में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की गहरी असमानताओं को बनाए रखने के जोखिम पर किया जा सकता है, जिससे बच्चे विभिन्न सामाजिक
पृष्ठभूमि के लोगों के पास शिक्षा के बहुत अलग अवसर हैं *(*न केवल सरकार के बीच विभाजन के संदर्भ में*)*।

और निजी स्कूल लेकिन अब के ढांचे के भीतर भी

सरकारी स्कूल "।

40. वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने विभिन्न स्तरों पर सरकारी शिक्षकों की तुलना में नियोजीत शिक्षकों द्वारा प्राप्त वेतन और परिलब्धियों का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

संविधान में अनुच्छेद *21* ए की शुरूआत रातोंरात की गई कवायद नहीं थी, बल्कि इस तरह के अधिकार को वास्तविकता बनाने के लिए काफी विचार प्रक्रिया की गई थी। अनुच्छेद *21* ए लागू होने के बाद भी राज्यों को हर मोर्चे पर खुद को तैयार करने के लिए आठ साल की पर्याप्त अवधि दी गई थी। उनके प्रस्तुतिकरण में, अधिनियम की धारा *23* और *25* गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं को सुनिश्चित करती हैं और यदि दोनों पहलुओं को एक साथ लिया जाए तो यह अपरिहार्य होगा कि शिक्षक पर्याप्त संख्या में होने चाहिए और उन्हें उचित वेतन भी मिलना चाहिए। उनके अनुसार, नियोजीत शिक्षकों के लिए गारंटी के तीन सेट उपलब्ध थे। पहला, संविधान के अनुच्छेद *41* के तहत, दूसरा संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत।

संविधान और तीसरा आर. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जिसके आधार पर नियोजीत शिक्षक वेतन में समानता का दावा कर सकते हैं *[2019] 7* एस. सी. आर.

वेतनमान। उन्होंने वित्त की रिपोर्ट पर भरोसा किया

मिशन *47*, प्रासंगिक भाग हैः

" 12.190 ... . एम. एच. आर. डी. के अनुमानों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन *Rs.5000* प्रति माह और *Rs.7000* माना गया है।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रति माह। राज्यों में एसएसए शिक्षकों की नियुक्ति और वेतनमान के तरीके में कोई समान पैटर्न नहीं है। कुछ राज्यों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित वेतनमान पर की जाती है, जबकि कई अन्य राज्यों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय वेतनमान या अनुबंध पर की जाती है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग *(*सी. पी. सी.*)* के कार्यान्वयन से, किसी भी स्थिति में, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि का दबाव पैदा होगा, चाहे नियुक्ति का कोई भी तरीका हो। इसलिए, हमने आधार वर्ष की तुलना में *30* प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, इस तथ्य को देखते हुए कि इनमें से अधिकांश शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। हमने एक वार्षिक का भी प्रावधान किया है

हमारी धारणा के अनुरूप इन वेतनों में *6* प्रतिशत की वृद्धि

सी. पी. सी. के बाद सरकार के वेतन में वार्षिक वृद्धि

सेवक। इसी तरह, जबकि एसएसए मुद्रास्फीति के कारण धन की मात्रा में किसी भी वार्षिक वृद्धि का प्रावधान नहीं करता है, हमने योजना के सभी गैर-वेतन घटकों में *5* प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया है।

12.20 एसएसए ने *2001-02* में राज्यों से *15* प्रतिशत की समान निधि आवश्यकता के साथ शुरुआत की। *2006-07* तक, मिलान निधि की आवश्यकता *25* प्रतिशत थी। यह उत्तरोत्तर बढ़ गया है

35 2007-08 और *2008-09* में प्रतिशत और *2009-10* में *40* प्रतिशत। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में यह *2010-11* में *45* प्रतिशत और *2011-12* में *50* प्रतिशत तक जाने की उम्मीद है। हम मानते हैं कि यही अनुपात शेष वर्षों में भी जारी रहेगा।

पुरस्कार की अवधि। विभिन्न राज्यों ने इस समान हिस्से को प्रदान करने में कठिनाइयाँ व्यक्त की हैं, विशेष रूप से उनके आकार के कारण

वर्षों से वार्षिक योजनाओं में वृद्धि हुई है। *12.21* हमारा विचार है कि इन परिस्थितियों में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों के संसाधनों में वृद्धि की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए अनुदान प्रदान करने का सबसे उपयुक्त तरीका होना चाहिए। इससे कुछ वित्तीय गुंजाइश भी मिलेगी।

आर. टी. ई. अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के एक हिस्से को पूरा करने के लिए राज्य। हमने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि

वित्त आयोग, *2010-15* के लिए *2009* में प्रकाशित *ATE of Bihar v.*

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले संसाधनों की कमी को देखते हुए, कई राज्य *2009-10* में अपने हिस्से का *40* प्रतिशत प्रदान नहीं कर पाए हैं। वास्तव में, हमारा अनुमान है कि आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, राज्य चालू वर्ष और अगले वर्ष में अपने संसाधनों से *35* प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए, हम पुरस्कार अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के अनुमानित एसएसए व्यय का *15* प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश करते हैं। यह राशि *50* प्रतिशत के लक्षित राज्य हिस्से के बीच के अंतर को पूरा करेगी।

ग्यारहवीं योजना का अंतिम वर्ष और *2008-09* में किया जाने वाला आवश्यक योगदान, अर्थात अलग-अलग राज्यों का *35* प्रतिशत।

एसएसए शेयर।

12.22 पूर्वोत्तर राज्यों को केवल *10* प्रदान करने की आवश्यकता है।

एसएसए के लिए उनके हिस्से के रूप में उनके संसाधनों से प्रतिशत। हालाँकि, जैसा कि एम. एच. आर. डी. ने एक पूरक ज्ञापन में बताया है, इनमें से कई राज्य इतनी राशि भी प्रदान नहीं कर पाए हैं, जिससे एस. एस. ए. के कार्यान्वयन में मंदी आई है। इन राज्यों की राजकोषीय बाधाओं को कम करने के लिए हम प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष *2007-08* और *2008-09* में योगदान की गई औसत राशि और पुरस्कार अवधि के पांच वर्षों में से प्रत्येक में योगदान करने के लिए आवश्यक राशि *(10* प्रतिशत हिस्से के आधार पर*)* के बीच के अंतर के लिए एक अनुदान राशि की सिफारिश करते हैं, जो प्रति वर्ष न्यूनतम *5* करोड़ रुपये के अधीन है। इस आधार पर गणना की गई पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकता *Rs.367* करोड़ है। पाँच वर्ष की अवधि।

12.23 इन सभी राज्यों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित अनुदान कुल मिलाकर *Rs.24,068* करोड़ है। राज्यवार और वर्षवार आवंटन अनुलग्नक *12.1* में दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये अनुदान

राज्यों के वर्तमान व्यय का विकल्प नहीं हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के तहत व्यय *(*योजना *+* गैर-योजना*)*, यानी प्रमुख शीर्ष *2202*, उप प्रमुख शीर्ष*-1*, इसमें अनुशंसित अनुदानों को छोड़कर, कम से कम *8* प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, जो हमारे देश में अनुमानित विकास दर है।

सामाजिक क्षेत्र के गैर-वेतन घटक के अनुमान

पुरस्कार अवधि, वार्षिक रूप से, *2010-15* "के दौरान।

सुश्री मखीजा ने तब कहा कि राज्य में तीन श्रेणियों में शिक्षक हैं, पहली श्रेणी नियमित शिक्षकों को सरकारी वेतनमान पर वेतन और परिलब्धियां मिल रही हैं।

दूसरी श्रेणी शिक्षा मित्रों की थी जिन्हें *2002* से केंद्रीय योजनाओं के तहत शामिल किया गया था। शिक्षकों की तीसरी श्रेणी वे हैं जिन्हें *2006* के नियमों के अनुसार शामिल किया गया था। दूसरी श्रेणी के रूप में

ऊपर बताए गए, अब अंतिम श्रेणी में विलय हो गए हैं और सामूहिक रूप से नियोजीत शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य *48*, यू. पी. राज्य में निर्णयों पर भरोसा किया। और अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे और अन्य, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य *$1*

सुश्री मखीजा ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा खींचा गया भेद कृत्रिम था और उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य असमानता को जारी नहीं रहने दे सकता है और असमानता को कायम नहीं रख सकता है।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदंबरम ने अनुच्छेद *21* ए के तहत अधिकार की सामग्री पर जोर दिया और कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा *26* के तहत

आर. टी. ई. अधिनियम के अनुसार, शिक्षकों की रिक्ति की स्थिति *10* प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी और इस प्रकार शिक्षकों को निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया जाना था और राज्य की ओर से बजटीय बाधाओं का बहाना बनाना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा *28* के तहत, एक शिक्षक को निजी शिक्षण गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य *2*, हुसैनारा पर भरोसा किया। खातून और अन्य *(IV)* बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना *52*, खत्री और अन्य *(II)* बनाम बिहार राज्य और अन्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य *3-8* और बृज मोहन लाल बनाम बिहार राज्य, पटना *52*, खत्री और अन्य *(II)* बनाम बिहार राज्य और अन्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य *3-8* और बृज मोहन लाल बनाम बिहार राज्य, पटना *52*, खत्री और अन्य *(II)* बनाम बिहार राज्य और अन्य *3-8*।

भारत संघ और अन्य *54.* अंत में, उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद *21* ए के तहत अधिकार को सार्थक बनाया जाना चाहिए।

42. बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी उन शिक्षण कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उपस्थित हुए।

IX से आगे। उनके अनुसार, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में कुल दायित्व इस सीमा में था या

48 (1983) 2 एससीसी *33 4 9 49 (2001) 4* एससीसी *78* पैरा *10 50 (2017) 9* एससीसी *1*

51 (1974) 4 एससीसी *3* पैरा *85*

52 (1980) 1 एससीसी *98* पैरा *10*

53 (1981) 1 एससीसी *627* पैरा *5* *54 (2012) 6* एस. सी. सी. *502* पैरा *137* से *144* ए. टी. ई. ऑफ बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]283.69* जिसमें से केंद्रीय क्षेत्र को आवंटित होने वाला हिस्सा करोड़ रुपये होगा। <आई. डी. *1* करोड़ और राज्य की राशि रु. *4684.63* करोड़। उनके द्वारा प्रस्तुत एक टिप्पणी में, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नियोजीत शिक्षक समान/समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।

" i) यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि ये नियोजीत शिक्षक काम कर रहे हैं।

पूर्व-*2006* नियमों के नियमित शिक्षकों द्वारा किए गए समान/समान कर्तव्य और जिम्मेदारी। विवादित आदेश ने इसे विस्तार से निपटाया है और इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष के पक्ष में बताया है -

ये शिक्षक एक से अधिक स्थानों पर हैं।

(ii) ये नियोजीत शिक्षक एक ही विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम के साथ एक ही छात्र को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

माध्यमिक और *+ 2* परीक्षा में एक ही मूल्यांकन कार्य

iii) इसके अलावा, इन नियोजीत शिक्षकों को भी राज्य द्वारा नियमित शिक्षकों की तरह जनगणना *(*आर्थिक सर्वेक्षण*)* की तैयारी के लिए कर्तव्य, मतदाता सूची तैयार करने से लेकर वोटों की गिनती तक चुनाव कर्तव्य जैसे कर्तव्यों में लगाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव की जानकारी देते हुए इन शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के संबंध में, राज्य इन नियोजीत शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के रूप में मानता है।

iv) ये शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह भारत संघ के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान *(*एन. आई. ओ. एस.*)* बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'प्रारंभिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा' नामक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में भी लगे हुए हैं, जो एक चालू कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक जिले के एक चयनित स्कूल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अध्ययन केंद्र खोला जाता है। इन कार्यक्रमों में ये नियोजीत शिक्षक समन्वयक, सहायक समन्वयक, संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं और पर्यवेक्षक। महत्वपूर्ण रूप से, कभी-कभी, जब न्यूनतम आवश्यक योग्यता जैसे एमए/एमएससी/बी. एड./एम. एड। नियमित शिक्षक में नहीं पाया जाता है, तो ऐसी योग्यता वाले नियोजीत शिक्षक बनाए जाते हैं

उस अध्ययन केंद्र में नियमित शिक्षकों के स्थान पर समन्वयक।

v) इनमें से कई नियोजीत शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चुना जाता है, जो दोनों श्रेणी के शिक्षकों यानी नियोजीत शिक्षकों और नियमित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक परिषद *[2019] 7* एस. सी. आर. द्वारा आयोजित/आयोजित किया जाता है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण, बिहार सरकार *(*एससीईआरटी के समान*)*

एन. सी. ई. आर. टी.*)* *vi)* इसके अलावा, इस तरह का सेवा प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की तैयारी शामिल है।

नवीन शिक्षण पद्धति के साथ-साथ इन नियोजीत शिक्षकों को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखने की जिम्मेदारी भी दी जाती है।
एस. सी. ई. आर. टी. की कमान में पहली से बारहवीं कक्षा तक।

vii) ये नियोजीत शिक्षक समान पारिश्रमिक पर नियमित शिक्षकों के बराबर प्रश्न पत्रों की स्थापना, मॉडरेट करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने आदि में भी लगे हुए हैं।

viii) बड़ी संख्या में कार्यवाहक प्राचार्यों की जिम्मेदारी

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन इन नियोजीत शिक्षकों द्वारा किया जाता है। कृपया माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची देखें जहाँ ये नियोजीत शिक्षक काम कर रहे हैं।

हालांकि, कार्यवाहक प्राचार्य, नियोजीत शिक्षकों का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

यह उनका निवेदन था कि संविधान के अनुच्छेद *14* की कसौटी पर इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों से लगातार पता चलता है कि यदि - कार्यात्मक रूप से समानता की मांग करने वाले वर्ग द्वारा किए गए कर्तव्य समान या समान हैं, जब तक कि आवश्यक योग्यता अधिक न हो, समानता सिद्धांत लागू होना चाहिए और ऐसे मामलों में रोजगार का स्रोत अप्रासंगिक होगा। उन्होंने यह दिखाने के लिए आंकड़ों पर भी भरोसा किया कि *1459* नियोजीत शिक्षक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने अनुग्रह कन्या एस. एस. एस., गया से विवरण प्रस्तुत किया जिसमें छह सरकारी शिक्षक हैं।

और तीन गैर-शिक्षण कर्मचारी भूमिका में थे जबकि *22* नियोजीत शिक्षक एक ही स्कूल में काम कर रहे थे। सभी सरकारी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी उन प्रत्येक नियोजीत शिक्षक को दिए जाने वाले वेतन से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के तहत *3* जुलाई, *2012* से यह प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य था

नौवीं कक्षा के बाद टी. ई. टी. योग्यता रखने के लिए पढ़ाने वाले और ऐसी कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी नियोजीत शिक्षक उक्त योग्यता से लैस थे। इस निवेदन का जवाब देते हुए कि सरकारी शिक्षकों की श्रेणी, जिन्हें एक मरणशील या परिष्करण संवर्ग माना गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई भी नीति किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्पष्ट नहीं है। उन्होंने भरोसा किया।

गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम बिहार राज्य बनाम रमन राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

लाल केशव लाल सोनी और अन्य *48* और अरिंदम चट्टोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

43. नौवीं कक्षा के बाद पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने प्रस्तुत किया कि दो राज्य की ओर से मुद्दे उठाए गए थे कि क्या मरने वाले या गायब होने वाले कैडर के साथ समानता हो सकती है और क्या वित्तीय बाधाओं के आधार पर राज्य को समान वेतन नहीं देना उचित था।

और नियोजीत शिक्षकों को वेतन। उन्होंने दोहराया कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक समान या समान कार्य कर रहे थे। उन्होंने एक लेख "बच्चों को स्कूलों में ले जाने पर धारणा-आरटीई अधिनियम से पहले और बाद में" *56* पर भरोसा किया।

44. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, नौवीं कक्षा पढ़ाने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ओर से उपस्थित हुए

आगे की ओर। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों के बीच कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में हर मामले में पूर्ण कार्यात्मक समानता है। एक तरफ सरकारी शिक्षक और दूसरी तरफ नियोजीत शिक्षक। उनका कहना था कि हालांकि *2006* के नियमों के तहत, पंचायतों और नगर निकायों को शिक्षकों के चयन का काम सौंपा गया था, लेकिन वास्तव में इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों में सभी सरकारी अधिकारी और राज्य सरकार शामिल थे।

स्थिति पर नियंत्रण रखें। उन्होंने बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ और अन्य *7* विशेष रूप से पैरा *50* पर।

उनके द्वारा यह कि ऐसे शिक्षक जो विधिवत रूप से योग्य थे और जिन्होंने अकेले टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें सरकारी शिक्षकों के साथ समानता का हकदार माना जाए और जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी और जिन्होंने टी. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उन्हें समान व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए। उनके प्रस्तुतिकरण में यह आर. टी. ई. अधिनियम के संदर्भ में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के विचार का वास्तविक महत्व होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य *58* में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। *55 (2013) 4* एससीसी *152* पैरा *5* और *13 56* शांता सिन्हा, राजनीति विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय *57 (2012) 13* एससीसी *33*

58 (2018) 12 एस. सी. सी *595 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. श्री वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और परिवर्तनकारी शिक्षक महा की ओर से पेश हुए।

संघ। उन्होंने नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद और अन्य, सचिव और महात्मा में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

गांधी मिशन और एक अन्य बनाम भारतीय कामगार सेना और अन्य *60 (*पैराग्राफ *82* से *90* और *95)*।

47. श्री प्रशांत भूषण, कुछ लोगों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता

प्राथमिक शिक्षकों में से कुछ ने कहा कि टी. ई. टी. योग्यता रखने वाले शिक्षकों का नियमित रूप से स्थानीय अधिकारियों द्वारा चयन किया जाता था और हालांकि, भर्ती का तरीका अलग हो सकता है, वे वही कर रहे थे जैसा कि अन्य सरकारी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था। उनकी योग्यताएँ समान थीं और *2010* के नियमों के नियम *20 (3)* के अधिदेश के संदर्भ में, वे सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और भत्तों के हकदार थे।

48. कुछ माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने कहा कि

2006 के नियमों सहित प्रावधानों ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की सर्वव्यापी भूमिका को दिखाया, जिसने इन कृत्रिम भेद और श्रेणियों का निर्माण किया था और पंचायतें केवल राज्य द्वारा तय किए गए निर्णय को लागू कर रही थीं। उनके प्रस्तुतिकरण में बुनियादी मुद्दे थे कि क्या संवैधानिक जनादेश से संबंधित मामलों में राज्य के लिए कोई विवेकाधिकार हो सकता है और क्या वित्तीय बाधाओं को एक वैध बहाने के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि आर. टी. ई. अधिनियम की धारा *7* के तहत राज्य पर समवर्ती वित्तीय जिम्मेदारी है। सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी। *25.06.2006* पर मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए मसौदा नोटों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा तंत्र वित्तीय व्यवस्था के बारे में था और वहाँ

राज्य पर वित्तीय बाधा जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया और

अन्य *6 1,* उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य *4 3* और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एच. पी. राज्य को मिली मान्यता

& सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन समितियाँ और अन्य *6 2*

49. कुछ प्राथमिक शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े ने कहा कि चूंकि यह एक शिक्षक की आय है।

61 (1992) 3 एस. सी. सी. *666* *62 (1995) 4* एस. सी. सी. *507* स्टेट ऑफ बिहार बनाम

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

शिक्षक हमेशा से सीमित रहे हैं और राज्य की ओर से इसे और सीमित करने का प्रयास किया गया है। सचिव बनाम रेप्टाकोस ब्रेट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कामगारों पर भरोसा करना। *&* कं. लिमिटेड और दूसरा यह था

प्रस्तुत किया कि शिक्षकों को जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए और नियोजीत शिक्षक वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं जैसा कि सरकारी शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद और अन्य *5 9* और चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम रजनी वली और अन्य *64* में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा किया। *50.* श्री बी. पी. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ शिक्षकों की ओर से पक्ष लेने की मांग करते हुए पेश हुए और उनके निर्णय पर भरोसा किया

इस न्यायालय ने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी *(3)* और अन्य *45 (*पैरा *55),* जबकि श्री वी. एन. सिन्हा, कुछ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया और एक अन्य ने कहा कि राज्य के प्रत्येक कार्य में तर्कसंगतता होनी चाहिए। अन्य सभी विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि नियोजीत शिक्षक सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं।

51. प्रत्युत्तर में, यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि कोई निर्णय नहीं लेने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में आगे की नियुक्तियाँ और लेकिन एक बार की नियुक्ति के लिए जो उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार की गई थी, सरकारी शिक्षकों की संख्या काफी कम होती। राज्य सरकारी शिक्षकों को आवश्यक मुआवजा देने के बाद उनके द्वारा रखे गए सभी पदों को समाप्त कर सकता था और इस प्रक्रिया में एक एकल संवर्ग सुनिश्चित कर सकता था।

शिक्षक जो *4.5* लाख से अधिक थे और एक समूह के साथ समानता चाहते हैं जो एक मरने वाला या गायब होने वाला कैडर था, सही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि यदि नियोजीत शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जाता है तो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा। पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *28* और जबर सिंह और अन्य बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय।

64 (2000) 2 एस. सी. सी *42* *65 5 (1978) 1* एससीसी *248 [2019] 7* एस. सी. आर.

हरियाणा और अन्य *29,* एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह और श्री द्विवेदी ने हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम तिलक राज और अन्य पर बहुत अधिक भरोसा किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य *2* में निर्णय ने पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *2* में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर ध्यान नहीं दिया।

और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में। यह. प्रस्तुत किया गया था कि पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *2 8 28* में निर्णय

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद *14* से अलग नहीं किया जा सकता है। रिलायंस था

आर. टी. ई. अधिनियम की धारा *2 (*एन*)* और उपयुक्त सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा नियंत्रित अभिव्यक्ति 'पर यह प्रस्तुत करने के लिए भी रखा गया है कि यह था

पर्याप्त संकेत है कि उपयुक्त सरकार द्वारा नए प्रकार की सेवा स्थापित की जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद *21* ए के तहत अधिकार

न्यायाधिकरण और अन्य *7*, सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ और अन्य *3 9* *52.* विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने जवाब में नवतेज सिंह मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

जौहर और अन्य बनाम सचिव, मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ

विधि और न्याय *68* और पैराग्राफ *95,96,104,110,118* और *119*। उनके प्रस्तुतिकरण में, अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए कुछ मात्रा में संतुलन और समायोजन की आवश्यकता होगी। यदि इस मामले पर बच्चे के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है, तो स्कूल प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इस अधिकार को प्राप्त करने में मदद करे, लेकिन साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन दो विचारों को ध्यान में रखते हुए, यदि राज्य द्वारा अपनाया गया प्रयास अनुच्छेद *21* ए द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए था, तो उस संबंध में प्रयास पूरी तरह से संवैधानिक होंगे जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा से समझौता नहीं किया गया था। उनके अनुसार, वर्तमान मामले में सेवा में लगाए गए दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण *(i)* नियोजीत शिक्षकों की ओर से थे, जिन्होंने निम्नलिखित दृष्टिकोण से दृष्टिकोण की कल्पना की:

66 (2003) 6 एससीसी *123* *67 (1962) 3* एससीआर *269* = एआईआर *1962* एससी *171 68 (2018) 10* एससीसी *1* बिहार का राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

राज्य इस बात पर जोर दे रहा था कि सामुदायिक अधिकार है और सामाजिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना और उन्हें पूरा करना है जिन्हें "हम पहले" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

दृष्टिकोण। दोनों ही वैध दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन यह विचार करते हुए कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, इसके लिए नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होगी, जो स्वभाव से जटिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय पूरी तरह से सामाजिक मुद्दों और अर्थव्यवस्था और समाज के स्वास्थ्य से जुड़े होंगे। इन मुद्दों के साथ-साथ इस संबंध में दृष्टिकोण को राज्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तथ्यात्मक विवरण उसकी नीतियों और उस दिशा में राज्य द्वारा की गई जबरदस्त प्रगति के बड़े प्रभाव को दिखाएंगे। उन्होंने आचार्य महाराजश्री नरेंद्र में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज और अन्य बनाम। राज्य का गुजरात और अन्य *"(*पैरा *31),* असम सनमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*" (*पैरा *33)* और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, कानून मंत्रालय और अन्य "।

53. अदालत की अनुमति से श्री सिब्बल, श्री सुंदरम, श्री विजय हंसारिया और श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्युत्तर में की गई प्रस्तुतियों का जवाब दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह आधार गलत था कि स्कूलों का प्रबंधन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था; उन्हें राज्य द्वारा ले लिया गया था और उनका स्वामित्व था। यह प्रस्तुत किया गया था कि 'समान काम के लिए समान वेतन' की अवधारणा एक मौलिक सिद्धांत था, हालांकि यह सख्ती से एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। श्री हंसारिया ने कम से कम *40* मामलों की एक सूची प्रस्तुत की जहां पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *28* और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय के फैसलों पर ध्यान दिए बिना 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को अपनाया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों की तुलना में लगभग रु। *1802* करोड़ झूठ बोल रहे थे।

खर्च नहीं किया गया और इस तरह से बजटीय बाधाएं एक तर्क नहीं हो सकती हैं। राज्य के हर नुक्कड़ पर या हर पड़ोस में स्कूलों और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके राज्य कोई दान नहीं कर रहा था, बल्कि अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा था और इस तरह, बजटीय बाधाएं कभी भी एक आधार नहीं हो सकती थीं।

54. विद्वान सलाह को व्यापक रूप से सुनने के बाद, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड पर सभी प्रासंगिक सामग्री के माध्यम से ले लिया और हमारे सामने विभिन्न प्रकार से रखा *69 (1975) 1* एससीसी *11*

70 70 (2015) 3 एससीसी *1*

71 (2016) 7 एससीसी *221 [2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे सामने मुद्दों की रूपरेखा, हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले बुनियादी प्रश्न हैं:

क*)* क्या नियोजीत शिक्षक अपनी प्रस्तुति में सही हैं।

कि वे हकदार हैं और उन्हें उचित रूप से समान वेतन दिया गया था

समान कार्य के लिए; और

ख*)* क्या राज्य अपने दृष्टिकोण में न्यायसंगत है और इसमें सही है।

यह दावा करते हुए कि इसके द्वारा किया गया भेद सही और उचित था।

हमारे अनुसार, ये प्रश्न मामले की जड़ तक जाते हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर देते समय, हम आर. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव सहित विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं।

55. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील के अनुसार,

इस मामले को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि राज्य को वर्ष के आसपास किस तरह का सामना करना पड़ा और पिछले कुछ वर्षों में, राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या हासिल करने में सक्षम रहा है, जिसमें नियोजीत शिक्षकों की नियुक्ति और एक अलग संवर्ग का निर्माण शामिल है।

नियोजीत शिक्षक। राज्य के अनुसार, एक ओर उसने सरकारी शिक्षकों के मूल संवर्ग को बिना किसी नई नियुक्ति के संवर्ग बनाने का निर्णय लिया था और इस प्रकार इसे एक मरता हुआ संवर्ग या लुप्त होता हुआ संवर्ग बना दिया था, जबकि दूसरी ओर उसने निर्णय लिया था कि पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

56. शुरुआत में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि *86* वां संविधान

संशोधन अधिनियम वर्ष *2002* में पारित किया गया था, अनुच्छेद को *1.4.2010* यानी कम से कम आठ साल बाद लागू किया गया था। यह भी एक रिकॉर्ड की बात है कि आर. टी. ई. अधिनियम, जिस पर विचार किया जा रहा था,

वर्ष *2009* में अधिनियमित किया गया था और *1.4.2010* पर भी लागू किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित इस संबंध में विकास

अनुच्छेद *21* ए को लागू करने और आर. टी. ई. अधिनियम के अधिनियमन पर अनुच्छेद *441* से *461* में विस्तार से विचार किया गया था।

हम,

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में भंडारी, जे. *3 8.* इसलिए, यह देखना होगा कि राज्य ने अपना आचरण कैसे किया और क्या राज्य द्वारा उठाए गए कदम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए थे।

वर्ष *2002* में ही इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है

केंद्रीय स्तर पर पेश किया गया था। योजना के संदर्भ में, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का संबंधित राज्यों में विस्तार किया जाना आवश्यक था। उस संबंध में उठाए गए कदम, विशेष रूप से वर्तमान मामले में, इंगित करते हैं कि *2002* में किसी समय बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

अभिलेख पर रखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में लगभग *12* प्रतिशत बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे, उन्हें शिक्षा के दायरे में लाना पड़ा। कैबिनेट नोटों से स्पष्ट निर्णय इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए था। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, इस विचार को एक उपयुक्त वैधानिक व्यवस्था और नियमों के नए सेट में अनुवादित किया गया। *2016* नियम बनाए गए। यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा शिक्षकों के संवर्ग में आगे

कोई नियुक्ति नहीं होगी। सरकारी शिक्षकों और नियोजीत टीचर्स नामक शिक्षकों का एक पूरी तरह से नया कैडर बनाया गया था। पूर्ववर्ती शिक्षा मित्रों को नियोजीत शिक्षक के इस नए संवर्ग में शामिल किया गया और पंचायत/प्रखंड स्तर पर नए रोजगार दिए गए ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। घटनाक्रमों से पता चलता है कि वर्तमान में लगभग चार लाख ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़े, जो परित्यक्त अनुच्छेद *31* में विस्तार से परिलक्षित होते हैं, उस संबंध में राज्य द्वारा की गई प्रगति को दर्शाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार राज्य छात्रों के नामांकन में पर्याप्त सुधार हासिल कर सकता है और परिणामों में राज्य के संबंध में पिछले दशक में साक्षरता दर में भी सराहनीय वृद्धि देखी गई है। *57.* इस प्रकार हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां राज्य द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत किए गए निर्णय जनहित और *[2019] 7* एस. सी. आर. द्वारा निर्देशित थे।

सामाजिक प्रतिबद्धता। शिक्षा को अधिकतम स्तर तक फैलाने का विचार प्राप्त किया गया और इस प्रक्रिया में राज्य ने काफी हद तक उन दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया जो उसे आरटीई अधिनियम के साथ पठित अनुच्छेद *21* ए के प्रावधानों के तहत पूरा करने की आवश्यकता थी। तथापि, नियोजीत शिक्षकों की ओर से जो कहा गया है वह यह है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करते समय, राज्य को नियोजीत शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था और 'समान काम के लिए समान वेतन' सुनिश्चित करके उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए था। राज्य की ओर से तर्क यह है कि पहला उद्देश्य जिसे पूरा किया जाना था वह था -

आर. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य के हर नुक्कड़ और कोने में शिक्षा की पहुंच और प्रसार सुनिश्चित करना और हर पड़ोस में स्कूल और सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना; और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद, राज्य अब नियोजीत शिक्षकों की सेवा स्थितियों और वेतन में सुधार करना चाहता है। इसलिए जो सामने आता है वह यह है कि क्या राज्य की ओर से की गई कार्रवाई उचित थी या क्या नियोजीत शिक्षकों का यह कहना सही है कि वे 'समान काम के लिए समान वेतन' के हकदार हैं।

58. इस मुद्दे के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सरकारी शिक्षकों का कैडर, जिसके साथ समानता या समानता की मांग की गई है, एक मरता हुआ या लुप्त होता हुआ कैडर है। राज्य द्वारा सरकारी शिक्षकों के इस संवर्ग में कोई नियुक्ति नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था और *2006* के बाद, पैरा *17* में ऊपर बताए गए अपवाद के साथ, राज्य में सभी नियुक्तियां *2006* के नियमों के प्रावधानों के अनुसार और उनके तहत की गई हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वर्तमान में सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में लगभग *57,293* प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक स्तर पर *7,800* सरकारी शिक्षक हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य में लगभग *4* लाख नियोजीत शिक्षकों की तुलना में लगभग *66,000* सरकारी शिक्षक हैं। यह *4* लाख का समूह है जो एक संख्या के साथ समानता की मांग कर रहा है जो *1/5* से कम है और बहुत ही स्वभाव से जो एक मरता हुआ और गायब होने वाला कैडर है। उन *66,000* में से *31,000* से अधिक

वे थे जिन्हें एक बार के अपवाद के रूप में नियुक्त किया गया था। उस मुद्दे को एक तरफ छोड़ते हुए, तथ्य यह है कि यह *4* लाख से अधिक का एक बड़ा निकाय है जो एक मरने वाले या गायब होने वाले कैडर के साथ समानता की मांग कर रहा है।

59. 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए, विचार किए जाने वाले मौलिक पहलुओं में से एक है -

कर्तव्यों की प्रकृति। जैसा कि श्री काबिल सिब्बल और डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया था, बिहार राज्य बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

नियोजित द्वारा शिक्षक निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों द्वारा किए गए समान या समान होते हैं। वास्तव में, शिक्षकों के दोनों समूह एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक ही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। डॉ. सिंघवी द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में दिए गए संकेतों के साथ-साथ उनके द्वारा दिए गए उदाहरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नियोजीत शिक्षकों द्वारा किए गए कर्तव्यों और दायित्वों की प्रकृति के संबंध में कोई अंतर या अंतर नहीं है। कुछ नियोजीत शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तथापि, विचाराधीन नियम अर्थात्। *2006* नियम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नियोजीत शिक्षकों की भर्ती का तरीका था

यह सरकारी शिक्षकों की भर्ती से बिल्कुल अलग है। चयन समिति ने *2006* के नियमों के प्रावधानों के तहत विचार किया जिसमें पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल थे। चयन स्थानीय स्तर पर भी था न कि बिहार लोक सेवा आयोग या स्कूल चयन बोर्ड के माध्यम से। उच्च न्यायालय में दायर अपने पूरक जवाबी हलफनामे के पैरा *13* में राज्य द्वारा उस ओर से सामने लाया गया अंतर स्पष्ट रूप से भर्ती के तरीके में अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भर्ती का तरीका और चयन के मानक अलग थे लेकिन कर्तव्यों की प्रकृति अलग थी।

नियोजीत शिक्षकों द्वारा किया गया प्रदर्शन बिल्कुल समान रहा है। क्या शिक्षकों की इन दोनों धाराओं के बीच कोई अंतर हो सकता है*?* हम कर सकते हैं,

इसलिए, इस स्तर पर 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के विकास को देखें और देखें कि क्या यह किसी भी योग्यता या अपवाद को स्वीकार करता है।

60. किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ में

आयकर अधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था और केवल प्रथम श्रेणी के आयकर अधिकारी ही आयुक्तों और सहायक आयुक्तों के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार थे। ऐसे अधिकारियों में से ऐसी कोई सीधी पदोन्नति नहीं हो सकती थी जो

आयकर अधिकारी वर्ग-*II*। यह निवेदन कि यह संविधान के अनुच्छेद *16 (1)* का उल्लंघन था, खारिज कर दिया गया। आगे प्रस्तुतिकरण यह था कि दोनों श्रेणियां समान प्रकार का काम कर रही थीं लेकिन उनका वेतन था पैमाना अलग थे और इस तरह 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। उक्त निवेदन पर विचार करते हुए संविधान पीठ ने कहाः

"3. एकमात्र अन्य तर्क यह है कि प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बीच भेदभाव है क्योंकि वे एक ही तरह का काम करते हैं, उनके वेतनमान अलग-अलग होते हैं। यह, यह है

कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। यदि इस विवाद की कोई वैधता थी, तो किसी अधिकारी की सेवा की अवधि के आधार पर वेतन का कोई वृद्धिशील पैमाना तय नहीं किया जा सकता था। समान काम के लिए समान वेतन के अमूर्त सिद्धांत का अनुच्छेद *14* से कोई लेना-देना नहीं है। यह तर्क कि संविधान का अनुच्छेद *14* इसलिए उल्लंघन भी विफल हो जाता है।

61. लगभग *20* साल बाद, 'समान के लिए समान वेतन' का सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह बनाम संघ के मामले में स्वीकार किया गया था।

और अन्य *3 1*। तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि हालांकि 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मौलिक अधिकार था।इट्यूशनल लक्ष्य। चर्चा इस प्रकार थी:

" *7.* हमारा ध्यान बिनॉय कुमार मुखर्जी बनाम की ओर आकर्षित किया गया था। भारत संघ आई. एल. आर. *(1973) 1* डेल *427* और माखन सिंह बनाम। भारत संघ आई. एल. आर. *(1975) 1* डेल *227,* जहाँ किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। भारत संघ ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1139* "समान वेतन" के सिद्धांत का वर्णन करता है।

"समान कार्य के लिए समान वेतन ", एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक है पदार्थ। किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एयर

1962 एस. सी. *1139* स्वयं हमारे लिए कोई वास्तविक सहायता नहीं है क्योंकि वहाँ जो निर्णय लिया गया था वह यह था कि सेवा के विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन के विभिन्न पैमाने हो सकते हैं। यह सर्वविदित है कि एक विशेष श्रेणी में प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताओं के साथ एक सेवा में अलग-अलग ग्रेड हो सकते हैं और हो सकते हैं, उच्च श्रेणी अक्सर निम्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए एक पदोन्नति का अवसर होती है। उच्च श्रेणी के लिए उच्च योग्यता, जो या तो शैक्षणिक योग्यता या सेवा की अवधि के आधार पर अनुभव हो सकती है, अधिकारियों के वर्गीकरण को अलग-अलग वेतनमानों के साथ दो श्रेणियों में यथोचित रूप से बनाए रखती है। "समान के लिए समान वेतन" का सिद्धांत

"कार्य" एक अमूर्त सिद्धांत होगा जो अनुच्छेद *14* को आकर्षित नहीं करता है यदि उन पर लागू करने की कोशिश की जाती है।

8. यह सच है कि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को हमारे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान का अनुच्छेद *39 (*डी*)* राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में "पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन" की घोषणा करता है।

बिहार का समान वेतन ए. टी. ई. बनाम. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम का अर्थ है सभी के लिए और लिंगों के बीच समान काम के लिए समान वेतन। निर्देशक सिद्धांतों, जैसा कि इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में बताया गया है, को व्याख्या के मामले के रूप में मौलिक अधिकारों में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद *14* में राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करने का आदेश दिया गया है।

कानूनों और अनुच्छेद *16* का संरक्षण घोषित करता है कि वहाँ होगा

राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति या नियुक्ति। ये संविधान के समानता खंडों का कुछ अर्थ होना चाहिए

सभी। अधिकांश लोगों के लिए संविधान के समानता खंडों का कोई मतलब नहीं होगा यदि वे अपने काम और उन्हें मिलने वाले वेतन से बेपरवाह हैं। उनके लिए समानता के खंडों में कुछ सार होगा यदि समान काम का अर्थ समान वेतन है। क्या कथित डाकू-बैरन और तस्कर राजाओं पर मुकदमा चलाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया या कर चोरी करने वालों से निपटने के लिए भेदभावपूर्ण है, चाहे लाइसेंस या परमिट देने के मामले में कोई विशेष सरकारी नीति निर्बाध रूप से प्रदान करती है।

कार्यपालिका पर विवेकाधिकार, क्या औद्योगिक टाइकून के साम्राज्यों का अधिग्रहण मनमाना और असंवैधानिक है और अन्य

यदि संविधान के समानता खंडों का उनके लिए कोई महत्व है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के लोगों के गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। फिर से शब्द "समाजवादी "का कुछ अर्थ होना चाहिए। भले ही इसका मतलब यह नहीं है कि 'प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार', इसका मतलब कम से कम 'समान काम के लिए समान वेतन' होना चाहिए। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को कानून की सभी समाजवादी प्रणालियों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है, उदाहरण के लिए, हंगेरियन श्रम संहिता की धारा *59*, चेकोस्लोवाक संहिता की धारा *111* का पैरा *2*, बल्गेरियाई संहिता की धारा *67*, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य संहिता की धारा *40*, के पैरा *2*।

रूमानियाई संहिता की धारा *33*। वास्तव में इस सिद्धांत को कई पश्चिमी श्रम संहिताओं में भी शामिल किया गया है। के तहत

धारा *31* में प्रावधान *(*छ. फ्रेंच कोड डु ट्रैवेल की पुस्तक *I* की संख्या *2* डी*)*, और अर्जेंटीना के कानून के अनुसार, यह सिद्धांत सभी सामूहिक सौदेबाजी *[2019] 7* एस. सी. आर. में महिला श्रमिकों पर लागू होना चाहिए।

समझौते। जर्मन संघीय गणराज्य के ग्रुंडगेसेट्ज़ की धारा *3* और मैक्सिकन संविधान की धारा *123* के खंड *7* के अनुसार, इस सिद्धांत को सार्वभौमिक महत्व दिया गया है। *265)*। द. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान की प्रस्तावना 'समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक' के सिद्धांत को स्थितियों के सुधार को प्राप्त करने के साधनों में से एक के रूप में मान्यता देती है 'जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के लिए इस तरह का अन्याय, कठिनाई और अभाव शामिल है जिससे इतनी बड़ी अशांति पैदा होती है कि दुनिया की शांति और

सद्भाव खतरे में पड़ जाता है। प्रस्तावना और अनुच्छेद *39 (*डी*)* के आलोक में अनुच्छेद *14* और *16* का निर्माण करते हुए, हमारा विचार है कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत उन अनुच्छेदों से निकाला जा सकता है और बिना किसी वर्गीकरण के असमान वेतनमान के मामलों में उचित रूप से लागू किया जा सकता है।

या तर्कहीन वर्गीकरण हालांकि वे जो वेतन के विभिन्न पैमाने प्राप्त करते हैं, एक ही नियोक्ता के तहत समान काम करते हैं।

9. इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि दिल्ली पुलिस बल में चालक दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार की सेवा में अन्य चालकों के समान कार्य और कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि कुछ भी हो, "एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों" के साथ उनके निवेश के कारण, उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां अधिक कठिन हैं। याचिका में लगाए गए इस आरोप के जवाब में कि दिल्ली पुलिस बल के चालक-कांस्टेबल अन्य विभागों में चालकों की तुलना में कम कठिन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, प्रत्यर्थियों ने अपने काउंटर में स्वीकार किया कि दिल्ली पुलिस बल के चालक-कांस्टेबलों के कर्तव्य कठिन थे। फिर उन्हें दूसरों की तुलना में कम वेतन देने का क्या कारण है? वहाँ कोई नहीं है। उत्तरदाताओं का एकमात्र उत्तर यह है कि दिल्ली पुलिस बल के चालक और अन्य चालक अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं और "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे अदालतें मान्यता दे सकें और उस पर कार्य कर सकें। हमने दिखाया है कि जवाब अस्पष्ट है। स्पष्टीकरण तर्कहीन है। इसलिए हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता और दिल्ली पुलिस बल के चालक-कांस्टेबलों के वेतन का पैमाना कम से कम रेलवे सुरक्षा बल के चालकों के बराबर तय करने का निर्देश देते हैं। वेतन का पैमाना *1* जनवरी, *1973* से प्रभावी होगा, जिस तारीख से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। ए. टी. ई. ऑफ बिहार वी.

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]62.* रणधीर सिंह *3* के बाद, इस न्यायालय द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं और इस मुद्दे पर प्रत्येक निर्णय पर विचार करने और विचार करने के बजाय, हम उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं पहले के सभी निर्णयों को ध्यान में रखा था और फिर इस सिद्धांत की कोई सीमाएँ या योग्यताएँ हैं या नहीं।

समान काम के लिए भुगतान करें '।

63. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह और धारा *4* में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वरियावा के माध्यम से बोलते हुए,

निम्नलिखित के रूप में कार्य कियाः

" *19.* अधिकारियों और दलीलों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि जसमेर सिंह *(1996) 11* एस. सी. सी. *77,* तिलक राज *(2003) 6* एस. सी. सी. *123,* उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय *(2003) 5* एस. सी. सी. *188* और तरुण के. रॉय *(2004) 1* एस. सी. सी. *347* के मामलों में अधिकारियों ने सही कानून निर्धारित किया है।

निस्संदेह, "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और कानून की अदालत में लागू होने में सक्षम है। लेकिन समान मूल्य के समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। अनुच्छेद *14* तर्कसंगत होने की अनुमति देता है।

व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण

भर्ती की गई और एक साथ समूहीकृत किया गया, उन लोगों के विपरीत जिन्हें छोड़ दिया गया था। बेशक, गुणों या विशेषताओं का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। सेवा मामलों में योग्यता या अनुभव वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार हो सकता है। दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वेतन के उद्देश्यों के लिए

प्रशासन। पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या परिणामी हताशा से बचने के लिए एक उच्च वेतनमान भी स्वीकार्य है।

वेतन भिन्नता का कारण। यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, कुछ मामलों में, एक अंतर ला सकता है। यदि शैक्षिक योग्यताएँ भिन्न हैं, तो भी इस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। भले ही व्यक्ति एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। जहां चयन समिति द्वारा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है, वहां उच्च वेतनमान होता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए ऐसे व्यक्तियों को दिए गए अनुदान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता में अंतर के आधार पर एक वर्गीकरण वेतनमान में अंतर को उचित ठहराता है। एक व्यक्ति को बढ़ई या *[2019] 7* एस. सी. आर. के रूप में नामित करने वाला एक मात्र नामकरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिल्पकार इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह नियमित रूप से किसी अन्य बढ़ई या शिल्पकार के समान काम कर रहा है।

सेवा करते हैं। उत्पादित कार्य की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है और यहां तक कि सौंपे गए कार्य की प्रकृति भी भिन्न हो सकती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि की तुलना नहीं है। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी दिए गए काम के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। सटीकता की आवश्यकता और

निपुणता जो नौकरी के लिए आवश्यक हो सकती है, नौकरी से नौकरी में भिन्न हो सकती है। इसे केवल काम की मात्रा से नहीं आंका जा सकता है। विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से फर्क पड़ता है। इस प्रकार आम तौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें एक रिट अदालत हल्के में हस्तक्षेप कर सकती है। आम तौर पर एक पक्ष जो समान काम के लिए समान वेतन का दावा करता है, की आवश्यकता होनी चाहिए

इस संबंध में विवाद उत्पन्न करें। किसी भी स्थिति में, जो पक्ष समान काम के लिए समान वेतन का दावा करता है, उसे आवश्यक दावे करने होंगे और यह साबित करना होगा कि सभी चीजें समान हैं। इस प्रकार, अदालत द्वारा कोई भी निर्देश जारी किए जाने से पहले, अदालत को पहले यह देखना चाहिए कि आवश्यक अभिकथन हैं और एक सबूत है। यदि उच्च न्यायालय, उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, आश्वस्त है कि समान गुणवत्ता का समान कार्य था और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे किए जाते हैं, तो वह आदेश

दाखिल करने की तारीख से समान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। संबंधित रिट याचिका। इन सभी मामलों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अंधाधुंध रूप से इस आधार पर कार्रवाई की है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसी भी प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना लागू होता है।

64. एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और

51 मार्कण्डेय काटजू, जे. ने अपनी सहमति वाली राय में कहा:*:*

" 33. यह उल्लेख किया जा सकता है कि वेतनमान देना विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है और इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है जिससे सरकार और अधिकारियों के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए, अदालत को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से इस तरह के कार्यकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कामगार *(2007) 1* एस. सी. सी. *408*।

ए. टी. ई. ऑफ बिहार वी. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

35. हमारी राय में अदालतों द्वारा लागू करके वेतनमान तय करना समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत उच्च संवैधानिक व्यवस्था को परेशान करता है

राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। यह समझते हुए, इस न्यायालय ने हाल के वर्षों में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने से परहेज किया है, जब तक कि दोनों समूहों के बीच पूर्ण और थोक पहचान न हो *(*और वहां भी मामले को सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, बजाय इसके कि अदालत ही अनुमति दे।

अधिक वेतन*)*। *36.* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल इसलिए कि काम की प्रकृति समान है, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के तरीके, अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों की परवाह किए बिना, समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। में से

डब्ल्यू. बी. वी. तरुण के. रॉय *(2004) 1* एस. सी. सी. *347*।

37. इसी तरह, हरियाणा राज्य बनाम। हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन। *(2002) 6* एस. सी. सी. *72* समान वेतन का सिद्धांत

समान कार्य के लिए बहुत विस्तार से विचार किया गया था। उक्त निर्णय के पैरा *9* और *10* में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ निकाय के लिए। अदालतों को यह महसूस करना चाहिए कि यह काम एक कठिन और समय लेने वाला कार्य है जो विशेषज्ञों के पास भी है।

आवश्यक विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की सहायता को शुरू करना मुश्किल हो गया है। वेतन का निर्धारण और समानता का निर्धारण एक जटिल मामला है जिसका निर्वहन कार्यपालिका को करना है। न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और

ऐसी प्रतिक्रिया जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं-भारत संघ बनाम। प्रदीप कुमार डे *(2000) 8* एससीसी *580 "*।

65. आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य *1 2* में सिंघवी ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 94. पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत

अनुच्छेद *39 (*डी*)* में सन्निहित होने पर पहली बार किशोरी में विचार किया गया था।

मोहनलाल बख्शी बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1139* और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त सिद्धांत को न्यायालय में लागू करने में सक्षम नहीं है। *36* वर्षों के बाद, रणधीर सिंह बनाम में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया। भारत संघ *(1982) 1* एस. सी. सी. *618,* और यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया गया था कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे *[2019] 7* एस. सी. आर. में पढ़कर लागू किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* में समानता का सिद्धांत निहित है। *95.* रणधीर सिंह बनाम का अनुपात। भारत संघ *(1982) 1* एस. सी. सी. *618* को दोहराया गया और कई मामलों में लागू किया गया-धीरेंद्र

एस. सी. सी. *760,* हरियाणा राज्य बनाम। तिलक राज *(2003) 6* एस. सी. सी. *123,* भारत संघ बनाम। तारित रंजन दास *(2003) 11* एस. सी. सी. *658,* अपांग्शु मोहन लोध बनाम। त्रिपुरा राज्य *(2004) 1* एस. सी. सी. *119,* हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321,* हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम। दान बहादुर सिंह *(2007) 6* एस. सी. सी. *207,* केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम। एल. वी. सुब्रमण्येश्वर *(2007) 5* एस. सी. सी. *326* और कैंटीन मजदूर

सभा वी. धातुकर्म और इंजीनियरिंग। कंसल्टेंट्स *(*इंडिया*)* लिमिटेड *(2007) 7* एस. सी. सी. *710,* न्यायालय ने जानबूझकर और बार-बार रणधीर सिंह बनाम के फैसले से विचलन किया। भारत संघ *(1982) 1* एससीसी *618* और पदनाम या कार्य की मात्रा में उस समानता को माना

वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण करने वाले नहीं हैं और यह कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर दावे को स्वीकार करने और स्वीकार करने से पहले, न्यायालय को भर्ती/नियुक्ति के स्रोत और तरीके, योग्यता, कार्य की प्रकृति, मूल्य निर्णय, ए. टी. ई. ऑफ बिहार *v* जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

कंसल्टेंट्स *(*इंडिया*)* लिमिटेड *(2007) 7* एस. सी. सी. *710* और दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि कथित मुख्य नियोक्ता के ठेकेदार के कुछ कर्मचारी मुख्य नियोक्ता के कर्मचारियों के समान कार्य या कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यह ऐसे कर्मचारियों को समानता का दावा करने का अधिकार नहीं देगा। *100.* जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थियों को *1959* के नियमों के नियम *308* के तहत अदालत द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार आधिकारिक परिसमापकों द्वारा नियुक्त/नियुक्त किया गया था और उन्हें कंपनी निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वे.

न तो स्वीकृत पदों पर नियुक्त किए गए थे और न ही उन्हें भारत की संचित निधि से भुगतान किया गया था। इसलिए, केवल यह तथ्य कि वे सरकारी परिसमापक कार्यालयों के नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे थे, समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इस तरह का कोई भी निर्देश सरकार को मंजूरी देने के लिए मजबूर करेगा सरकारी परिसमापकों के कार्यालयों में अतिरिक्त पद ताकि भारत की संचित निधि से नियमित वेतनमान में कंपनी के वेतन और भत्तों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके और हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या को कम करने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय किसी भी कानूनी या संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, नियमित वेतनमान में वेतन और भत्तों के भुगतान और नियमित कर्मचारियों के बराबर अन्य मौद्रिक लाभों के लिए उत्तरदाताओं की याचिका पर विचार करना संभव नहीं है।

समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना।

66. पंजाब राज्य में और एक अन्य बनाम. सुरजीत सिंह और

धारा *13* सिन्हा, जे. ने इस मुद्दे पर सभी प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किया और घ निम्नानुसार हैः

"8. हमसे पहले, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विश्लेषण पर, निम्नलिखित कानूनी स्थिति सामने आए। हम उनके साथ क्रमिक रूप से और आगे रखे जाने के अनुसार व्यवहार करेंगे। विद्वान वकील द्वाराः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *(1)* चयन का तरीका और तरीका वर्गीकरण का आधार हो सकता है। एस. सी. चंद्र बनाम झारखंड राज्य *(2007)*

8 एस. सी. सी. *279* आयोजित किया गया हैः *(* एससीसी पीपी। *290-91 ,* पैरा *27* और *30)*

"27. इस प्रकार, हरियाणा राज्य में *v.* तिलक राज *(2003) 6* एस. सी. सी. *123* में यह माना गया था कि यह सिद्धांत केवल तभी लागू हो सकता है जब दोनों समूहों के बीच पूर्ण और थोक पहचान हो। भले ही दोनों समूहों के कर्मचारी समान काम कर रहे हों, उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा सकता है यदि कोई पूर्ण और थोक पहचान नहीं है जैसे कि एक दैनिक श्रेणी का कर्मचारी।

हो सकता है कि वह एक नियमित कर्मचारी के समान काम कर रहा हो, फिर भी उसे समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह, कर्मचारियों के दो समूह एक ही काम कर रहे होंगे, फिर भी यदि शैक्षिक योग्यता अलग-अलग है तो उन्हें अलग-अलग वेतनमान दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, वेतनमान अलग हो सकता है यदि नौकरियों की प्रकृति, जिम्मेदारियाँ, अनुभव, भर्ती की विधि आदि अलग-अलग हैं।

*

30. यू. पी. राज्य बनाम मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ *(1998) 1* एस. सी. सी. *422* उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही एक ही पद पर आसीन व्यक्ति समान कार्य कर रहे हों, लेकिन यदि भर्ती, योग्यता, पदोन्नति आदि का तरीका अलग-अलग हो तो यह अलग-अलग वेतनमान तय करने के लिए पर्याप्त होगा। जहां दो श्रेणियों के पदों में भर्ती, योग्यता और पदोन्नति का तरीका पूरी तरह से अलग है, वहां समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

(मूल में जोर*)*

किसी दिए गए मामले में, चयन के तरीके को उन कारकों में से एक माना जा सकता है जो एक अंतर ला सकते हैं। *(* हरियाणा राज्य बनाम देखें। चरणजीत सिंह *(2006) 9* एससीसी *321*, एससीसी पैरा

15.)

(2) लंबे समय तक काम करने वाले दैनिक मजदूरी को न्यूनतम वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए। इस ओर से रिलायंस को कर्नाटक राज्य बनाम पर रखा गया है। उमादेवी *(3) (2006) 4* एससीसी *1.* इसके अलावा यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को उमादेवी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन करना चाहिए क्योंकि इस तरह की राहत उसके द्वारा बिहार बनाम टीई के संबंध में दी गई थी।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

वाणिज्यिक कर विभाग के दैनिक मजदूरों से। विद्वान वकील ने कहा कि इस न्यायालय ने हाल ही में, हालांकि कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश के बीच अंतर किया है

जो कुछ समय से काम कर रहे थे, लेकिन संविधान के अनुच्छेद *39*-ए में निहित संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए

भारत के संविधान ने वेतन के पैमाने पर वेतन देने का निर्देश दिया, विशेष रूप से उन मामलों में जहां राज्य का आचरण था अनुचित, अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण पाया गया।

... .

17. हमें इस तथ्य को भी दर्ज करना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा कानून के विकास के विभिन्न चरणों में, उक्त सिद्धांत पर या उसके आधार पर, राय का एक स्पष्ट विभाजन सामने आया है। जबकि *1970* और *1980* के दशक में, इस न्यायालय ने उदारता से लागू किया

स्पष्ट दलीलों या इस बात के प्रमाण पर जोर दिए बिना कि दूसरों के साथ समान रूप से स्थित व्यक्ति सभी मामलों में समान हैं, यह सिद्धांत कहा गया है; हाल ही में भी; यह न्यायालय अलग-अलग आवाजों में बोल रहा है जो निम्नलिखित से स्पष्ट होगा। यह विशेष रूप से इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एस. सी. चंद्र बनाम में देखा गया है। झारखंड राज्य *(2007) 8* एस. सी. सी. *279*, जिसमें यह आयोजित किया गया थाः *(* एस. सी. सी पी. *289*, पैरा *21)*

सरकार या बी. सी. सी. एल. संविधान के अनुच्छेद *39 (*डी*)* को लागू करने के प्रश्न की व्याख्या हाल ही में इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम. चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321* जिसमें उनके प्रभुत्त्व ने पूरे विवाद को रखा है। और यह अभिनिर्धारित किया कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' सिद्धांत को इस कसौटी को संतुष्ट करना चाहिए कि पदाधिकारी समान और समान कार्य कर रहे हैं जैसा कि उन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जिनके खिलाफ समान वेतन का दावा किया जाता है। उनके लॉर्डशिप्स ने इस विषय से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की है और एक विस्तृत चर्चा के बाद आखिरकार इस विवाद को शांत कर दिया है कि वे व्यक्ति जो *[2019]* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावा किया कि समानता को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि शर्तें समान और समान हैं और उनके द्वारा समान कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। यद्यपि हमारे विचार के लिए कई मामले उद्धृत किए गए थे, लेकिन कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321* इन सभी मामलों की इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई है। इसके अलावा, जब हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अपीलकर्ता बी. सी. सी. एल. के कर्मचारी नहीं हैं, तो बी. सी. सी. एल. के क्लर्कों के साथ वेतन की समानता की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

बीसीसीएल "।

18. काटजू, जे. ने अपने अलग लेकिन समवर्ती निर्णय में निम्नलिखित राय दीः *(* एस. सी. चंद्रा मामला *(2007) 8* एस. सी. सी. *279,* एस. सी. सी. पीपी. *290 & 293-94* , पैरा *26* और *35)*

जिम्मेदारी, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति का तरीका आदि और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में समान के लिए समान वेतन का सिद्धांत
काम को काफी कम कर दिया गया है, और यह मुश्किल से हुआ है

हाल के वर्षों में इस न्यायालय द्वारा कभी भी आवेदन किया गया है।

*

35. हमारी राय में अदालतों द्वारा लागू करके वेतनमान तय करना

समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत उच्च स्तर को परेशान करता है
राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत। यह समझते हुए, इस न्यायालय ने हाल के वर्षों में समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने से परहेज किया है।

काम, जब तक कि पूर्ण और थोक पहचान न हो

दोनों समूहों के बीच *(*और वहाँ भी मामले को उच्च वेतन देने वाले न्यायालय के बजाय सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए*)*।

19. एस. सी. चंद्रा मामले *(2007) 8* एस. सी. सी. *279* में पीठ उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेष रूप से चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321* में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः *(* चरणजीत सिंह मामला, एस. सी. सी. पीपी. *329 30 & 334-36* , पैरा *9,17,19* और *22)*

" 9. हरियाणा राज्य में बनाम। तिलक राज *(2003) 6* एस. सी. सी. *123* में यह माना गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत बिहार बनाम का है।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

आवेदन करना हमेशा आसान नहीं होता है। यह माना गया है कि अंतर्निहित हैं

कथित भेदभाव की तुलना में दूसरे समूह के बराबर अधिकारों का दावा करने के लिए पात्र होने से पहले। कोई सामग्री नहीं थी दोनों श्रेणियों के कर्तव्यों की प्रकृति के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया और यह मानना संभव नहीं है कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत एक अमूर्त है।

*

*

चयन के तरीकों में अंतर। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कार्य की प्रकृति में समानता साबित करने का भार पीड़ित श्रमिक पर था। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि चयन के तरीकों में अंतर के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसा कि जसमेर सिंह मामले *(1996)* में सही ढंग से निर्धारित किया गया है कि चयन समिति द्वारा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर चुने गए *11* एस. सी. सी. *77* व्यक्तियों को उच्च वेतनमान दिया जा सकता है क्योंकि उनका मूल्यांकन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामलों में उच्च वेतनमान के भुगतान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जसमेर सिंह मामला *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तरुण के. रॉय मामले *(2004)* में अनुमोदन के साथ नोट किया गया है

एससी *347*।

19. अधिकारियों और दलीलों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि जसमेर सिंह *(1996) 1* एससी *77*, तिलक राज *(2003) 6* एससीसी *123*, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय *(2003) 5* एससीसी *188* और तरुण के.

रॉय *(2004) 1* एस. सी. सी. *347* ने सही कानून निर्धारित किया। निस्संदेह, 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और कानून की अदालत में लागू होने में सक्षम है। लेकिन समान मूल्य के

समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। अनुच्छेद *14* व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

भर्ती की गई और एक साथ समूहीकृत किया गया, उन लोगों के विपरीत जिन्हें छोड़ दिया गया था। बेशक, गुणों या विशेषताओं में एक होना चाहिए जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके साथ उचित संबंध। सेवा मामलों में, पदोन्नति के लिए वेतन के उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण के लिए योग्यता या अनुभव एक उचित आधार हो सकता है।

प्रशासन में कुशलता। पदोन्नति की कमी के कारण ठहराव या परिणामी हताशा से बचने के लिए एक उच्च वेतनमान

वेतन भिन्नता के लिए मार्ग भी एक स्वीकार्य कारण है। तथ्य यह है कि व्यक्ति प्रक्रिया से नहीं गुजरा है

कुछ मामलों में, भर्ती स्वयं एक अंतर ला सकती है। यदि शैक्षिक योग्यताएँ भिन्न हैं, तो भी इस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। भले ही लोग कर सकते हैं एक ही काम करें, उनके काम की गुणवत्ता अलग हो सकती है। जहाँ चयन समिति द्वारा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है, वहाँ उन्हें उच्च वेतनमान प्रदान किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए ऐसे व्यक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता में अंतर के आधार पर एक वर्गीकरण वेतनमान में अंतर को उचित ठहराता है। एक व्यक्ति को एक बढ़ई के रूप में नामित करने वाला एक मात्र नामकरण

या एक कारीगर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह उसी काम को कर रहा है जो दूसरे बढ़ई या कारीगर कर रहे हैं। नियमित सेवा। उत्पादित कार्य की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है और यहां तक कि सौंपे गए कार्य की प्रकृति भी भिन्न हो सकती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि की तुलना नहीं है। द.

'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने के लिए बिहार *v* की आवश्यकता है।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करना। सटीकता

आवश्यकता और निपुणता जो नौकरी में शामिल हो सकती है, वह नौकरी से नौकरी में भिन्न हो सकती है। इसे केवल काम की मात्रा से नहीं आंका जा सकता है। विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन

इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा निर्धारित। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें एक रिट अदालत हल्के में हस्तक्षेप कर सकती है। आम तौर पर एक पक्ष जो बराबरी का दावा करता है

इस संबंध में विवाद उठाने के लिए समान काम के लिए वेतन की आवश्यकता होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जो पक्ष समान काम के लिए समान वेतन का दावा करता है, उसे आवश्यक दावे करने होंगे और यह

साबित करना होगा कि सभी चीजें समान हैं। इस प्रकार, अदालत द्वारा कोई भी निर्देश जारी किए जाने से पहले, अदालत को पहले यह देखना चाहिए कि आवश्यक अभिकथन हैं।

और एक प्रमाण है। यदि उच्च न्यायालय, उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, आश्वस्त है कि समान गुणवत्ता का समान कार्य था और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे किए जाते हैं, तो वह संबंधित रिट याचिका दायर करने की तारीख से समान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इन सभी मामलों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आंख मूंदकर कार्रवाई की है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसी भी प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना लागू होता है।

*

*

22. एक अन्य तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह है सिविल अपील संख्या। *6648* , *6647* , *6572* और *2002* का *6570* आकस्मिक या दैनिक श्रेणी के श्रमिकों के साथ काम नहीं करता है। ये अनुबंध पर कार्यरत व्यक्तियों के मामले हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पूर्ण पीठ का फैसला केवल दैनिक श्रेणी के और आकस्मिक श्रमिकों के बारे में था। जहाँ कोई व्यक्ति किसी अनुबंध के तहत कार्यरत है, वह अनुबंध है जो सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करेगा। हरियाणा राज्य में बनाम। सुरिंदर कुमार *(1997) 3* एस. सी. सी. *633* व्यक्ति अनुबंध के आधार पर नियमित श्रमिकों के रूप में समान वेतन का दावा इस आधार पर किया जाता है कि उनके पद विनिमेय थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इन व्यक्तियों को नियमित पदों पर तब तक कोई अधिकार नहीं था जब तक कि उनका विधिवत चयन और नियुक्ति नहीं हो जाती। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वे समान कर्तव्यों का निर्वहन करने का दावा करके नियमित कर्मचारियों के समान वेतन के हकदार नहीं थे। यह माना गया कि *[2019] 7* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चयन का उद्देश्य पात्रता का परीक्षण करना और फिर नियमों के अनुसार नियुक्ति करना है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाताओं को भर्ती के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती नहीं किया गया था।

.....

24. यह अब संदेह या विवाद में नहीं है कि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत का लाभ देना समान काम, समान मूल्य, नियुक्ति के स्रोत और अप्रमाण, समूह की समान पहचान और थोक या पूर्ण पहचान सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। यह न्यायालय, हाल ही में, भारत संघ बनाम. महाजबीन अख्तर *(2008) 1* एस. सी. सी. *368,* के रूप में स्पष्ट रूप से आयोजित

इसके अंतर्गतः *(* एससीसी पीपी। *376-77* , पैरा *19* और *24)*

"19. इस प्रश्न पर इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों में विचार किया गया, जिसमें यह बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बड़ी संख्या में कारक, अर्थात् शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्य की प्रकृति,

जिम्मेदारी की प्रकृति, भर्ती की विधि की प्रकृति, आदि वेतन के पैमाने के निर्धारण के मामले में समानता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होंगे। *(* वित्त विभाग देखें। वी. डब्ल्यू. बी. पंजीकरण सेवा संगठन *1993* सपं. *(1)* एस. सी. सी. *153,* यू. पी. राज्य बनाम। जे. पी. चौरसिया *(1989) 1* एस. सी. सी. *121,* भारत संघ बनाम। प्रदीप कुमार डे *(2000) 8* एससीसी

580 और हरियाणा राज्य बनाम। हरियाणा सिविल सचिवालय

व्यक्तिगत कर्मचारी संगठन। *(2002) 6* एस. सी. सी. *72)*

*

*

वे इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि आम तौर पर विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को समान माना जाना चाहिए और समान वेतनमान की सिफारिश की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी ने प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाओं को रखने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने अधिशेष के रूप में सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प चुना। उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में सूची में रखा गया था। उन्हें नामित किया गया था सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना सहायक। बिहार का उनका वेतनमान बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

रुपये *6500-10,500* निर्धारित किया गया था जो वेतन का संशोधित पैमाना था। उनके मामले पर पांचवें वेतन संशोधन आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है। यदि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उच्च श्रेणी में वेतन का पैमाना फिर से तय किया गया है।

एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों, कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। मान लिया कि यह भारत संघ का काम था कि वह उन्हें अलग वेतनमान में रखने के लिए उचित कारण बताए। यह किया जा चुका है। हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि न केवल आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ अलग हैं लेकिन कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग है। अनुच्छेद *39 (*डी*)* के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* को भी इस आधार पर लागू किया जाना चाहिए कि समानता खंड को उन लोगों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए जो सभी मामलों में समान रूप से स्थित हैं।

उक्त सिद्धांत को अलग-अलग तथ्य स्थितियों में कैसे लागू किया जाए, यह एकमात्र सवाल है। जबकि इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को लागू करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें याचिकाकर्ताओं के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी; भारत संघ *v.* दिनशान के. के. *(2008) 1* एस. सी. सी. *586,* नियम के आवेदन को एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ने की वकालत की गई थी, जिसमें कहा गया थाः *(* दिनशान के. के. मामला*)* एस. सी. सी. पीपी. *592-93* , पैरा *16)*

"16. एक बार फिर हरियाणा राज्य बनाम में हाल ही में लिए गए निर्णय में। चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321* तीन लोगों की पीठ विद्वान न्यायाधीश, हरियाणा राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए। जसमेर सिंह *(1996) 11* एस. सी. सी. *77,*

तिलक राज *(2003) 6* एससीसी *123,* उड़ीसा विश्वविद्यालय

कृषि और प्रौद्योगिकी बनाम मनोज के. मोहंती *(2003) 5* एस. सी. सी. *188* और सरकार। डब्ल्यू. बी. वी. तरुण के. रॉय *(2004) 1* एस. सी. सी. *347* ने दोहराया है कि समान वेतन का सिद्धांत
समान कार्य एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और कानून की अदालत में लागू होने में सक्षम है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए कि समान मूल्य के समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हर मामले में कोई गणितीय अनुप्रयोग नहीं है, यह माना गया है कि अनुच्छेद *14*

गुणों के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है या

भर्ती किए गए और एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों की विशेषताएँ, जो छूट गए हैं। बेशक, गुणों या विशेषताओं का *[2019] 7* एस. सी. आर. के साथ उचित संबंध होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई। कई कारकों की गणना करना जो सिद्धांत के अनुप्रयोग की गारंटी नहीं दे सकते हैं
समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए, यह माना गया है कि चूंकि उक्त सिद्धांत के लिए विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता है

किसी दिए गए कार्य के लिए, आम तौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता को एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि दावे के आधार पर आवश्यक सामग्री है
बनाया गया आवश्यक प्रमाण के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और यह कि समान गुणवत्ता और अन्य सभी प्रासंगिक कार्य समान हैं

कारक पूरे होते हैं। "

25. ऐसा हो सकता है कि चरणजीत सिंह *(2006) 9* एस. सी. सी. *321* में न्यायमूर्ति वरियावा ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए "मई" शब्द का इस्तेमाल किया हो।

भर्ती के स्रोत के संबंध में लेकिन वही होना चाहिए एक प्रासंगिक कारक के रूप में माना जाता है जैसा कि निर्णय के परिचालन भाग से पता चलता है। इसलिए, चरणजीत सिंह इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं।

इस न्यायालय के अन्य निर्णय जहाँ

उक्त सिद्धांत के आह्वान के उद्देश्य से नियुक्ति को एक प्रासंगिक कारक माना गया है। हम बंधे हैं

उपरोक्त तीन-न्यायाधीश पीठ का निर्णय। *67.* स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम दिव्येंदु

आचार्य *1 4* डॉ. चौहान, जे. ने कहाः

" 23. यह न्यायालय राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम में इसी तरह के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए।

डब्ल्यू. बी. न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक संघ। *(2010) 5* एससीसी *225,*

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः *(* एस. सी. सी पी. *232 ,* पैरा *18-20)*

" 18. ..... विभिन्न पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन और ऐसे पदों पर लागू वेतनमान का निर्धारण और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में समानता का निर्धारण जटिल कार्यकारी कार्य हैं, जिन्हें विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाता है। वेतनमान में समानता प्रदान करना तुलनात्मक पर निर्भर करता है।

नौकरी का मूल्यांकन और पदों का समीकरण।

19. सिद्धांत 'समान काम के लिए समान वेतन' एक नहीं है

मौलिक अधिकार लेकिन एक संवैधानिक लक्ष्य। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि शैक्षिक योग्यता, नौकरियों की प्रकृति, किए जाने वाले कर्तव्य, निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारियां, अनुभव, भर्ती की विधि आदि। केवल तुलना पदों के पदनाम के आधार पर गलत धारणा है।

न्यायालयों को बिहार बनाम का संज्ञान लेना चाहिए। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

ऐसे मामलों को संयम के साथ देखें और केवल तभी हस्तक्षेप करें जब वे संतुष्ट हों कि सरकार का निर्णय है

कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण।

20. असमानता साबित करने का बोझ कर्मचारियों पर है जो दावा कर रहे हैं

समानता "।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि वेतन की समानता का दावा किया जा सकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *39 (*डी*)* के प्रावधानों में यह स्थापित किया गया है कि दोनों पदों की पात्रता, चयन/भर्ती का तरीका, कार्य और कर्तव्यों और प्रयास की प्रकृति और गुणवत्ता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, निपुणता, कार्यात्मक आवश्यकता और जिम्मेदारियां और स्थिति समान हैं। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन कौशल और जिम्मेदारियां वास्तव में और हो सकती हैं।

काफी अलग। दूसरे पद के लिए किसी उच्चतर पद की आवश्यकता नहीं हो सकती है। योग्यता, वरिष्ठता या इसी तरह के अन्य कारक। वेतनमान में समानता प्रदान करना नौकरी के तुलनात्मक मूल्यांकन और पदों के समीकरण पर निर्भर करता है। समानता का दावा करने वाले व्यक्ति को आवश्यक अनुरोध करना चाहिए

बयान दें और साबित करें कि संबंधित पदों के बीच सभी चीजें समान हैं। इस तरह के एक जटिल मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है

पक्षों द्वारा दायर हलफनामों का मूल्यांकन करना। *31.* नियोक्ता द्वारा भेदभाव स्थापित करने की जिम्मेदारी वेतन की समानता का दावा करने वाले व्यक्ति पर है। विशेषज्ञ समिति

इस तरह के मुद्दों पर निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि वेतनमान आदि का निर्धारण कार्यपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों का मूल्य निर्णय अर्थात

सेवा शर्तों आदि को प्रामाणिक, उचित और बोधगम्य मानदंडों पर पाया जाता है, जिसमें विभेदन के उद्देश्य का एक तर्कसंगत संबंध है, इस तरह का विभेदन निम्न के बराबर नहीं होगा -

भेदभाव। एक ही संवर्ग में दो श्रेणी के पद होना कानून में निषिद्ध नहीं है। इस प्रकार, किसी पद का नामकरण एकमात्र निर्धारक कारक नहीं हो सकता है। न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय केवल यह जांच कर सकते हैं कि क्या राज्य प्राधिकरणों का निर्णय तर्कसंगत और न्यायसंगत है या प्रतिकूल है।

कर्मचारियों के एक विशेष समूह के लिए। अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि सेवा शर्तों में केवल अंतर *[2019] 7* एस. सी. आर. के बराबर नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भेदभाव। जब तक दोनों पदों के बीच पूर्ण और थोक/संपूर्ण पहचान नहीं है, उन्हें समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए और अदालत को इस सिद्धांत को लागू करने से बचना चाहिएः

समान काम के लिए समान वेतन "।

68. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस टी ने निम्नलिखित सीमाओं या योग्यताओं को स्वीकार किया है'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की क्षमताः

i) 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत अमूर्त नहीं है।

सिद्धांत।

(ii) 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत में कोई यांत्रिकता नहीं है।

हर मामले में आवेदन।

iii) यह तथ्य कि व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा है।

कुछ मामलों में, भर्ती अपने आप में एक अंतर ला सकती है।

(iv) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। *v)* इस प्रकार आम तौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये हैं।

ऐसे मामले नहीं हैं जहां एक रिट अदालत हल्के में हस्तक्षेप कर सकती है।

vi) वेतनमान प्रदान करना विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि

कैस्केडिंग प्रभाव सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करता है
सरकार और प्राधिकरण।

vii) पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे

किसी विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाए।

viii) न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। *ix)* समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर दावे पर विचार करने और स्वीकार करने से पहले, न्यायालय को विचार करना चाहिए।

भर्ती के स्रोत और तरीके जैसे कारक

नियुक्ति।

x) किसी मामले में, चयन के तरीके को एक माना जा सकता है।

जिन कारकों से फर्क पड़ सकता है।

69. नवीनतम निर्णय जिस पर भारी निर्भरता रखी गई थी

नियोजित टीचर्स को बिहार के दो न्यायाधीशों टी. ई. बनाम. की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

पंजाब के ते और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य। द.

जिन पर विचार किया जाना था, उन्हें पैरा *5* में नीचे दिया गया हैः

" 5. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह हैः क्या

अस्थायी रूप से लगे कर्मचारी *(*दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी*)*

नियुक्त, आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, संविदात्मक

कर्मचारी और इसी तरह के*)*, महँगाई भत्ते *(*समय के साथ संशोधित*)* के साथ नियमित वेतनमान के न्यूनतम के हकदार हैं।

समय-समय पर*)* समान कर्तव्यों का पालन करने के कारण जो स्वीकृत पदों के खिलाफ नियमित रूप से लगे लोगों द्वारा किए जाते हैं*?* उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ *(*अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, *2011* एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. *15326)* ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त विवाद ने निष्कर्ष निकाला था कि इस तरह

अस्थायी कर्मचारी न्यूनतम के हकदार नहीं थे

नियमित वेतनमान, केवल इस कारण से कि दैनिक मजदूरों और नियमित कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ समान थीं। हालाँकि, इसने दो अपवाद बनाए, और ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन का न्यूनतम विस्तार किया। विवादित फैसले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दर्ज किए गए अपवाद हैं:

यहाँ नीचे निकाला गया है: *(* अवतार सिंह मामला, एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच पैरा

37)

" (1) नियमित रूप से स्वीकृत पदों के लिए एक दैनिक मजदूरी, तदर्थ या संविदात्मक नियुक्ति, यदि एक अवधि से गुजरने के बाद नियुक्त किया जाता है।

निष्पक्षता और समानता पर आधारित चयन प्रक्रिया

अन्य सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर, नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम नियमित वेतनमान के हकदार होंगे।

(2) लेकिन अगर दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ या संविदात्मक नियुक्तियों को नियमित स्वीकृत पदों और उनकी सेवाओं के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है

राज्य सरकार या उसके उपकरणों द्वारा पर्याप्त लंबी अवधि के लिए अर्थात *10* वर्षों के लिए निरंतर, काल्पनिक अवकाश के साथ लाभ उठाया जाता है, ऐसे दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ या संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति बिना किसी भत्ते के नियमित वेतनमान के न्यूनतम के हकदार होंगे।

बारहमासी प्रकृति उपलब्ध है और इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी में एक न्यायसंगत अधिकार बनाया जाता है। नियमितीकरण के लिए उनके दावे, यदि कोई हो, पर कानूनी रूप से अनुमेय योजना के संदर्भ में अलग से विचार करना पड़ सकता है।

(3) घटना में, न्यूनतम वेतनमान के लिए दावा तीन साल से अधिक और *10 [2019] 7* एस. सी. आर. के पूरा होने के दो महीने बाद किया जाता है।

निरंतर काम करने के वर्षों, दैनिक मजदूरी, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी तीन साल की अवधि के लिए बकाया के हकदार होंगे।

और दो महीने।

70. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम संघ के वेतन समानता के मुद्दे पर सभी फैसलों को नोट किया था।

भारत का *3 1* और फिर पैरा *42* निष्कर्ष पर पहुँचा। सीमाएँ या

'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए योग्यताओं पर भी पैरा *42* में विचार किया गया था और पैरा *43* के बाद से, अस्थायी कर्मचारियों *(*अलग-अलग रूप से कार्य-शुल्क, दैनिक-मजदूरी, आकस्मिक, तदर्थ, संविदात्मक और इसी तरह के रूप में नामित*)* द्वारा उठाए गए वेतन समानता के दावे पर भी विचार किया गया था। इस मुद्दे पर चर्चा के बाद, मामला इस प्रकार समाप्त हुआः

"57. इसमें कोई संदेह नहीं है कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या से उभरा है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है और यह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून का गठन करता है। यही बात भारत के संविधान के अनुच्छेद *141* के तहत भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सिद्धांत के मापदंडों को हमारे द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

पैरा *42* यहाँ ऊपर है। "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को अस्थायी कर्मचारियों *(*अलग तरीके से*)* तक भी बढ़ाया गया है।

कार्य-शुल्क, दैनिक मजदूरी, आकस्मिक, तदर्थ, संविदात्मक, और इसी तरह के रूप में वर्णित*)*। अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कानूनी स्थिति का सारांश हमारे द्वारा पैरा *44* में दिया गया है। उपरोक्त

कानूनी स्थिति जो बार-बार घोषित की गई है,

हमारे द्वारा एक बार फिर दोहराया गया।

71. 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए योग्यताएँ जिन्हें लंबे समय से मान्यता और स्वीकार किया गया है।

ऊपर उल्लिखित निर्णय अच्छी तरह से स्थापित हैं। जगजीत सिंह *2* में लिए गए निर्णय ने उन योग्यताओं में से कुछ को फिर से दोहराया। ये

सीमाओं या योग्यताओं को कम नहीं किया गया है लेकिन फिर से सूचित किया गया है।

72. हम, इस स्तर पर, राज्य की ओर से दिए गए इस निवेदन पर विचार कर सकते हैं कि जगजीत सिंह के मामले में निर्णय नहीं लिया गया था। पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *2 8* और ज़बर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए पहले के फैसलों को ध्यान में रखें। हरियाणा राज्य *2 9* और अन्य।

बिहार राज्य बनाम। द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

जिला बोर्ड और नगरपालिका बोर्डों द्वारा संचालित स्कूल, जिन्हें 'प्रांतीकरण' कहा जाता था, उत्तरदाता जोगिंदर सिंह जैसे शिक्षक, हालांकि राज्य के कर्मचारी बन गए थे, प्रांतीकृत शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा थे जो राज्य के शिक्षकों के संवर्ग से अलग थे। प्रांतीय कैडर में आगे कोई नियुक्ति नहीं करने का निर्णय भी लिया गया और इस प्रकार कहा गया कि कैडर एक मरता या गायब होने वाला कैडर होना था। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रांतीय कैडर को *15* के समान पैटर्न पर विभाजित किया जाएगाः *85* जैसा कि राज्य संवर्ग में किया गया

था, लेकिन प्रांतीय संवर्ग में किसी भी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उस संवर्ग में नई नियुक्तियां नहीं होंगी, लेकिन राज्य संवर्ग में उचित संख्या जोड़ी जाएगी और नई नियुक्तियां केवल राज्य संवर्ग में की जाएंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों संवर्गों के कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया गया था, लेकिन उनकी पदोन्नति की संभावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। प्रस्तुतिकरण कि समय बीतने के साथ, प्रांतीयकरण की ताकत कैडर घटता रहेगा और इस तरह, पदोन्नति और *15* प्रतिशत समूह का हिस्सा बनने की संभावना कम होती जाएगी और इस तरह प्रांतीय कैडर के कर्मचारियों को पूर्वाग्रह में डाला जाएगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह *2 8* के मामले में यह टिप्पणी की थीः

"*22.* अब उस बिंदु पर विचार करना बाकी है जो उठाया गया था कि राज्य दो सेवाओं का गठन नहीं कर सकता है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी शामिल हों।

समान कार्य लेकिन वेतन के विभिन्न मानकों के साथ या सेवा की विभिन्न शर्तों के अधीन और ऐसी सेवाओं का गठन अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा। इस प्रस्तुति के आधार पर दो अभिधारणाएँ हैंः *(1)* समान काम को समान वेतन मिलना चाहिए, और *(2)* यदि वेतन और काम में समानता है तो सेवा की समान शर्तें होनी चाहिए। जहाँ तक पहले प्रस्ताव का संबंध है, इसे इस न्यायालय द्वारा किशोरी मोहनलाल *[2019] 7* एस. सी. आर. मामले में निश्चित रूप से खारिज कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. भारत संघ *(1962* एससी ए. आई. आर. *1139)* दास गुप्ता, जे. स्पीकिंग न्यायालय ने कहाः

एक ही तरह का काम करें, उनके वेतनमान अलग-अलग होते हैं। कहा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। यदि इस तर्क की कोई वैधता थी, तो एक अधिकारी की सेवा की अवधि के आधार पर वेतन का कोई वृद्धिशील पैमाना तय नहीं किया जा सकता था। समान काम के लिए समान वेतन के अमूर्त सिद्धांत का कोई लेना-देना नहीं है। अनुच्छेद *14* के साथ। यह तर्क कि अनुच्छेद *14*

संविधान का उल्लंघन किया गया है, इसलिए यह भी विफल रहा है।

दूसरा भी, हमारी राय में, अनुचित है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मौजूदा सेवा की भर्ती एक निश्चित योग्यता के आधार पर की जाती है, तो उसी काम को करने के लिए दूसरी सेवा का निर्माण किया जा सकता है। उसी तरह से लेकिन पदोन्नति की बेहतर संभावनाओं के साथ असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है, और यह तथ्य कि बनाए गए नियम दोनों समूहों के कर्मियों को दूसरे द्वारा आयोजित स्थानों पर मुफ्त स्थानांतरण की अनुमति देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस उत्तर को किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं कर रहे हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी भी अनुबंध में प्रवेश करता है तो वह संवैधानिक गारंटी की सहायता नहीं ले सकता क्योंकि वह अपने अनुबंध से बंधा हुआ है। लेकिन यह निष्कर्ष विभिन्न और व्यापक सार्वजनिक आधारों पर आधारित है। कि जो सरकार प्रशासन चला रही है, उसके पास अनिवार्य रूप से प्रशासन को संचालित करने के लिए सेवाओं के संविधान में एक विकल्प होना चाहिए और संविधान द्वारा लगाई गई सीमाएं ऐसी नहीं हैं जो ऐसी सेवाओं के निर्माण को रोक सकें।

इसके अलावा, उदाहरण के लिए, किसी आवश्यकता या आपात स्थिति को पूरा करने के लिए एक अस्थायी भर्ती हो सकती है जो नहीं है

किसी भी सराहनीय अवधि के लिए रहने की उम्मीद है। सरकार को अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति से वंचित करना

समान वेतन और कैडर संख्या के भीतर अन्य स्थायी अधिकारियों के समान काम करना लेकिन अलग-अलग नियमों द्वारा शासित और सेवा की शर्तें, जिसमें पदोन्नति भी शामिल हो सकती है, प्रशासन के तरीके पर प्रतिबंध लगाने के लिए होगी जो हमें लगता है कि संविधान द्वारा अभिप्रेत नहीं था। इस अपील के निर्णय के उद्देश्य के लिए यहां जिस प्रश्न पर चर्चा की गई है वह अकादमिक है, लेकिन हम अपने सामने रखे गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए इस पर खुद को व्यक्त कर रहे हैं।

ए. टी. ई. ऑफ बिहार वी. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

23. विवादित नियमों के नियम *3* द्वारा बनाए गए प्रांतीयकृत और राज्य संवर्ग के शिक्षकों के बीच पदोन्नति की संभावनाओं में असमानता के अलावा, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माना है कि राज्य संवर्ग के शिक्षकों के मंडल सूची में होने के कारण एक और असमानता थी, जबकि नियमों के तहत "प्रांतीयकृत" शिक्षकों की अंतर वरिष्ठता और पदोन्नति को जिलेवार निर्धारित किया गया था। यह था। अपीलार्थी के लिए विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने बताया कि राज्य संवर्ग को उस सेवा के सदस्यों की बहुत कम संख्या के कारण संभागीय आधार पर रखा गया था, जबकि प्रशासनिक रूप से ऐसा होना असुविधाजनक पाया गया था।

इसका और संदर्भ लें। *24.* जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, दोनों सेवाओं की शुरुआत स्वतंत्र सेवाओं के रूप में हुई थी। प्रत्येक में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताएँ अलग-अलग थीं, भर्ती की विधि और उसके लिए तंत्र भी अलग-अलग थे और सामान्य योग्यताएँ भी।

प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के पास अलग-अलग होने के कारण वे दो अलग-अलग वर्गों के रूप में शुरू हुए। यदि *27* सितंबर, *1957* के सरकारी आदेश ने उन्हें एक ही सेवा में एकीकृत नहीं किया, तो यह होगा कि दोनों दो अलग-अलग सेवाओं के रूप में शुरू हुए। यदि वे अलग-अलग सेवाएं थीं, तो दोनों सेवाओं के सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता का कोई सवाल नहीं था, न ही अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *16 (1)* के आधार पर तर्क स्थापित करने के लिए पदोन्नति के मामले में दोनों के बीच कोई तुलना का सवाल था। उन्होंने समान रूप से शुरुआत की और वे समान रूप से जारी रहे और उनके व्यवहार में कोई भी असमानता समान अवसर से इनकार नहीं होगी, क्योंकि यह सामान्य आधार है कि प्रत्येक समूह के भीतर दो अनुच्छेदों द्वारा गारंटीकृत उस स्वतंत्रता से कोई इनकार नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के फैसले की नींव कि विवादित नियमों ने दो वर्गों का निर्माण किया जो पहले एक ही वर्ग था और इसके तत्वों की शुरुआत की

दोनों के बीच भेदभाव का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, अगर, जैसा कि हम मानते हैं कि *27* सितंबर, *1957* का आदेश एक पूर्ण *[2019] 7* एस. सी. आर. को प्रभावी नहीं करता है।

दोनों सेवाओं का एकीकरण। इस दृष्टिकोण पर यह माना जाएगा कि विवादित नियमों को उल्लंघन के रूप में निरस्त नहीं किया जा सकता है

संविधान।

25. निष्कर्ष निकालने से पहले यह इंगित करना आवश्यक है कि, जैसा कि पहले बताया गया है, "प्रांतीयकृत" शिक्षकों के लिए विवादित नियमों के कारण होने वाले पूर्वाग्रह का स्रोत इस तथ्य में नहीं है कि दोनों कैडरों को अलग रखा गया था, बल्कि इस तथ्य के कारण है कि "प्रांतीयकृत" कैडर को धीरे-धीरे समाप्त करने का इरादा था। इसलिए विचार के लिए वास्तविक प्रश्न यह होगा कि क्या इस मामले में सरकार के फैसले में कुछ असंवैधानिक था। दूसरे शब्दों में, क्या प्रत्यर्थी और उसका वर्ग कोई था

अपने कैडर की ताकत बनाए रखने का मौलिक अधिकार

अपरिवर्तित? इसका उत्तर केवल नकारात्मक में ही दिया जा सकता है। यदि उनके कैडर की ताकत कम हो जाती है, तो उसका अनुपात जो ग्रेड में हो सकता है। *15 %* कुल संख्या पूर्व निर्धारित होने के कारण, चयन पदों की संख्या में क्रमिक कमी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कैडर की संख्या में केवल कमी से वह परिणाम प्राप्त होगा और जब तक कि प्रतिवादी यह स्थापित नहीं कर सकता कि सरकार उस कैडर में नई भर्ती द्वारा प्रांतीय कैडर में सभी रिक्तियों को भरने के लिए कानून में बाध्य थी और इस प्रकार अपनी ताकत को बनाए रखेगी।

जिस स्तर पर वह *1* अक्टूबर, *1957* को थे, उन्हें असफल होना चाहिए था। यह स्पष्ट है कि इस तरह का विवाद स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।

73. दूसरे फैसले में यह तर्क दिया गया कि जोगिंदर सिंह के मामले में प्रतिस्थापन पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि सात न्यायाधीशों की ऐसी पीठ का गठन किया गया था जो जबर सिंह और अन्य बनाम मामले से निपटती थी। हरियाणा राज्य और *29.* पैराग्राफ *27* से *30,32* से *33* और *35,36* और

जैसा कि नीचे दिया गया है:

" 27. उपरोक्त विश्लेषण से जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि *1* अक्टूबर, *1957* से पहले, शिक्षकों की दो श्रेणियां, स्थानीय निकायों के स्कूलों में सेवारत और सरकारी स्कूलों में सेवारत, अलग थीं। हालांकि न्यूनतम योग्यता और वेतनमान एक समान रहे होंगे, लेकिन अन्य मामलों जैसे भर्ती के तरीके, सेवानिवृत्ति लाभ, वरिष्ठता निर्धारित करने के नियम आदि में अंतर थे। यह भी स्पष्ट है कि ए सरकारी स्कूल के शिक्षक का आयुक्त मंडल में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण किया जाना उत्तरदायी था, एक स्थानीय निकाय शिक्षक ए. टी. ई. ऑफ़ बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

इसे केवल उस निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानीय निकायों के स्कूलों में नियुक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा की जाती थीं, लेकिन वे ऐसे निकाय के अध्यक्ष या अध्यक्ष के परामर्श से ही ऐसा कर सकते थे। अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में भी यही स्थिति थी। इसके अलावा, हालांकि निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं समान थीं, वास्तव में *50* प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय निकाय शिक्षक गैर-मैट्रिक थे और ऐसे कई गैर-मैट्रिक शिक्षक भी बुनियादी प्रशिक्षण की योग्यता के बिना थे, जबकि कुछ गैर-मैट्रिक और कोई भी सरकारी स्कूलों में ऐसे बुनियादी प्रशिक्षण के बिना नहीं था। किसी भी स्थिति में केवल इस तथ्य का कि न्यूनतम योग्यता और वेतन के पैमाने समान थे, इसका

मतलब यह नहीं हो सकता है कि सेवा की अन्य असमान शर्तों को देखते हुए, शिक्षकों की दो श्रेणियों ने एक वर्ग का गठन किया। वास्तव में, श्री तारकुंडे ने स्वीकार किया, जैसा कि अन्यथा स्पष्ट है, कि *1* अक्टूबर, *1957* से पहले, स्थानीय निकायों और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों ने एक कक्षा नहीं बनाई थी। *28.* जहाँ तक *1* अक्टूबर, *1957* की स्थिति का संबंध है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सरकारी स्कूलों के शिक्षक थे और

1955 के नियमों द्वारा शासित होना जारी रहा, जो निस्संदेह *30* मई, *1957* से लागू हुए और जो इसके अतिरिक्त मैट्रिक के रूप में न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई

बुनियादी प्रशिक्षण के लिए। *1937* के नियमों के तहत लोक शिक्षण निदेशक द्वारा भर्ती किए गए सरकारी स्कूल के शिक्षकों का चयन *1954* से चयन बोर्ड द्वारा किया गया था, जब उनका प्रारंभिक वेतन *47.5* रुपये से बढ़ाकर *50* रुपये प्रति माह कर दिया गया था। दूसरी ओर, स्थानीय निकायों के शिक्षकों की भर्ती जुलाई *1957* तक उन निकायों के अध्यक्षों या अध्यक्षों के परामर्श से निरीक्षकों द्वारा की गई थी, जब उन स्कूलों में रिक्तियों में नई नियुक्तियों को रोक दिया गया था। *1955* के नए नियमों के तहत, सरकार ने *15* प्रतिशत पदों के लिए चयन श्रेणी प्रदान की। वास्तव में, इस तरह का दर्जा उन्हें *1955* से पहले भी दिया गया था-नियम बनाए गए थे और नए नियमों ने केवल उस लाभ को जारी रखा। मोटे तौर पर, *1* अक्टूबर, *1957* को स्थिति यह थी कि शिक्षकों की दो श्रेणियों ने अलग-अलग कक्षाओं का गठन किया। हालांकि वे प्रदर्शन कर रहे थे

29. तब सवाल यह है कि क्या सरकार के बावजूद स्कूली शिक्षक और प्रांतीयकृत शिक्षक दो अलग *[2019] 7* एस. सी. आर. बनाते हैं।

1 अक्टूबर, *1957* को कक्षाओं को, उस तारीख और *13* फरवरी, *1961* के बीच की अवधि के दौरान, एक वर्ग में एकीकृत किया गया था, जिसे उन नियमों द्वारा दो संवर्गों में विभाजित किया गया था? यह शायद शिक्षा मंत्री के बयान से प्रतीत होता है

प्रांतीयकरण की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन जिसमें सरकार ने शुरुआत में दो प्रकार के शिक्षकों के बीच एकीकरण लाने का विचार किया था। लेकिन ऐसा कोई ठोस निर्णय कभी नहीं लिया गया। इस स्तर पर कुछ तिथियां स्थिति को स्पष्ट कर सकती हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्थानीय निकायों के स्कूलों के प्रांतीयकरण का निर्णय *19* जुलाई, *1957* को लिया गया था। उस निर्णय के अनुसरण में। सरकार ने *2* अगस्त, *1957* को स्थानीय निकायों के स्कूलों में शिक्षकों की किसी भी नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। *27* सितंबर, *1957* को राज्यपाल ने प्रांतीयकरण की योजना को मंजूरी दी और साथ ही प्रांतीयकृत स्कूलों के मौजूदा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए *20,000* और विषम नए पदों को मंजूरी दी।

प्रांतीयकरण के साथ-साथ, सरकार ने *1* अक्टूबर, *1957* को प्रांतीयकृत शिक्षकों को वेतन का वही पैमाना दिया जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपलब्ध था। हालाँकि, समस्या यह थी कि सरकारी सेवा में प्रांतीयकृत शिक्षकों को कैसे ठीक और समायोजित किया जाए और उनकी अंतर वरिष्ठता के साथ-साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता को भी कैसे तय किया जाए।

30. 1961-नियमों के साथ प्रकाशित ज्ञापन से यह काफी स्पष्ट है कि सरकार इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक उचित सूत्र खोजने की कोशिश कर रही थी। यह प्रक्रिया थी, ऐसा प्रतीत होता है,

23 नवंबर, *1959* से चल रहा है, जब वैकल्पिक प्रस्तावों को चर्चा के लिए तैयार किया गया था और वे प्रस्ताव थे

शिक्षकों के मान्यता प्राप्त संघों को सूचित किया गया। चूंकि शिक्षकों की ओर से कोई सहमति नहीं बनी थी

स्वयं, सरकार ने अपने स्वयं के निर्णय लिए, जैसा कि शिक्षा विभाग के सचिव ने *27* जनवरी, *1960* के अपने पत्र में लोक शिक्षण निदेशक को लिखा था। ये निर्णय तीन बुनियादी सिद्धांतों के इर्द-गिर्द लिए गए थेः *(i)* कि दोनों कैडर पहले की तरह अलग-अलग बने रहेंगे; *(ii)* कि प्रांतीय कैडर एक घटता कैडर होगा; और *(iii)* निम्नलिखित *(i)*

प्रांतीय कैडर राज्य छोड़कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मैदान में अकेला कैडर। इन घटनाओं में कोई संदेह नहीं है कि बिहार बनाम।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

1 अक्टूबर, *1957* के बाद, शिक्षकों की दो श्रेणियों को एकीकृत करने का कोई भी निर्णय लिया गया था, हालांकि *1* अक्टूबर, *1957* के बाद, नए शिक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति प्रांतीय और सरकारी दोनों स्कूलों में की गई थी, जो समान कर्तव्यों का पालन करते थे और उन्हें प्रांतीय शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाता था। लेकिन ऐसे नए शिक्षकों को सरकार द्वारा तय किए गए दो सिद्धांतों के कारण राज्य संवर्ग में नियुक्त किया गया माना जाना था, *(i)* प्रांतीय संवर्ग का घटता चरित्र, और *(ii)* उस संवर्ग को राज्य संवर्ग से मुक्त कर दिया गया है। *1* अक्टूबर, *1957* से पहले भी। इस प्रकार, दोनों श्रेणियां अलग-अलग रहीं और कभी एकीकृत नहीं हुईं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और *1* अक्टूबर, *1957* के बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों को *1955*-नियमों द्वारा शासित किया गया था, जबकि प्रांतीयकृत शिक्षकों को संभवतः नए नियमों तक जिला बोर्ड के नियमों द्वारा शासित किया जाता रहा।

सरकार द्वारा उनके लिए तैयार किया गया था। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि *1961* के नियमों ने शिक्षकों को विभाजित कर दिया था, जिन्होंने एक एकीकृत संवर्ग का गठन दो नए संवर्गों में किया था। इन नियमों को विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त प्रांतीय शिक्षकों के बीच अंतर-वरिष्ठता के रूप में बनाया जाना था।

निर्धारित किया गया और सेवा में उनकी स्थिति को समायोजित करना पड़ा। ये नियम *27* जुलाई, *1960* को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में तैयार किए गए सिद्धांतों पर बनाए गए थे।

... .

32. यह देखा जाएगा कि यद्यपि प्रांतीयकृत शिक्षकों को राज्य संवर्ग के शिक्षकों के समान वेतनमान दिए गए थे, नियमों में प्रावधान किया गया था कि बाद वाले के विपरीत उन्हें केवल उस जिले के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है जहां वे सेवारत थे।

जिन लोगों की प्रांतीयकरण से पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, उन्हें भी इन नियमों के तहत पुष्टि माना गया था। इसका मतलब यह था कि उनकी वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए, इस तरह की पुष्टि से पहले की सेवा सहित उनकी पूरी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा, सिवाय इसके कि चयन श्रेणी में पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता उस श्रेणी में उनकी पुष्टि की तारीख से निर्धारित की जानी थी।

33. इस प्रकार, हालांकि दोनों संवर्गों के शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाता था और वे एक ही तरह का काम करते थे।

1 अक्टूबर, *1957* के बाद नियुक्त किए गए, प्रांतीय कैडर, *[2019] 7* एस. सी. आर. में शिक्षकों के रूप में उन्हीं प्रांतीयकृत स्कूलों में तैनात और काम किया गया था।

तथ्य यह था कि राज्य संवर्ग के शिक्षक *1955* के नियमों द्वारा शासित थे और बने रहे, जबकि प्रांतीयकृत शिक्षक *1961* के नियमों द्वारा शासित थे। यह तथ्य, इस तथ्य के साथ कि एक जिला था और दूसरा एक संभागीय संवर्ग, का मतलब था कि दोनों संवर्ग पहले की तरह अलग-अलग संवर्ग बने रहे। हालाँकि, नए नियमों का प्रमुख प्रभाव यह था कि संवर्ग में पदों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी और इसके साथ-साथ

प्रतिशत के बावजूद चयन श्रेणी में पदों की कुल संख्या पंद्रह बरकरार हैं। लेकिन यह एक ओर कैडर को फ्रीज करने और दूसरी ओर इसके घटते कैडर होने का अपरिहार्य परिणाम था। राज्य कैडर बन गया

तदनुसार एक विस्तारित संवर्ग, सरकारी और प्रांतीयकृत सभी विद्यालयों के लिए पदों की कुल संख्या, कमोबेश स्थिर रहती है।

35. इस प्रकार विवाद वास्तव में इस सवाल को जन्म देता है कि क्या सरकार शिक्षकों की दो श्रेणियों को एक में एकीकृत करने और उन्हें पहले की तरह अलग-अलग संवर्ग के रूप में जारी रखने के लिए बाध्य थी, और क्या ऐसा करने से इनकार करने का मतलब अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *16* का उल्लंघन था। यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के बावजूद *1961* की वैधता-पंजाब बनाम में नियम। जोगिंदर, पंजाब की तत्कालीन सरकार ने *1965* में दोनों कैडरों के लिए *60-175* रुपये का एक समान रनिंग स्केल अपनाया, जिसमें उच्च श्रेणी के पदों के लिए सामान्य *15* प्रतिशत था। लेकिन उस फैसले का इससे कोई लेना-देना नहीं है

पंजाब राज्य द्वारा अपनाए गए सामान्य मानक के बजाय उन नियमों को लागू करने के लिए हरियाणा के नए राज्य के निर्णय की वैधता के साथ *1961*-नियमों की वैधता का प्रश्न, और यदि वे नियम वैध थे। *36.* जिन सिद्धांतों पर अनुच्छेद *14* और *16* का भेदभाव और उल्लंघन किया जा सकता है, वे अब तक इतने अच्छी तरह से तय हो चुके हैं कि हम उन्हें यहां एक बार फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, *1937* से और उससे पहले भी, दोनों

शिक्षकों की श्रेणियां हमेशा अलग रही हैं, जो नियमों के विभिन्न सेटों द्वारा शासित होती हैं, जिन्हें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा भर्ती किया जाता है और वेतनमान और योग्यता के मामलों के अलावा, सेवा की अलग-अलग शर्तें होती हैं। यह स्थिति *13* फरवरी, *1961* तक बनी रही। उस दिन जबकि राज्य संवर्ग के शिक्षकों को *1955*-नियमों द्वारा शासित किया गया था, नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए थे।

प्रांतीयकृत शिक्षकों के लिए। इस प्रकार दोनों संवर्ग अलग होने के कारण, सरकार एक एकीकृत संवर्ग लाने के लिए बाध्य नहीं थी, विशेष रूप से प्रांतीय संवर्ग को घटता हुआ संवर्ग बनाने और अंततः उस सिद्धांत के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र में केवल एक संवर्ग लाने के अपने निर्णय को देखते हुए। यदि ऐतिहासिक कारणों से शिक्षक दो अलग-अलग स्थानों पर रहे थे।

श्रेणियों में, प्रांतीयकृत शिक्षकों के एक अलग संवर्ग में वर्गीकरण को अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है

16. सरकार पर यह भी दायित्व नहीं था कि वह *1961* के नियम बनाए जो दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, पहला, क्योंकि एक नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सभी श्रेणियों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और वह यह चुन सकता है कि किस श्रेणी के लिए कानून बनाना है *(*सखावत अली बनाम देखें। उड़ीसा राज्य *(1955) 1* एससीआर *1004;* मधुभाई अमथलाल गांधी बनाम। भारत संघ *(1961) 1* एस. सी. आर. *191* और विवियन जोसेफ फरेरा बनाम। नगर निगम

ग्रेटर बॉम्बे *(1972) 1* एस. सी. सी. *70)* और दूसरा, क्योंकि यह पहले से ही धीरे-धीरे कम करने के निर्णय पर आ गया था प्रांतीय कैडर ताकि अंततः केवल राज्य कैडर ही सेवा में रहे। यह जटिल समस्या को हल करने का एक तरीका था

अंतर-वरिष्ठता की कठिनाई। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं, तो एक में भर्ती करना और दूसरे में भर्ती नहीं करना सरकार की शक्ति के भीतर है। किसी सरकारी कर्मचारी को उस संवर्ग में नई नियुक्तियां करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे वह संबंधित है। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता कि सरकार के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति थी, और इसलिए, इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि *1* अक्टूबर, *1957* और *13* फरवरी, *1961* के बीच की गई नियुक्तियों को राज्य संवर्ग में नियुक्तियों के रूप में माना जाएगा। यह इस साधारण कारण से किया जाना था कि *1* अक्टूबर, *1957* से पहले ही प्रांतीयकृत संवर्ग को रोक दिया गया था और सरकार ने उस संवर्ग में नई नियुक्तियां नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि वह संवर्ग घटता जा रहा था।

40. उत्तरदाताओं *37* से *96* के संबंध में, उन सभी को प्रांतीयकरण के बाद नियुक्त किया गया था। वे याचिकाकर्ताओं और प्रांतीय कैडर के कुछ अन्य लोगों की तुलना में सेवा में कनिष्ठ हैं। लेकिन उनके मामले की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें *1955* के नियमों और प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया था। उन नियमों *[2019] 7* एस. सी. आर. के तहत निर्धारित भर्ती अधिकारियों के माध्यम से।

अर्थात चयन बोर्ड। जाहिर है, उन्हें प्रांतीय कैडर में नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे पहले ही रोक दिया गया था

1 अक्टूबर, *1957*। हो सकता है कि उन्हें प्रांतीय स्कूलों में तैनात किया गया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उसी में नियुक्त किया गया था।
कैडर। उनकी नियुक्ति एक अलग संवर्ग में होने के कारण, यह कहना असंभव है कि वे समान रूप से स्थित थे। उनके कारण

राज्य संवर्ग में भर्ती, उनकी सेवा की शर्तें, जिसमें उनके पदोन्नति के अवसर और उनकी वरिष्ठता शामिल हैं, *1955* के नियमों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी और केवल उन्हीं के साथ तुलनीय होंगी।

केवल कैडर "।

74. विद्वान महान्यायवादी और विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त निर्णयों पर भारी निर्भरता रखी गई थी जो

राज्य। यह प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि प्रांतीय संवर्ग और राज्य संवर्ग के शिक्षक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और समान जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे और हालांकि, वे वास्तव में समान वेतन और परिलब्धि प्राप्त कर रहे थे, सेवाओं को अलग और अलग माना जाता था। विशेषता यह है कि कैडरों में से एक को मरने वाला होना था या

उन मामलों में गायब होने वाला कैडर भी मौजूद था। इस न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राज्य को अपने अधिकारों के भीतर किसी विशेष सेवा या संवर्ग को मरने वाला या गायब होने वाला संवर्ग होने देना और दोनों सेवाओं की अलग-अलग पहचान बनाए रखते हुए अन्य सेवा में नियुक्तियां करना जारी रखना था, भले ही दोनों संवर्गों से आने वाले शिक्षक समान काम कर रहे हों। हालांकि, कड़ाई से बोलते हुए, उन दो मामलों में 'समान काम के लिए समान वेतन' की अवधारणा शामिल नहीं थी, ये मामले इंगित करते हैं कि राज्य वैध रूप से ऐसा भेद या भेदभाव कर सकता है। इसलिए, विद्वान महान्यायवादी और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इन दोनों निर्णयों पर भरोसा करना उचित था। यह भी है

यह स्पष्ट है कि बाद के निर्णयों में जोगिंदर सिंह *28* और जबर सिंह *9* में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान चर्चा के उद्देश्यों के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि जब दोनों संवर्गों के शिक्षक समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, तब भी इन दोनों संवर्गों की अलग-अलग पहचान बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा आपत्तिजनक नहीं पाया गया और आगे इन दोनों संवर्गों के बीच अंतर हो सकते हैं। यह सच है कि दोनों कैडर समान वेतन संरचना का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस दलील को कि पदोन्नति की संभावनाएं समान होनी चाहिए, अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

टी. ई. ऑफ बिहार बनाम. द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[उदय उमेश ललित, जे.]*

75. हमें पैराग्राफ में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भी विचार करना चाहिए।

सचिव, वित्त विभाग और अन्य में इसका निर्णय बनाम

बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य, जो

पता लगाएँ कि 'वेतन संरचना' कैसे विकसित की जाती है। उक्त रैफ का प्रासंगिक हिस्सा थाः

12 .....

आम तौर पर एक वेतन संरचना कई कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है, उदाहरण के लिए, *(i)* भर्ती की विधि, *(ii)* जिस स्तर पर भर्ती की जाती है, *(iii)* किसी दिए गए संवर्ग में सेवा का पदानुक्रम, *(iv)* आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, *(v)*

पदोन्नति के मार्ग, *(vi)* कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति, *(vii)* समान नौकरियों के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंध, *(viii)* सार्वजनिक लेनदेन, *(ix)* संतुष्टि स्तर, *(x)* नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता, आदि। हमने इन मामलों को केवल कुछ विस्तार से संदर्भित किया है

इस बात पर जोर दें कि कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जबकि

एक वेतन संरचना और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सापेक्षताओं का विकास पदानुक्रमित व्यवस्थाओं, पदोन्नति के अवसरों आदि को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक संतुलित रहना होगा। इस तरह के एक सावधानीपूर्वक विकसित

वेतन संरचना को सामान्य रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह संतुलन को बिगाड़ सकता है और अन्य संवर्गों में भी टालने योग्य उथल-पुथल का कारण बन सकता है।

76. इसलिए, हमें निम्नलिखित बुनियादी आधार पर आगे बढ़ना होगाः

क*)* यह राज्य के लिए दो अलग-अलग संवर्गों के लिए खुला था, अर्थात् 'सरकारी शिक्षक' और 'नियोजीत शिक्षक', जिसमें सरकारी शिक्षक एक मरने वाला या गायब होने वाला संवर्ग था। इन दोनों कैडरों की घटनाएं अलग-अलग हो सकती हैं। के द्वारा विचार

स्वयं भेदभावपूर्ण नहीं होगा।

ख*)* नियोजीत शिक्षकों को दी जाने वाली वेतन संरचना निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों को दी जाने वाली वेतन संरचना से कम थी, लेकिन सरकारी शिक्षकों की संख्या निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों की तुलना में काफी कम थी।

नियोजीत शिक्षकों की संख्या।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान में राज्य में लगभग *4* लाख के मुकाबले लगभग *66,000* सरकारी शिक्षक हैं।

नियोजीत शिक्षक। लगभग *1* लाख शिक्षकों की और नियुक्ति की गुंजाइश है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि *5* की तुलना में

राज्य के शिक्षकों की संख्या लाखों होगी धीरे-धीरे नीचे जा रहे हैं।

ग*)* जिस समानता का दावा किया जाता है, वह बड़े समूह द्वारा छोटे समूह के साथ किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो स्वयं एक मरने वाला या गायब होने वाला समूह है।

कैडर।

घ*)* नियोजीत शिक्षकों की भर्ती का तरीका पूरी तरह से है

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकारी शिक्षकों से अलग है।

77. यदि वेतन संरचना को आम तौर पर "भर्ती की विधि" और "नियोक्ता की क्षमता" जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना है।

वेतन 'और यदि' समान काम के लिए समान वेतन 'के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएं या योग्यताएं अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया के आधार पर अंतर को स्वीकार करती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से लिया गया रुख अनुचित या तर्कहीन नहीं है। ऊपर बताए गए तथ्यों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को देखते हुए, दूरस्थ कोनों में शिक्षा का प्रसार और पहुंच बनाना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा, राज्य की साक्षरता दर जो राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे थी, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन मोर्चों पर राज्य द्वारा की गई प्रगति काफी स्पष्ट है। यह सब संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से संभव हुआ। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग या उपयोग कैसे किया जाए और किस बात पर जोर दिया जाए कि कौन से कारक सभी नीतिगत मामले हैं और हमारे विचार में राज्य किसी भी मामले में विफल नहीं हुआ है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जोगिंदर सिंह *2 8* और जबर सिंह *2* के निर्णयों में निर्धारित किया गया था, राज्य को दो अलग-अलग धाराओं या संवर्गों में होना उचित था। पंचायती राज संस्थानों में चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और राज्य के शिक्षकों के कैडर को मरने या गायब होने वाला कैडर बनाने का प्रयास शिक्षा के प्रसार को प्राप्त करने के उसी तंत्र का हिस्सा था। ये सभी मुद्दे एक एकीकृत नीति का हिस्सा थे और यदि न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा नियोजीत शिक्षकों को समान वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो यह जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर भारी दबाव पैदा कर सकता है।

78. यह सच है कि यदि किसी राज्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बजटीय बाधाएं या वित्तीय निहितार्थ कभी भी एक आधार नहीं हो सकते हैं।

नागरिक। इसी तरह, आर. टी. ई. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। जो अनुच्छेद *21* ए के तहत उपलब्ध अधिकार को वास्तविकता बना देगा। जैसा कि लेख के पाठ से पता चलता है कि प्रावधान अनिवार्य रूप से बाल केंद्रित है। इस मुद्दे के संबंध में दो विचार नहीं हो सकते हैं कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हालाँकि, इस तरह का आधार बिहार बनाम का कथन नहीं कर सकता है।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मंगर *[*उदय उमेश ललित, जे.*]*

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नियोजीत शिक्षकों को उसी स्तर पर वेतन दिया जाना चाहिए जो राज्य के शिक्षकों पर लागू होता है। जिन तरीकों से विशेषज्ञ शिक्षकों को पाया जा सकता है, चाहे उन्हें बेहतर पैमाना देकर और/या सीमा क्षमता पर जोर देकर जिसका परीक्षण टीईटी परीक्षा जैसी परीक्षाओं के माध्यम से किया जा सकता है, उन पर कार्यपालक को विचार करना चाहिए।

79. हमारे सुविचारित विचार में, नियोजीत शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई भेदभाव हुआ है उनके खिलाफ। हम यह नहीं पाते हैं कि राज्य सरकार के प्रयासों को अनुचित या भेदभावपूर्ण करार दिया जा सकता है। नतीजतन,

इस बारे में प्रस्तुतियाँ विचार के लिए नहीं आती हैं कि धन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और कैसे उत्पन्न किया जाना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा।

हमारे विचार में, पिछले दशक में राज्य ने बड़ी प्रगति की है। इसने खुद को कार्रवाई में प्रेरित किया है और न केवल हासिल किया है

प्रत्येक पड़ोस में विद्यालय होने का उद्देश्य है लेकिन

साक्षरता दर बढ़ाने में सफल रहे। यह शिक्षा की धारा में अधिक बालिकाओं को रखने में भी सफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर बताया गया है, टी. एफ. आर. में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। यदि ये ऐसे लाभ या पुरस्कार हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने के लिए खड़ा है, तो राज्य को उचित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा अभिलेख पर रखे गए सारणीबद्ध चार्ट भी नियोजीत शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए पैकेजों में राज्य द्वारा किए गए निरंतर सुधारों को दर्शाते हैं। उक्त प्रयासों से यह भी पता चलता है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में सरकारी शिक्षकों और शिक्षकों के बीच जो अंतर है, वह भी है।

नियोजीत शिक्षकों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। सरकारी शिक्षकों की तुलना में बड़ी संख्या में नियोजीत शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा उठाए गए कदम जो उसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सारणीबद्ध चार्ट से स्पष्ट हैं, सही दिशा में हैं। इस मोड़ पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्देश उस गति को तोड़ सकता है जिसे राज्य लगातार हासिल करने में सक्षम रहा है।

80. साथ ही, यह निवेदन कि प्रारंभिक चरण में नियोजीत शिक्षकों को ऐसे वेतन दिए जाते हैं जो चपरासियों से कम होते हैं

और एक ही स्कूल में क्लर्क एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सच है कि दो साल की सेवा के बाद, नियोजीत शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए परिलब्धियों में कुछ सुधार दिखाई देते हैं, लेकिन प्रारंभिक चरण में असमानता स्पष्ट से अधिक है। राज्य निश्चित रूप से नियोजीत शिक्षकों और अदालतों *[2019] 7* एस. सी. आर. के लिए एक वेतन संरचना तैयार करने का हकदार हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई असंतुलन है

जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मामला चिंता पैदा करता है। शिक्षकों को उचित वेतन का अधिकार होना चाहिए। ऊपर पैरा *32 (*सी*)* में निर्दिष्ट चार्ट में, प्रस्तावित के साथ दो साल की सेवा के बाद

तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, नियोजीत शिक्षकों को देय मानकों में, चपरासी और लिपिकों की तुलना में, कुछ वृद्धि होगी। राज्य समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना, कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक नियोजीत शिक्षकों के मानकों को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। जो लोग इस तरह की परीक्षा या परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें और भी बेहतर अंक दिए जा सकते हैं। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है।

81. इन परिस्थितियों में, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं

राज्य, अपील के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देता है और नियोजीत शिक्षकों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर देता है।

82. अंत में, हमें सभी विद्वान सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपना ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहिए जो

विषय हैं। हम सभी विद्वान सलाहकारों के आभारी हैं।

83. इन अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। इस बारे में कोई आदेश नहीं

लागतें।

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. मुझे अपने सम्मानित द्वारा प्रस्तावित एक विस्तृत, सुविचारित और विद्वतापूर्ण मसौदा निर्णय से गुजरने का लाभ मिला है।

भाई न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। *2.* मैं उस तर्क और निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं, जो मेरे विद्वान भाई ने निकाला है, जो तर्क की उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट प्रक्रिया पर आधारित है। हालाँकि, इन अपीलों में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसे वरिष्ठ वकीलों द्वारा अपनी-अपनी प्रस्तुतियों में निपुणता से तर्क दिया गया था, मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूँः

मेरा।

3. यह मामला मुझे इस न्यायालय के एक प्रख्यात न्यायाधीश, जे. विवियन बोस द्वारा बीडी सप्लाई कंपनी बनाम बीडी सप्लाई कंपनी बनाम बीडी सप्लाई कंपनी बनाम

उस समय की तुलना में अधिक बुद्धिमान नहीं हैं जब हमने शुरू किया था और अंत में इसके सरल वाक्यांश पर वापस आते हैं।

"राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

भारत का क्षेत्र। "

16. सच्चाई यह है कि सटीक होना असंभव है, क्योंकि हम अमूर्त के साथ काम कर रहे हैं और हालांकि परिणाम स्पष्ट हैं।

इस विचार को किसी भी सटीक तरीके से जोड़ना असंभव है।

विश्लेषण करें। अनुच्छेद *14*, मेरे विचार से, कानून के एक सटीक नियम के बजाय मन की मनोवृत्ति, जीवन के एक तरीके को निर्धारित करता है। यह लोगों की चेतना में एक सामान्य जागरूकता का प्रतीक है

कुछ ऐसा जो मौजूद है और जो बहुत वास्तविक है, लेकिन जिसे तथ्य के किसी भी सटीक विश्लेषण से जोड़ा नहीं जा सकता है, सिवाय किसी दिए गए मामले में यह कहने के कि यह रेखा के इस तरफ आता है या वह, और उसी कारण से उसी बिंदु पर निर्णय अलग-अलग होंगे क्योंकि परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं, एक निष्कर्ष देश के एक हिस्से में और दूसरा कहीं और; एक निर्णय आज और दूसरा कल जब समाज का आधार बदल गया है और वर्तमान सामाजिक सोच की संरचना अलग है। यह कानून नहीं है जो बदलता है, बल्कि बदलती परिस्थितियाँ हैं।

समय और अनुच्छेद *14* तथ्य के प्रश्न को संकुचित करता है।

जिसे उच्चतम न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

भूमि जैसा कि प्रत्येक मामला उत्पन्न होता है। *(* इस बिंदु पर बोमन बनाम सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड में लॉर्ड समनर के तर्क को देखें।

परस्पर विरोधी दावे और उनके बीच समायोजन तक पहुँचना न्यायिक प्रक्रिया का मूल है। कोई भी व्यक्ति एक प्रश्न का निर्णय कर सकता है यदि केवल एक ही सिद्धांत मुद्दे में हो। कठिनाई का मूल यह है कि शायद ही कोई सवाल हो। जो न्यायालयों के समक्ष आता है जिसमें अधिक *[2019] 7* एस. सी. आर. शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक तथाकथित सिद्धांत की तुलना में। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स के न्यायाधीश लियोनार्ड हैंड ने अमेरिकी संविधान के बारे में कहा था।

7. मेरे विचार में भी, इस मुद्दे पर, जो इन अपीलों का विषय है, इस द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। संविधान पीठ के उपरोक्त दो निर्णयों में न्यायालय।

8. मैं, इस स्तर पर, एन. मीरा रानी बनाम मीरा रानी में एक निर्णय का उल्लेख कर सकता हूं।

सरकार. तमिलनाडु और एन. आर. , ए. आई. आर. *1989* एस. सी. *2027.* इस मामले में, यह तर्क दिया गया था कि अपील में शामिल प्रश्न रामेश्वर शॉ बनाम जिला मामले में संविधान पीठ के निर्णय से नियंत्रित होता है।

मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ए. आई. आर *1964* एस. सी. *334*। यह उल्लेख करना उचित है कि इसी प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा भी निर्णय लिया गया था, लेकिन कई अन्य मामलों में संविधान पीठ के निर्णय के बाद इसका निर्णय लिया गया था। हालाँकि, उसी प्रश्न पर बाद के निर्णय कम संख्या में न्यायाधीशों वाली पीठों द्वारा दिए गए थे।

9. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा *(*उस समय उनके स्वामी के रूप में*)*, के लिए बोल रहे थे

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उनके समक्ष अपील में शामिल प्रश्न का निर्णय संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में किया जाना चाहिए क्योंकि सबसे पहले, यह संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है; दूसरा, यह समय की दृष्टि से पूर्व है; और तीसरा, बाद के निर्णयों में निर्धारित कानून को संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। यही उनके प्रभुता ने कहा है

पैरा *13:*

" 13. अब हम उन निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिनके आधार पर यह बिंदु तय किया जाना है। प्रारंभिक बिंदु रामेश्वर शॉ बनाम में एक संविधान पीठ का निर्णय है।

जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *334*। सभी

बाद के निर्णय जो उद्धृत किए गए हैं, उन्हें पढ़ना होगा।
इस संविधान पीठ के फैसले का प्रकाश क्योंकि वे बिहार बनाम राज्य के राज्य हैं।

द बिहार सेकंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी, मुंगर *[*अभय मनोहर सेपर, जे.*]*

कम संख्या वाली पीठों द्वारा लिए गए निर्णय

न्यायाधीश। यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी बाद में नहीं

निर्णयों का उद्देश्य इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना हो सकता था

रामेश्वर शॉ मामले में संविधान पीठ "।

10. एन. मीरा रानी *(*उपरोक्त*)* में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि इन अपीलों में शामिल प्रश्न को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। के दो निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के प्रकाश में निर्णय लिया गया

जोगिंदर सिंह *(*ऊपर*)* और जबर सिंह *(*ऊपर*)* की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया।

11. हालाँकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देने में अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास किया कि जोगिंदर में निर्धारित कानून

सिंह *(*ऊपर*)* और ज़बर सिंह *(*ऊपर*)* का इन अपीलों में शामिल प्रश्न पर कोई आवेदन नहीं है क्योंकि इसमें शामिल तथ्य नहीं हैं। इन अपीलों में शामिल तथ्यों के समान, हमें डर है, हम नहीं कर सकते

इस निवेदन को स्वीकार करें। मेरी राय में ऐसा नहीं है।

12. भाई ललित, जे। इस प्रश्न को पैरास में विस्तार से निपटाया है।

72 उनकी राय के *74* तक। मैं आदरपूर्वक उसमें निहित उनके तर्क से सहमत हूँ।

13. इसलिए, मेरा यह भी विचार है कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। विवादित निर्णय निर्धारित किया गया है एक तरफ और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी